Hkkx&,d

uxj iapk;r eukyh esa dk;Zjr iz/kku %&

वर्ष 4/99 से 3/2007 के दौरान नगर पंचायत मनाली में कार्यरत प्रधान :–

Øe la[;k	uke	vof/k
1	श्री गौतम नाथ ठाकुर	1.4.99 से 12.1.2001
2	श्री प्रवीण फैके	19.12.2001 से 16.01.2006
3	श्री विजय ठाकुर	17.01.2006 से 31.03.2007

uxj iapk;r eukyh esa lfpo dk dk;Zdky %&

1	श्री जगदीश गुप्ता	01.04.1999 से 15.05.2001
2	श्री षिव सिंह सैन	16.05.01 से 17.09.04
3	श्री जगदीश गुप्ता	17.09.04 से 30.06.05
4	श्री तेज सिंह ठाकुर	01.07.05 से ....
5	श्री डी0आर0 चन्देल	.... से 17.3.07
6	श्री विनोद शर्मा	23.03.07 से 31.3.07

uxj iapk;r eukyh] ftyk dqYyw ¼fgekpy izns'k½ ds ys[kkvksa vof/k 4@99 ls 3@2001 rd ds ys[kk ijh{k.k esa ikbZ xbZ xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lf{kIr lkjA

1	पैरा 4(2)	दुकानें बिना इकरारनामे बनाए किराए पर दी गई।
2	पैरा 4(1)(4)	₹2,250.00 की आय की राशि का संभावित गवन।

3	पैरा 4(3) व 4(3)(4)	गृहकर की बकाया राशि की ₹3,09,26,893.00 की क्षति।
4	पैरा 4(4)(1)	दुकानों के किराए की ₹26,27,071.00 की कम वसूली से क्षति।
5	पैरा 4(6)	भवन शुल्क की ₹1,46,759.00 की कम वसूली।
6	पैरा 5(3)(a) 5(3)(2)	कर्मचारियों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया।
7	पैरा 6(1)(a)	₹1,63,017.00 मूल्य के भण्डार का संभावित गवन।
8	पैरा 6(26)(2)	बच्चों के 212 खानों पर ₹60,000.00 का संदिग्ध व्यय।
9	पैरा 6(27)	₹7,27,400.00 का अवैध भुगतान।
10	पैरा 6(32)	स्ट्रीट लाईट पर दर्षाया गया ₹14,49,927.00 का संदिग्ध व्यय।
11	पैरा 6(46)	बिक्री कर जमा न करने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व को ₹1,25,722.00 की क्षति।
12	पैरा 7(1)	तकनीकी एवं प्रषासनिक स्वीकृति के बिना ₹10,30,100.00 का अनाधिकृत व्यय।
13	पैरा 7(13)	निजि भुमि पर निर्माण कार्य पर ₹34,57,093.00 का अवैध व्यय।
14	पैरा 7(22) व 7(23)	₹50,66,020.00 के व्यय के निर्माण बिलों का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया गया।
15	पैरा 7(33)	जमीन क्रय के लिए ₹15,45,800.00 का अधिक भुगतान।
16	पैरा 8(6)	गाड़ी के दुरूपयोग के कारण ₹4,71,945.00 की वसूली की जाए।
17	पैरा 9(1)(2)(3)	₹8,00,041.00 की अग्रिम राशियां समायोजित न की गई।

Hkkx&nks

1 orZeku vads{k.k %&

नगर पंचायत मनाली के लेखाओं अवधि 4/99 से 3/2007 तक का अंकेक्षण कार्य श्री जय गोपाल शर्मा सहायक नियंत्रक(लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 11.11.2005 से 24.07.2006 एवं 03.08.2007 से 29.09.2007 तक मनाली में किया। लेखा परीक्षण में श्री रवि प्रकाश लेखा परीक्षक और श्री विजय धवन लेखा परीक्षक भी कार्यरत थे। मास 8/99, 12/99, 6/2000, 2/01, 5/01, 1/02, 8/02, 1/03, 7/03, 3/04, 9/04, 12/04, 6/05 एवं 7/06 के लेखों को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। अभिलेख अतिरिक्त जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है विधिवत प्रस्तुत किया गया।

foÙkh; fLFkfr %&

नगर पंचायत मनाली के वर्ष 4/99 से 3/07 की वित्तीय स्थिति है :-

o"kZ	ikjfEHkd 'ks"k #0 i0	vk; #0 i0	;ksx #0 i0	O;; #0 i0	31 ekpZ dk 'ks"k #0 i0
1999–2000	51,07,872.76	1,45,58,966.00	1,96,66,838.76	1,70,76,741.00	25,90,097.76
2000–01	25,90,097.76	1,99,04,207.00	2,24,94,304.76	1,33,77,263.00	91,17,041.76
2001–02	91,17,041.76	1,74,44,093.41	2,65,61,135.17	1,51,94,828.00	1,13,66,307.17
2002–03	1,13,66,307.17	1,27,03,267.48	2,40,69,574.65	1,73,51,507.00	67,18,067.65
2003–04	67,18,067.65	1,81,92,798.00	2,49,10,865.65	1,37,13,010.00	81,97,855.65
2004–05	81,97,855.65	2,12,14,246.75	2,94,12,102.40	2,38,69,917.00	55,42,185.40
2005–06	55,42,185.40	3,05,23,723.00	3,60,65,908.40	2,28,31,205.00	1,32,34,703.40
2006–07	1,32,34,703.40	1,97,25,620.00	3,29,60,323.40	2,41,44,117.00	88,16,206.40

	cSad fLFkfr	#0 i0
1	कांगड़ा बैंक एस0बी0एल–42	10,39,586.00
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 10434697385	2,47,557.00

3	पी0एल0ए	23,245.00
4	डाकघर	1,378.00
5	पंजाब–सिंघ बैंक 2246 वी	38,976.00
6	एफ0डी0आर	50,00,000.00
7	कांगड़ा बैंक	16,858.00
8	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 10437697602	2,47,557.00
9	कांगड़ा बैंक	13,82,143.00
10	पी0एन0बी 9904843	4,65,234.00
	;kx	84]62]534-00
ukV %&	jkdM cgh fLFkfr	88]16]206-40
	cSd fLFkfr	84]62]534-00
	vUrj	3]53]672-40

अन्तर राशि ₹3,53,672.40 का मिलान बैंक से करवा कर वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

2 vds{k.k 'kqYd %&

नगर पंचायत मनाली के अवधि 4/99 से 3/2007 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹14,060.00 आंका गया। सहायक नियन्त्रक के पत्र सं0 1/5/ऑडिट–07–08, दिनांक 24.07.2006 व पत्र सं0 3/51 ऑडिट–2007–08, दिनांक 27.09.07 द्वारा उपरोक्त शुल्क को सरकारी कोष शीर्ष :–

0070 अन्य प्रषासनिक सेवाएं

060 अन्य सेवाएं

110 सरकारी लेखा परीक्षा में जमा करवाने हेतु अनुरोध किया गया तथा जमा किए गए शुल्क के मूल चालान को निदेषक शहरी विकास (हिमाचल प्रदेश)षिमला–171002 को सत्यापन हेतु भेजने को कहा गया।

3 vu|nku %&

नगर पंचायत मनाली को वर्ष 4/99 से 3/2007 तक सरकार व अन्य से जो अनुदान राशि प्राप्त हुई का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(क) जिलाधीश कुल्लू से योजना (डी0सी0पी0) शीर्ष से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' में दिया गया है।

(ख) जिलाधीश कुल्लू से प्राप्त एम0पी0एल0ए0डी0एस के अर्न्तगत अनुदान राशि का विवरण परिषिष्टि ''ग'' में अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिया गया है।

(ग) निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला से प्राप्त टी0एफ0सी के अर्न्तगत अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''घ'' में दिया गया है।

(घ) निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला से प्राप्त एम0एस0डी0पी/ई0आई0यू0एस के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ङ'' में दिया गया है।

(ङ) निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला से प्राप्त ई0एफ0सी के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''च'' में दिया गया है।

(च) निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश से प्राप्त दूसरा राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''छ'' में दिया गया है।

(छ) निदेशक शहरी विकास से प्राप्त आई0डी0एस0एम0टी की अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ज'' में दिया गया है।

(ज) निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला से एन0ओ0आर0ए0डी शीर्ष से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''झ'' में दिया गया है।

(झ) जिलाधीश कुल्लू से वर्ष 2005–07 में प्राप्त अनुदान राशि का विवरण परिषिष्टि ''प'' में दिया गया है।

(ञ) निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला के 2nd वित्त आयोग के शीर्ष से प्राप्त अनुदान जो 2005–07 में प्राप्त हुई है को परिशिष्ट ''फ'' में दिया गया है।

(त) निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला से वर्ष 2005–07 में प्राप्त NSDP/EIUS शीर्ष से प्राप्त अनुदान का विवरण परिशिष्ट ''व'' में दिया गया है।

vk;

4¼1½ rg cktkjh d vk/kkj ij vkcfVr Hkfe dk i.k foo j.k vfHky[k e u ik;k tkukA

अंकेक्षण अवधि 4/99 से 3/05 तक कें अंकेक्षण के दौरान तह बाजारी रजिस्टर की जांच पड़ताल में पाया गया कि नगर पंचायत मनाली ने अपने क्षेत्र में कुछ जगह दुकानदारों को बतौर तहबजारी के रूप में प्रतिमाह किराए के आधार पर दे रखी थी जिसका पूर्ण विवरण तहबजारी रजिस्टर में दर्ज नहीं था। रिकॉर्ड में कहीं भी दर्ज नहीं था कि कितनी जगह उनको अलॉट की गई थी। एरिया निधार्रित किए बिना तहबजारी की वसूली उचित नहीं थी तथा बिना एरिया रिकॉर्ड किए तहबजारी की वसूली में भेदभाव की पूर्ण सम्भावना थी। अतः समस्त तहबजारी की जगह को चिन्हहित करके एरिया जो अलॉट किया गया था को रिकॉर्ड में लाया जाए तथा वसूली के माप–दण्ड स्पष्ट किए जाए।

4¼1½¼1½ rgctkjh dh Hkfe dk ekfld fdjk;k ftl nj l uxj ipk;r ikIr dj jgh g dk foo j.k bl idkj l g %&

fl;kyh jkM ij

rgctkjh jftLVj i"B l0	lykV uEcj	uke	ekfld nj d fglkc l rgctkjh @ P.M.	
31	1	श्रीमति राजरानी पत्नी बलदेव चन्द	₹150/–	प्रस्ताव नं0 218 दिनांक 10.05.1996
31	2	श्री सतीश चन्द सपुत्र श्री धनी राम	₹300/–	प्रस्ताव नं0 218 दिनांक 10.05.1996
32	3	श्री जय चन्द सपुत्र श्री सोमू राम	₹400/–	प्रस्ताव नं0 836 दिनांक 08.11.1999

utnhd ikLV vkfQl

30	1	श्री श्याम लाल सपुत्र श्री मनसा राम	₹400 / –	प्रस्ताव नं0 218 दिनांक 10.05.1996
33	2	श्री हंस राज बारबर (Barber)	₹200 / –	प्रस्ताव नं0 218 दिनांक 10.05.1996
33	3	श्री ज्ञान चन्द बारबर (Barber)	₹200 / –	प्रस्ताव नं0 218 दिनांक 10.05.1996

fl ;kyh egknso ekfdZV

34	4	श्री कैलाश चन्द गैस लाईटर मुरम्मत	₹600 / –	प्रस्ताव नं0 218 दिनांक 10.05.1996
34	5	श्री प्रकाश सपुत्र श्री अर्जुन	₹300 / –	प्रस्ताव नं0 218 दिनांक 10.05.1996

utnhd vkbZ cDl gkVy

35	1	श्री सुभाष ठाकुर	₹500 / –	प्रार्थना पत्र के आधार पर
	2	श्रीमति जयवन्ती	₹500 / –	प्रार्थना पत्र के आधार पर
36	3	श्री विजय कुमार सपुत्र श्री सोमनाथ	₹500 / –	प्रार्थना पत्र के आधार पर
36	4	श्री सतीश कुमार	₹500 / –	प्रार्थना पत्र के आधार पर
37	5	श्री भूवनेष्वर	₹500 / –	प्रार्थना पत्र के आधार पर
37	6	श्रीमति मधुबाला	₹500 / –	प्रार्थना पत्र के आधार पर

4¼1½¼2½ **Hkfe dk vo/k dCtk o nfud fdjk;k nj c<ku ckj %&**

तहबाजारी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित दुकानदारों के पास तहबाजारी के आधार पर कुछ भूमि कब्जे में थी जिसका प्रतिदिन का किराया ₹20 / – निर्धारित किया

हुआ पाया गया। कार्यालय अभिलेख अनुसार कितनी भूमि दुकानदारों को आबंटित थी और मौके पर वास्तव में कितनी भूमि कब्जे में है इसका कोई भी उल्लेख अभिलेख में नहीं पाया गया। आबंटित भूमि से अधिक भूमि जो कब्जे में है की मौके पर छानबीन कर वास्तविक स्थिति ऑडिट के ध्यान में लायी जाए तथा अधिक भूमि जो दुकानदारों के कब्जे में है को अवैध कब्जा करार दे कर नियमानुसार भूमि खाली करवाई जाए अन्यथा उचित किराया निर्धारित कर कब्जे की अवधि से वसूल करना सुनिष्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत को किसी हानी का सामना न करना पड़े इसके अतिरिक्त ₹20 ⁄ — जो दैनिक किराया प्राप्त किया जा रहा है को भी बढ़ाना सुनिष्चित किया जाए क्योंकि मनाली जैसे शहर में यह किराया बहुत कम प्रतीत होता है।

4¼1½¼3½ tk txg ₹20@& i:frnfu d: fglkc l: crkj rgcktkjh d: :i e: nh xb: dk fooj.k fuEu i:dkj l: g: %&

rgcktkjh jftLVj dk i"B l0	lykV uEcj@uke	i:frfnu d: fglkc l: **@per day**
28	1—श्री तेज राम सपुत्र श्री खूब राम	₹20 ⁄ —
29	2—श्री बाला राम सपुत्र श्री ढैंफलू राम	₹20 ⁄ —
29	3—श्री जीत राम सपुत्र श्री धनी राम	₹20 ⁄ —
30	4—श्री लाल चन्द सपुत्र श्री खीमटू राम	₹20 ⁄ —
30	5—श्री नरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री तारा चन्द	₹20 ⁄ —

4¼1½¼4½ ekg 7@2006 e: rgctkjh rFkk LykVj gkÅl l: ikIr vk; dk jkdM cgh e: u fy, tku: l: ₹2]250-00 dk lEHkkfor xcu %&

अवधि 7 ⁄ 2006 के अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री वीर चन्द से तहबजारी 1.6.2006 से 31.8.2006 तक ₹20 ⁄ —प्रतिदिन की दर से निम्न राशि प्राप्त की गई :—

1.6.06 से 30.6.06 तक 30 दिन x 20/- = ₹600/-

1.7.06 से 31.7.06 तक 31 दिन x 20/- = ₹620/-

1.8.06 से 31.8.06 तक 31 दिन x 20/- = ₹620/-

1840/-

उक्त राशि सम्बन्धित पंजिका में तो दर्ज थी परन्तु कैश बुक में जमा नहीं दर्षाई गई तथा स्लाटर हाऊस से प्राप्त फीस रसीद संख्या 11 से 17/64 दिनांक 31.7.2006 =₹410.00 41 बकरे ₹10 प्रति टेल की दर से ली गई परन्तु कैश बुक में नहीं जमा की गई। अतः कुल ₹2,250.00 की राशि का गबन प्रतीत होता है। मामला गम्भीर होने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित है।

4¼2½ n|dkuk d fdjk;k fu/kkj.k l lEcfU/kr bdjkjuke ¼**Agreement files**½ vd{k.k e iLrr ugh fd, x,A

अंकेक्षण अवधि के अर्न्तगत दुकानों के किराए से सम्बन्धित इकरारनामें(Agreement files) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि दुकानों को बिना अनुबन्ध के ही किराए पर दिया जाता रहा है जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंधन है तथा भविष्य में इन दुकानों के किराए बढ़ाने के सम्बन्ध में व अन्य परिस्थितियों में कानूनी कार्यवाही सम्भव न होगी। अतः समस्त दुकानेां के नियमानुसार अनुबन्ध प्राप्त किए जाएं। विवरण परिशिष्ट ''ए'' में दर्षाया गया है।

4¼3½¼i½ xgdj dh cdk;k jkf'k d ckj ₹2]83]70]520 ckj ¼&

नगर पंचायत मनाली द्वारा जारी की गई गृहकर की बकाया राशि ₹6,80,474.00 जोकि 31.3. 2005 तक गृहकर दाताओं से वसूली जानी आपेक्षित थी परन्तु इस निदेषालय के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99 के दौरान होटल मालिकों से बकाया राशि ₹87,35,464 लेनी दर्षाई गई थी जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99 में विस्तारपूर्वक दर्षाया गया था उक्त अवधि की वसूली बारे कोई भी पग नगर पंचायत द्वारा नहीं उठाया गया जो काफी चिन्ताजनक विषय है तथा निदेषक द्वारा जारी की गई अंकेक्षण टिप्पणी की परवाह सचिव के द्वारा नहीं की गई थी इस अंकेक्षण अवधि 4/99 से 3/07 में 31.3.2007 को होटल मालिकों से ₹2,83,70,520.00 की राशि ली जानी आपेक्षित थी सचिव नगर पंचायत को इस बारे पूर्व में अंकेक्षण अधियाचना जारी कर दी गई थी परन्तु सचिव नगर पंचायत ने इसका जवाब देना आवष्यक न समझा ऐसा प्रतीत होता है कि सचिव लोगों से गृहकर की वसूली करने से आनाकानी कर रहे हैं। मामला अति गम्भीर है तथा इसकी छानबीन उच्चाधिकारी से की जानी अति आवष्यक है कि सचिव गृहकर की वसूली बारे क्यों पग नहीं उठा रहे हैं जिससे नगर पंचायत को लाखों की हानि हुई है। जिसका दायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

4¼3½¼ii½ gkVyks d xgdj fu/kkj.k jftLVj dk vfu;fer j[k&j[kko ckj %&

गृहकर निर्धारण रजिस्टर वर्ष 2001–2002 के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत मनाली की सीमा में जो होटल स्थित है उनके बारे पंचायत अभिलेख गृहकर निर्धारण रजिस्टर में पूर्ण सूचना दर्ज नहीं है अर्थात किस होटल के कितने कमरे हैं उनका दैनिक, मासिक व वार्षिक कितना किराया निर्धारित किया गया है तथा गृहकर निर्धारण की गणना का क्या आधार था। इसके साथ–साथ छूट(Rebate) की प्रतिषतता कितनी थी जो नियमों के अर्न्तगत उचित थी इसका भी उल्लेख कार्यालय अभिलेख में नहीं पाया गया।

अतः वांछित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए तथा पूर्ण अभिलेख तैयार न करवाने का औचित्य अंकेक्षण को दिया जाए। विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''डी'' में दर्षाया गया है।

4¼3½¼iii½ xgdj ekx rFkk lxg jftLVj o"k 2005&06 e cdk;k ,fj;j dh jkf'k dk de n'kkus d ckj %&

मांग तथा संग्रह रजिस्टर वर्ष 2004–05 से बकाया राशि जब मांग तथा संग्रह रजिस्टर वर्ष 2005–06 में उठाई गई वह कम उठाई गई या न उठाई गई का विवरण निम्न प्रकार से है :–

ekx rFkk lxg jftLVj o"k 2005&06 okM uEcj&1

i0 l0	Ø0 l0	uke	31-3-06 dk cdk;k jkf'k n'kkbZ xbZ	okLro es 31-3-06 dk cdk;k jkf'k n'kkuh Fkh	de cdk;k jkf'k n'kkbZ
13	91	श्रीमति राधा देवी श्री चन्द्र सैन	₹4,320 / –	₹4,800 / –	₹480 / –
	92	श्री राम बहादुर	₹4,320 / –	₹4,800 / –	₹480 / –
27	220 से 224	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग	₹1,106 / –	₹1,296 / –	₹190 / –
					₹1150@&

ekx rFkk lxg jftLVj o"k 2005&06 okM uEcj&II

60	101	श्री मेहर चन्द	न दर्षाया	₹432/–	₹432/–
62	111 से 112	हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम मनाली	न दर्षाया	₹864/–	₹864/–
	117	श्री बुद्ध राम	न दर्षाया	₹130/–	₹130/–
	118	श्री कृष्ण ठाकुर	न दर्षाया	₹390/–	₹390/–
	119	श्री सुरजन ठाकुर	न दर्षाया	₹130/–	₹130/–
	172	श्रीमति दुर्गा देवी	न दर्षाया	₹1,167/–	₹1,167/–
	174	श्री हरी चन्द	न दर्षाया	₹344/–	₹344/–
	187	श्री मीने राम	न दर्षाया	₹5,062/–	₹5,062/–
					₹8]519@&

ekx rFkk lxg jftLVj o"k 2005&06 okM uEcj&III

i0l0	Øekd	uke	31-3-06 dk cdk;k jkf'k n'kkbZ xbZ	31-3-06 dk cdk;k jkf'k n'kkuh Fkh	0;; cdk;k jkf'k n'kk;h
9	81	श्री लाल चन्द	न दर्षाया	₹520/–	₹520/–

ekx rFkk lxg jftLVj o"k 2005&06 okM uEcj&IV

35	176	होटल शिषर	न दर्षाया	₹2,916/–	₹2,916/–
36	194	होटल मोनालिजा	न दर्षाया	₹28,948/–	₹28,948/–
39	211	होटल समर	न दर्षाया	₹4,666/–	₹4,666/–
					₹36]530@&

ekx rFkk lxg jftLVj o"k 2005&06 okM uEcj&V

49	18 से 20	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	₹1,673/–	₹1,685/–	₹12/–
50	41 से 42	हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम मनाली	न दर्षाया	₹1,080/–	₹1,080/–
50	43 से 45	हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम मनाली	न दर्षाया	₹1,210/–	₹1,210/–
66	197 से 205	हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम	₹5,102/–	₹5,112/–	₹10/–
67	223	हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम होटल व्यास	न दर्षाया	₹4,666/–	₹4,666/–
					₹6]978@&

ekx rFkk lxg jftLVj o"kZ 2005&06 okMZ uEcj&VI

19	152	श्री विषन सिंह	न दर्षाया	₹864/–	₹864/–
20	164	श्री पंच्छी राम	न दर्षाया	₹259/–	₹259/–
					₹1]123@&

ekx rFkk lxg jftLVj o"kZ 2005&06 okMZ uEcj&VII

27	33	चिनाभ वैली	न दर्षाया	₹216/–	₹216@&

ekx rFkk lxg iath o"kZ 2005&06

31	88,89	श्री भीम सेन	₹166/–	₹260/–	₹94/–
47	265	श्रीमति दिलुभी देवी	₹874/–	₹1,054/–	₹180/–
	266	श्री रविन्द्र	₹583/–	₹615/–	₹32/–
					₹522@&

उपरोक्त अनुसार ₹55,342 की राशि मांग तथा संग्रह रजिस्टर में कम दिखाई गई जो गम्भीर अनियमितता है। अतः इस पर तुरन्त कार्यवाही करके कम दर्षाई गई समस्त राशि की वसूली कर ली जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4¼3½¼iv½ x'gdj fu/kkj.k jftLVj e **Rental Value** dk ?kVkdj x'gdj dk fu/kkj.k djus d QyLo:i ₹29]740-00 dh {kfr ¼&

अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर निर्धारण रजिस्टर वर्ष 2001–02 के अवलोकन से पाया गया कि जो गृहकर की गणना की गई, कई मामलों में Rental Value को घटा दिया गया तथा फिर गृहकर की गणना करके बतौर मांग के रूप में गृहकर को मांग तथा संग्रह रजिस्टर में उठाया गया जो कि उचित न था। Rental Value को घटाकर गृहकर की गणना करने का औचित्य अंकेक्षण में स्पष्ट न किया गया। अतः जो गृहकर की मांग वर्ष 2001–02 से लेकर वर्ष 2004–05 तक मांग तथा संग्रह रजिस्टर में कम उठाई गई थी की वसूली सम्बन्धित गृहकर दाताओं से करके आगामी अंकेक्षण के दौरान बताई जाए। गृहकर की जो कम मांग 2001–02 से मांग तथा संग्रह रजिस्टरों में उठाई गई का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ठ ''ई'' में दर्षाया गया है।

कर निर्धारण रजिंस्टर में कई मामलों में (Rental Value) को न लिखा गया तथा स्पष्ट रूप से न लिखा गया का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए। परिशिष्ट ''ई'' में दर्षाई गई राशि ₹29,740.00 की क्षति की भरपाई करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4¼3½¼v½ x'gdj dh jkf'k ₹25]56]373-00 dh de olwyh ¼&

नगर पंचायत मनाली द्वारा 31.3.07 को गृहकर दाताओं से ₹25,56,373.00 की वसूली की जानी शेष थी जो 31.3.07 तक नगर पंचायत द्वारा नहीं की गई थी जो की जानी अति आवष्यक थी। गृहकर की वसूली न किए जाने की स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में गृहकर की वसूली करने की प्रवृति बनाए ताकि नगर पंचायत की धन की उगाही हो सके। इसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''एफ'' में संलग्न है।

4¼4½¼i½ nqdkuks d fdjk, dh jkf'k ₹26]27]071 dh de olwyh ckjs ¼&

नगर पंचायत मनाली के दुकानों का किराए का शेष 31.3.07 को राशि ₹26,27,071.00 दुकानदारों से लिया जाना वांछित था जो लिया जाना आपेक्षित था परन्तु सचिव नगर पंचायत मनाली के द्वारा दुकानदारों से वसूल नहीं किया गया था। यह दर्षाता है कि किराया वसूली के लिए कोई विषेष पग नहीं उठाए गए थें इसकी स्थिति स्पष्ट की जाए कि किन कारणों से किराए की वसूली दुकानदारों से नहीं की गई थी तथा भविष्य में सभी दुकानदारों से किराया लिया जाना सुनिष्चित किया

जाए ताकि नगर पंचायत के विकास कार्यों के ऊपर धन व्यय किया जा सके। इसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदने के परिशिष्ट ''जी'' में संलग्न है।

4¼4½¼ii½ jkf'k ₹12]600 dh olwyh ¼&

नगर पंचायत के पास अपना एक चार सैट वाला रैस्ट हाऊस था जिसे नगर पंचायत ने उपमण्डल अधिकारी (नागर) मनाली के कार्यालय हेतु दे दिया था और जब नगर पंचायत को विश्राम गृह की आवष्यकता महसूस हुई तो नगर पंचायत ने अपने कार्यलय के समीप दो कमरों का एक विश्राम गृह बना डाला। इसका प्रयोग विश्राम गृह हेतु किया जाने लगा। वर्ष 5/04 में जब नगर पंचायत मनाली में श्री वेद प्रकाश कनिष्ठ अभियन्ता का पदभार सम्भाला तो दिनांक 21.5.04 से नवनिर्मित विश्राम गृह में अपना ठहराव किया। श्री वेद प्रकाश अपने स्थानान्तरण 3/05 तक इसी विश्राम गृह में ठहरे। 21.5.2004 से 31.3.2005 तक का विश्राम गृह किराया उन द्वारा अदा न किया गया जो ₹40 प्रतिदिन के हिसाब से 315 दिन का किराया ₹12,600 बनता था। इस राशि की वसूली उक्त कनिष्ट अभियन्ता से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाए तथा अनाधिकृत रूप से इतनी लम्बी अवधि तक विश्राम गृह में ठहरने की स्थिति स्पष्ट की जाए।

4¼4½¼iii½ Jh izoh.k QSds dks vuko';d fdjk;k ykHk nsus ckjs ¼&

श्री प्रवीण फैके निवासी मनाली को नगर पंचायत मनाली ने वर्ष 1997—98 में सावा रेस्टोरेन्ट राशि ₹5,558.00 मासिक किराए पर प्रतिवर्ष किराए में 10% किराया की बढौतरी के अनुबन्ध पर दिया। जिस द्वारा प्रति वर्ष किराय में 10% किराया की बढौतरी होनी थी। परन्तु सचिव नगर पंचायत के द्वारा प्रतिवर्ष 10% किराया की बढौतरी नहीं की गई। इस से नगर पंचायत को वर्ष 4/97 से 3/05 तक राशि ₹1,31,568.00 की हानि हुई है जिसका विवरण निम्न है। इस हानि के लिए कौन जिम्मेवार है के बारे अंकेक्षण अधियाचना जारी करने के उपरान्त भी सचिव जबाब न दे सके जिससे एसा प्रतीत होता है कि सचिव ने श्री प्रवीण फैके को अनावष्यक लाभ दे कर नगर पंचायत को हानि पहुंचाने का कार्य किया है। इस समस्त राशि को सचिव से पैनल ब्याज सहित वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाए। मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसकी छानबीन उच्चाधिकारी से करने की सिफारिश की जाती है।

o"kZ	fdjk;k	10% c<ksrjh ls fdjk;	uxj iapk;r us tks fy;k	vUrj	dqy jkf'k tks olwyh ;ksX; gS
1997—98	5,558.00	—	—	—	—

1998–99	5,558.00	6,115.00	5,560.00	555.00	6,660.00
1999–00	6,115.00	6,727.00	6,115.00	612.00	7,344.00
2000–01	6,727.00	7,400.00	6,421.00	1,079.00	12,948.00
2001–02	7,400.00	8,140.00	6,742.00	1,398.00	16,776.00
2002–03	8,140.00	8,954.00	7,079.00	1,875.00	22,500.00
2003–04	8,954.00	9,849.00	7,433.00	2,416.00	28,992.00
2004–05	9,849.00	10,834.00	7,805.00	3,029.00	36,348.00
					1]31]568-00

4¼5½ th&8 uEcj 21 ckjs %&

जी–8 नम्बर 21 की छानबीन दौरान यह पाया गया कि जी–8 नम्बर 21 की रसीद संख्या जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है वह जी–8 में विद्यमान नहीं थी ऐसा प्रतीत होता है ततकालीन सचिव के द्वारा यह रसीदें काटी गई थी व इसकी राशि नगर पंचायत कोष में जमा न करवाई गई थी। इस जी–8 द्वारा नगर पंचायत ने गारवेज फीस इकत्रित की थी जो निम्न रसीदों को छोड़ कर समस्त जी–8 नम्बर 21 की राशि ₹9,56,922 .50 बनती थी। इस राशि को भी नगर पंचायत कोष में जमा न करवाया गया था जबकि सचिव नगर पंचायत का कर्तव्य था कि वह प्रतिदिन जो भी राशि जी–8 द्वारा प्राप्त हो को बैंक में जमा करवाए परन्तु सचिव के द्वारा इस राशि को नगर पंचायत कोष में जमा न करवाना गम्भीर अनियमितता थी सचिव से इस बारे स्पष्टीकरण देने हेतु अधियाचना द्वारा कहा परन्तु सचिव द्वारा इस बारे कोई जबाब देना उचित न समझा गया। इस मामले को उच्चाधिकारी के समक्ष जांच हेतु लाए जाने की सिफारिश की जाती है।

th&8 jlhn cqd uEcj	tks jlhn lfpo }kjk dkVh Fkh	frfFk
21	2009	2.5.04
21	2027	24.9.04
21	2056	1.12.04

4¼6½ Hkou 'kqY; dh de olwyh jkf'k ₹1]46]759-00 ckjs %&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में मकान धारकों ने अपने भवन के निर्माण के समय जो प्रार्थना पत्र शुल्क जमा करवाया था वह कम था सरकार के पत्रानुसार वांछित शुल्क से कम राशि ले कर नगर पंचायत को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है।

इसमें कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, इन मकानधारकों से कम ली गई राशि को वसूला जाए तथा राशि को नगर पंचायत कोष में जमा करवाए तथा इनके इलावा अन्य केसों की स्वयं छानबीन करके सचिव नगर पंचायत स्वयं शुल्क गणना करके वसूली करनी सुनिष्चित करें की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

edku u0	edku ekfyd dk uke	{k=Qy o0eh0	tk 'kYd fy;k	tks fy;k tkuk Fkk	fy;k tkus okyk 'kYd
129	जगन नाथ शर्मा	2589-GF	2,589.00	2,589.00	–
		2589-1st	2,589.00	6,473.00	3,884.00
130	हरबंस लाल उपाध्याय	607.07-3rd	608.00	3,039.00	2,431.00
131	मनोज कुमार	1216-3rd	1,216.00	6,080.00	4,864.00
133	कमल चन्द	836-Gf	836.00	836.00	–
		836-1st	836.00	2,090.00	1,254.00
		836-2nd	917.00	4,180.00	3,263.00
					4]517-00
135	राम गोपाल ठाकुर	1064-Roofing	1,064.00	5,320.00	4,256.00
134	विमला मेहता	1229-GF	1,229.00	1,229.00	–
		1253-1st	1,253.00	3,087.00	1,834.00
		1253-2nd	1,253.00 421.00	6,165.00	4,912.00
					6]746-00
138	माधुरी देवी	1722-1st	1,722.00	4,305.00	2,583.00
139	रूकमणी देवी	2960-1st	2,960.00	7,400.00	4,440.00
140	अनन्त राम	686-1st	686.00	1,715.00	1,029.00
		686-2nd	686.00	3,430.00	2,744.00

					3]773-00
142	राधा देवी	722-1st	722.00	1,805.00	1,083.00
143	टेक राम ठाकुर	1452.74-2nd	1,453.00	7,264.00	5,811.00
146	बलदेव सिंह	618-1st	618.00	1,545.00	927.00
147	सीता देवी	633-1st	633.00	1,582.00	949.00
149	मीना कुमारी	840-1st	840.00	2,100.00	1,260.00
150	आर0एल0 बौध	430-1st	430.00	1,075.00	645.00
151	वीर सिंह	913-top	913.00	4,565.00	3,652.00
152	हेम राज	9406-3rd	9,406.00	47,030.00	37,624.00
154	सुभाष चन्द	910-4th	910.00	4,550.00	3,640.00
156	बाला जोनसन	5396-1st	5,396.00	13,490.00	8,094.00
158	तोरजू देवी	513-1st	513.00	1,282.00	769.00
159	सुभाष देवी	999-3rd	994.00	4,970.00	3,976.00
160	तषी/षख	1065-1st	1,065.00	2,662.00	1,597.00
162	सोहन लाल	465-1st	465.00	1,162.00	697.00
168	अतुल	2809-1st	2,809.00	7,022.00	4,213.00
171	वीर सिंह	1202-1st	1,202.00	3,005.00	1,803.00
174	गोविन्द राम	5241-1st	5,241.00	13,102.00	7,861.00
176	हेम राम	1290-1st	1,290.00	3,225.00	1,935.00
179	मीना खुल्लार	1691-1st	1,691.00	2,727.00	1,336.00
180	मनोज कुमार	1377-1st	1,377.00	3,442.00	2,065.00
		1377-2nd	1,377.00	6,885.00	5,508.00
					7]573-00
181	रोहित राम	1700-1st	1,700.00	4,250.00	2,550.00

182	अष्वनी ठाकुर	1426-2nd	1,426.00	7,130.00	5,704.00
184	टेक चन्द	1970-1st	1,970.00	4,925.00	2,955.00
182/1	ध्रुव कुमार अवस्थी	1741-1st	1,741.00	4,352.00	2,611.00
				dqy tksM	1]46]759-00

4¼7½ ch0,l0,u0,y }kjk lMdk dh [kqnkbZ dh ejEer gsrq ¼0;;½ ₹2-68 yk[k dh olwyh ugha dh xbZ ¼&

अंकेक्षण के दौरान यह मालूम हुआ कि कार्यालय पत्र संख्या एम0डब्लयू/2003/822–44 दिनांक 5.4.03 द्वारा नगर पंचायत ने बी0एस0एन0एल द्वारा सड़कों की खुदाई की मुरममत हेतु ₹2,67,810.00 का बिल उप मण्डल अधिकारी (तार) बी0एस0एन0एल को दिया था परन्तु उपरोक्त राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही अमल मे न लाई गई जिसके परिणाम स्परूप नगर पंचायत कोष को क्षति पहुंची। अतः इस विषय में आवष्यक कार्यवाही करके ₹2,67,810.00 की वसूली बी0एस0एन0एल से की जानी सुनिष्चित की जाए।

4¼8½ nqdkuksa dk vof/k :i ls lfpo }kjk LFkkukUrj.k ¼&

नगर पंचायत मनाली द्वारा कुछ दुकानों को जिसका ब्यौरा संलग्न है को अपने स्तर पर दूसरे दुकानदार को सवलेट कर दी थी जो अनियमित था किसी भी खाली दुकान को बोली द्वारा आबंटित किया जा सकता था परन्तु सम्बन्धित सचिव ने नियमों की अवहेलना करके दुकान अपनी मर्जी से दूसरों को आबंटित की जिसकी सूचि संलग्न है। इस आबंटन से नगर पंचायत को लाखों रुपये की हानि हुई है क्योंकि जिस दर से सचिव द्वारा दुकानें अलॉट की थी उनके रेट खुली बोली से काफी अधिक जानी थी इसकी छानबीन उच्चाधिकारी से करवा करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को सूचित करें कि नगर पंचायत को कुल कितनी हानि हुई भविष्य में इस प्रकार की सवलैटिंग से परिहार किया जाए।

Ø0 l0	nqdku uEcj	iqjkuk ykbZlsUl/kkjd dk uke	nqdku dk ekfdZV uke	cnyk x;k uke	fnukad

1	22	श्री हंस राज सपुत्र श्री भौरा राम	भनु मार्किट	श्री पन्ना लाल सपुत्र श्री वसन्त	26.6.2005
2	25	श्री नरेन्द्र पाल सिंह	एन0ए0सी मार्केट	श्री रोशन लाल	31.12.99 – 1.1.2000
3	27	श्री चन्द नेगी	एन0ए0सी	श्री तेज राम	30.11.2005
4	28	श्री राजीव ठाकुर	एन0ए0सी	नीषा ठाकुर	1.4.2006
5	40	श्री विजय फैके	एन0ए0सी	विष्वा नाथ	16.2.2004
6	3	श्री रतन चन्द	सियाली महादेव	लाल मन	8.11.2005
7	4	श्री विनित गौतम	सियाली महादेव	लाल मन	8.11.2005
8	16	श्री मान चन्द	सियाली महादेव	सुनील दत्त	6.5.2005
9	23	श्री श्याम सुन्दर	सियाली महादेव	प्रेमनाथ	27.6.2005
10	27	श्री चन्द्र किरण	सियाली महादेव	मेहर चन्द वर्मा	2.6.2005
11	51	श्रीमति चम्पा	एन0एस0सी	नीतू शर्मा	1.7.2004
12	63	रमेश कुमार	एन0एस0सी	घनष्याम	1.12.2005
13	64	विजय फैके	एन0एस0सी	घनष्याम	1.12.2005
14	110	श्याम सिंह	एन0एस0सी	अनिल शर्मा	1.4.2004
15	8	कुन्ज लाल	राम बाग	सुरेश गुप्ता	3.2.2004
16	11	चतरन देवी	राम बाग	विनित मनचन्दा	10.3.2005
17	14	हरि चन्द	राम बाग	सुरेश गुप्ता	26.4.2004

4¼9½ oY;w,'ku gsrq ₹36]306-00 dk Hkqxrku ckjs ¼&

सचिव द्वारा भूमि आकलन की वैल्यूएषन फीस के रूप में ₹36,306.00 का भुगतान निम्न फर्मों को किया गया। इस प्रकार के भुगतान का नौराड निधि मे कोई प्रावधान नहीं था। बिना प्रावधान के व्यय किस आधार पर किया गया यह सचिव अंकेक्षण में नहीं बता सके। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस व्यय की मन्जूरी नौराड प्रोजेक्ट कार्यालय से ली जाए अन्यथा

भुगतान की गई राशि की वसूली सचिव नगर पंचायत से करनी सुनिष्चित करें की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

5¼1½ xkMh ds uEcj ds fcuk lkeku <qykbZ ds [kpZ ds lEcU/k esa ₹1]312-00 dk lafnX/k Hkqxrku

okÅpj la[;k 35 vof/k 8@06 ckor jkf'k ₹13]490-00 ¼&

₹2,366.00 का भुगतान स्थानांतरण यात्रा भत्ता के रूप में षिव सिंह सैन सचिव को उनके नगर पंचायत नादौन के नगर पंचायत मनाली के स्थानांतरण के विरूद्ध किया गया था यात्रा भत्ता बिल मे षिव सिंह सैन सचिव द्वारा ₹1,312.00 बतौर अपने घरेलू सामान का किराया वसूल किया था इस भुगतान मे निमन आपतियां पाई गई उन आपतियों का समाधान करके अंकेक्षण को बताया जाए अन्यथा ₹1,312.00 की वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाए की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) ₹1,312.00 की रसीद रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी।

(ख) जिस गाड़ी से घरेलू सामान को ढोया गया था उस गाड़ी का नम्बर अंकित नहीं किया गया था। सामान की ढुलाई के खर्चे की सार्वजनिक निधि से भरपाई के लिए ट्रांसपोर्टर की छपी हुई जी0आर0 गाड़ी के नम्बर सहित होना आवष्यक है जिसके बिना भुगतान सम्भव नहीं है। अतः आवष्यक अभिलेख प्रस्तुत करें अन्यथा वसूली करनी सुनिष्चित करें।

5¼1½¼2½ lfpo fuokl ds lksQklsV dh ejEer ij ₹11]505-00 dk voS/k O;; ¼&

नगर पंचायत सचिव ने अपने निवास के सोफासैट की मुरम्मत वैलकम फर्नीचर मनाली से करवाई जिसका भुगतान वाऊचर संख्या 24 अवधि 7/2000 अनुसार ₹11,505.00 के रूप में किया। इस सोफासैट की मुरम्मत का खर्चा स्वयं सचिव को करना चाहिए था परन्तु सचिव ने इस का खर्चा नगर पंचायत कोष पर डाला जो उचित नहीं था। इस राशि की वसूली ततकालीन सचिव से करके राशि नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं।

5¼1½¼3½ lfpo fuokl ds fy, futh lkeku Ø; ij uxj iapk;r dks"k ls ₹17]619-00 dk voS/k O;; ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि सचिव ने नगर पंचायत कोष से अपने निवास हेतु कुछ सामान का क्रय किया था जो इस कोष से उचित प्रभार नहीं था यह व्यय सचिव को अपनी जेब से खर्च करना चाहिए था। सचिव ने न केवल नगर पंचायत कोष का दुरूपयोग किया अपितु अपनी शक्ति का भी दुरूपयोग किया। यह गम्भीर अनियमितता है इस राशि का पैनल ब्याज सहित सचिव से वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
66	2/01	745.00	एक फोलडिंग चारपाई का भुगतान कार्तिक वूल वर्कस मनाली को किया।
33	9/2000	3,120.00	दो मैट्रेस कार्तिक वूल वकर्स मनाली से खरीदे गए।
27	10/2000	13,754.00	(1) ₹600.00 का भुगतान ओम सत्योती स्टोर मनाली को दो समाल स्टूल खरीदने हेतु किया। (2) ₹700.00 का भुगतान ओम सत्योती स्टोर मनाली को दो बिग स्टूल खरीदने हेतु किया।
		17]619-00	

5¼1½¼4½ <u>lfpo fuokl e: uxj ipk;r Hk.Mkj l: lkeku nu: l: lko:tfud Hk.Mkj o fuft ykHk gr| in dk n|:i;kx</u> ¼&

नगर पंचायत के भण्डार पन्जिका की छानबीन दौरान यह पाया गया कि भण्डारण प्रभारी ने सचिव निवास मे निम्न सुविधा प्रदान की गई थी।

Ø0l0	tk leku lfpo fuokl dk fn;k x;kA
1	थ्री रूप सैट।
2	सभी कमरों के लिए सुपीरियर क्लास मैट।
3	सोफा सैट।
4	2 नम्बर गीजर।

5 वैल फनीषड बाथ रूम।

6 4 नम्बर डैन लप मैट्रैस।

7 4 नम्बर चादरें।

8 4 नम्बर सिरहाने।

9 4 नम्बर रजाई।

10 4 नम्बर रजाई कवर।

11 4 नम्बर सिरहाना कवर।

12 2 नम्बर ड्रैसिंग टेबल।

13 2 नम्बर टेबल।

14 खिड़की/दरवाजों के लिए पर्दे।

सचिव निवास को यह सुविधा देना अनियमित था। इसलिए सम्बन्धित सचिव के विरूद्ध राशि के दुरूपयोग के लिए कार्यवाही की जाए। तथा जारी सामान को वापिस लिया जाए।

5¼1½¼5½ ₹1]497-00 dk vf/kd ;k=k HkÙkk ikIr dj lfpo }kjk fuft ykHk ¼&

वाऊचर संख्या 35 अवधि 8/06 द्वारा ₹2,366.00 का भुगतान श्री षिव सिंह सैन सचिव नगर पंचायत मनाली को उनके स्थानांतरण समय यात्रा भत्ता के रूप में किया गया। इस बिल की जांच दौरान पाया गया कि उक्त बिल मे सचिव ने नगर पंचायत नादौन से मनाली के सामान का किराया ₹1,312.00 तथा अपनी पत्नी का बस किराया ₹185.00 (1,312 + 185 = 1,497.00) यात्रा भत्ता द्वारा लिया था। इस बिल में सामान की रसीद जो गाड़ी की जी0आर होनी थी व पत्नी का बस टिकट रिकॉर्ड में उपलब्ध न होने के कारण अदायगी को उचित नहीं माना जा सकता सचिव को अधियाचना द्वारा इस बावत पूछा गया था परन्तु सचिव द्वारा अंकेक्षण अवधि में कोई जबाव न दिया गया जिसके अभाव में ₹1,497.00 की अधिक दी गई राशि की वसूली सचिव षिव सिंह सैन से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

5¼2½¼1½ ,y0Vh0lh e ₹19]868-00 d vf/kd Hkxrku ckj ¼&

श्री गान्थू राम लिपिक नगर पंचायत मनाली ने दिनांक 7.1.99 से 23.1.99 के मध्य मनाली से लुम्पीनी(नेपाल वार्डर) तक किफायती अवकाश यात्रा(L.T.C) के अर्न्तगत यात्रा का लाभ हिमाचल

पर्यटन निगम की बस के द्वारा उठाया। श्री गान्थू राम लिपिक ने अपने इलावा अपने परिवार के 5 अन्य सदस्यों(पत्नि व वच्चों) सहित किफायती यात्रा की। इस उदेष्य के लिए श्री गान्थू राम ने नगर पंचायत निधि से ₹24,000.00 की अग्रिम राशि भी ली तथा उसके द्वारा 6 सदस्यों का कुल खर्च ₹26,868.00 दर्षाया गया जो श्री गन्थू राम लिपिक ने नगर पंचायत मनाली से वाऊचर संख्या 39 अवधि 4/99 अनुसार प्राप्त किए। किफायती अवकाश यात्रा बिल की छानबीन दौरान यह पाया गया कि मनाली से लुम्पीनी तक का जो किराया हिमाचल पर्यटन निगम द्वारा लिया गया था वह एक पैकेज था जिसका लाभ यात्रीयों ने उठाया। परन्तु वास्तव में मनाली से लुम्पीनी का किराया (मनाली से दिल्ली बस द्वारा व दिल्ली से लुम्पीनी तक रेल द्वारा) ₹600.00 था जो आना जाना ₹1,200.00 प्रति स्वारी के हिसाब से ₹7,200.00 के भीतर बैठता था। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम का किराया काफी अधिक था जो लिपिक के बेसिक वेतन अनुसार अदा नहीं किया जा सकता था। श्री गान्थू राम को ₹7,200.00 के स्थान पर ₹26,868.00 का भुगतान किया गया जो ₹19,868.00 अधिक था। इस अधिक किए गए भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली करके मगर पंचायत कोष में जमा करवाऐं तथा की गई कार्यावाही से इस निदेषालय को सूचित करें। सचिव इस स्थिति को स्पष्ट करें कि उनके द्वारा अधिक भुगतान किए जाने का क्या औचित्य था जबकि बस/रेल किराया कम बैठता था और उस किराए से अधिक किराए दिए जाना क्या ठीक था।

5¼2½¼2½ vukf/kd`r ;k=k HkÙkk

okÅpj l[;k 39 vof/k 2@04 ckor jkf'k ₹6]065-00 ½&

श्री नाथू राम जो दैनिक वेतन पर नगर पंचायत मनाली मे सचिव द्वारा तैनात किया गया था को सचिव द्वारा ₹2,272.00 का भुगतान यात्रा भत्ता के रूप में 21.9.2003 से 1.12.2003 किया गया जिसके यात्रा भत्ता बिल में कुल्लू मे ठहराव दिखाया गया था। नाथू राम को 71 दिन का ठहराव भुगतान 32.00 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ₹2,272.00 का भुगतान किया गया जो अनाधिकृत था क्योंकि कुल्लू में ठहराव का कोई औचित्य नहीं था व दैनिक भोगी कर्मचारी जिसे सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किया था को ठहराव भत्ता की अदायगी नहीं की जा सकती थी जबकि उसे वेतन दिया जा रहा था सचिव ने अपनी वित्तीय शक्ति का दुरूपयोग करके यह भुगतान किया है। इस राशि की वसूली का उतरदायित्व निर्धारित करके राशि नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

5¼2½¼3½ lok ifLrdk,i vd{k.k tkp gri iLrr ugh dh xbl ½&

श्री जगदीश गुप्ता सचिव／षिव सिंह सेन सचिव की सेवा पुस्तिका निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नही की गई ये एक गम्भीर मामला हैं। वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

5¼3½¼a½ depkfj;ksa dh vof/k fu;qfDr;ka %&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि सचिव नगर पंचायत द्वारा निम्न व्यय उन चालक／चौकीदार／बेलदार／फीटर के वेतन देने हेतु किया था जो सरकार के आदेश के बिना तैनात किए गए थे इससे नगर पंचायत को लाखों रुपये की हानि पहुंचाई गई तथा इस व्यय को सरकार से नियमित भी नहीं करवाया गया। सचिव के द्वारा सरकार के आदेषों की अवहेलना करके उक्त दैनिक भोगी कर्मचारियों को अपने स्तर पर तैनात किया। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता इस समस्त व्यय को सचिव से निजि रूप में वसूला जाए जिनके द्वारा नगर पंचायत को लाखों रुपये की हानि का सामना करना पड़ा। सचिव यह बतलाने की कृपा करें कि किन कारणों से सरकार के आदेषों की पालना नहीं की गई और सरकार के आदेषों की अनदेखी करके उक्त दैनिक भोगी कर्मचारी को बिना रोजगार कार्यालय से नाम लिए बिना तैनात किया। सचिव के खिलाफ नियमाधीन कार्यावाही की जानी सुनिष्चित करें।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
18	8／99	1,530.00	एक सफाई सेवक विनोद को अवधि 1.6.99 से 30.6.99 का दैनिक वेतन दिया गया।
26	10／99	25,085.00	₹1,581.00 का भुगतान मोहन सिंह को किया।
24	11／99	26,359.00	₹1,530.00 का भुगतान मोहन सिंह को किया।
10	7／99	34,254.00	₹2,085.00 का भुगतान जोगिन्द्र चालक को किया।
30	8／99	24,261.00	₹1,530.00 का भुगतान मोहन सिंह को किया।

5¼3½¼b½ वर्ष 1999 में कर्मचारीयों की नियुक्ति निम्न दैनिक भोगी के रूप में की गई थी। ये नियुक्तियां सचिव ने स्वयं की थी जबकि सरकारी आदेषों के अर्न्तगत पालिका द्वारा ऐसी नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध था। अतः सचिव द्वारा स्वयं की गई नियुक्तियां अवैध थी जो कि एक गम्भीर मामला है।

सचिव के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अति आवष्यक है।

1 चालक

2 बेलदार

3 फीटर

5¼3½¼2½ **uxj iapk;r] eukyh ds fuEu deZpkfj;ksa dks Vad.k ijh{kk ikl u djus ds QyLo:i vo/ks osru of) fn, tkus ckjs %&**

नगर पंचायत मनाली के लेखों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत, मनाली के कार्यालय आदेश संख्या 367–72/जी0सी0 दिनांक 17.03.1992 के अर्न्तगत निम्न कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि सरकार के पत्र संख्या ए0पी0–1(एफ)(4)–3/84 पार्ट–1 दिनांक 03.01.1992 अनुसार जब तक वह हिन्दी तथा अंग्रेजी की टंकण परीक्षा पास नहीं करते तब तक उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी।

1 श्री देवराज

2 श्री रमेश चन्द

3 गान्थू राम

4 श्री भीष्म देव

5 श्री हिरदे राम

उक्त कर्मचारियों द्वारा सरकार/नगर पंचायत के आदेशानुसार 31.3.2007 तक भी हिन्दी/अंग्रेजी की टंकण परीक्षा पास नहीं की थी फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती थी। परन्तु 03.01.1992 के बाद जो–2 सचिव नगर पंचायत मनाली में कार्यरत रहे वह इन्हें वेतन वृद्धि देते रहे जो नियमाधीन नहीं था। इससे इन कर्मचारियों को लाखों रुपयों का अतिरिकत वेतन दिया गया। इन कर्मचारियों को आज दिन तक प्रारम्भिक वेतनमान ही दिया जाना आपेक्षित था परन्तु सचिव नगर पंचायत मनाली के आदेश संख्या ई0ए/2005–4933–37 दिनांक 03.02.2005 अनुसार उक्त कर्मचारियों को प्रारम्भिक वेतनमान से अधिक वेतन दिया जो निम्न प्रकार से है।

tks osru fn;k tkuk Fkk	tks ys jgs gS 31-12-2004
3120@& **With Start**	**4850/-**

सचिव इस स्थिति को स्पष्ट करें कि सरकार/नगर पंचायत के 1992 के आदेषों की अवहेलना करके वेतन वृद्धि क्यों दी गई इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करके इन कर्मचारियों को दी गई अधिक अदायगी की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं। मामले को निदेषक महोदय के समक्ष लाया जाए।

5¼4½ vkipkfjdrkvk d fcuk ₹4]21]941-00 d eLVjjkyk dh vnk;xh %&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जो विभागीय मजदूर कार्य पर रखे थे को जारी किए गए मस्टरोलों की छानबीन दौरान निम्न आपत्तियां प्रकाश मे आई।

(क) विभागीय मजदूरों से कहां पर कार्य करवाया गया का पूरा विवरण मस्टररोल में नहीं दिया गया था।

(ख) किए गए कार्य से पूर्व सम्बन्धित कार्य का कोई प्राक्कलन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नहीं बनाया गया था और प्राक्कलन के तैयार न किए जाने के फलस्वरूपक कार्य किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

(ग) मस्टररोलों को नगर अभियन्ता (Municipal Engineer) द्वारा पारित नहीं किया गया था बिना नगर अभियन्ता से हस्ताक्षर/टैस्ट चैक करवाए मस्टररोल की अदायगी करने बारे स्थिति स्पष्ट न की गई थी।

(घ) कार्य करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की ली गई मन्जूरी अंकेक्षण में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई थी।

औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना मस्टररोल की अदायगी करने का क्या औचित्य था इस स्थिति को सचिव स्पष्ट करें तथा सचिव इसकी स्थिति भी स्पष्ट करें की नगर अभियन्ता के हस्ताक्षर किए बिना मस्टररोल की अदायगी कैसे की ।इन समस्त मस्टररोलों की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ले कर नियमित करवाएं अन्यथा राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करनी सुनिष्चित करें भविष्य में नियमाधीन ही अदायगी करने की प्रवृति बनाएं अन्यथा पूर्ण जिम्मेवारी सचिव की स्वयं होगी। अदायगी किए गए कुछ मस्टररोलों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अन्य कुछ मस्टररोलों की छानबीन सचिव स्वयं करके रिपोर्ट इस निदेषालय को प्रस्तुत करें। विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''एच'' में सलंग्न है।

5¼5½ uk¡jkM fuf/k l nfud Hkkxh depkfj;k dk vo/k Hkxrku %&

सचिव नगर पंचायत मनाली द्वारा नौराड प्रोजैक्ट में सक्षम अधिकारी की मन्जूरी लिए बिना कुछ मजदूर/चालक/सफाई सेवकों को दैनिक मजदूरी में लगाया गया जबकि सरकार के दिषा निर्देषों अनुसार दैनिक वेतन/ठेके पर कर्मचारियों को लगाने से पूर्व उनके नाम रोजगार कार्यालय से लिए जाने अनिवार्य थे जो प्रक्रिया सचिव नगर पंचायत द्वारा नहीं अपनाई गई जो अपतिजनक थी।

नौराड प्रोजक्ट में दैनिक वेतन पर कर्मचारी लगाने के लिए सक्षम अधिकारी की मन्जूरी ली जानी आवष्यक थी। नौराड प्रोजैक्ट में दैनिक वेतन पर रखे कर्मचारियों पर किए व्यय का कुछ उदाहरण नीचे दिया जा रहे है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यय की सूचि सचिव नगर पंचायत अपने स्तर पर तैयार करे तथा इस पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी/निदेषक शहरी विकास से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली का उत्तरदायित्व निर्धारित करके राशि को सम्बन्धित कोष में जमा करवाए की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाए विवरण परिशिष्ट ''आई'' में देखें।

5¼6½ ukjkM iktsDV esa dkWVsDV ij j[ks deZpkjh ij ₹3]13]267-00 dk vfu;fer 0;; ¼&

सचिव नगर पंयायत मनाली ने बिना सरकार के आदेश के नौराड प्रोजैक्ट मे कोंटैक्ट बेस(ठेके) पर निम्न कर्मचारी रखे, जो रखे नहीं जा सकते हैं। सरकार के आदेषों की अवहेलना करते हुए सचिव ने अपनी मर्जी से बिना रोजगार कार्यालय से नाम प्राप्त किए तथा कोंटैक्ट फार्म भरवाए बिना इन कर्मचारीयों का रखा था। इन कर्मचारियों को कहां से बुला कर नियुक्त किया अंकेक्षण में नहीं बताया गया। इस नियुक्ति को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता मामला उच्चाधिकारी के समक्ष लाया जाता है। सचिव स्थिति स्पष्ट करें कि नियमों की अवहेलना करके कौंटैक्ट बेस पर नियुक्ति कैसे की गई ? राशि की वसूली सचिव नगर पंचायत से करने बारे पग उठाएं। विवरण परिशिष्ट ''जे'' में संलग्न है।

5¼7½¼i½ fpfdRlk 0;; izfriwfrZ dks :i esa ₹18]203-00 dk vns;@vfu;fer Hkqxrku ¼&

नगर पंचायत के व्यय वाऊचरों की जांच पड़ताल में पाया गया कि कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में ₹18,203.00 की अधिक अदायगी की गई जोकि नियमानुसार देय नहीं थी। अतः अधिक भुगतान की गई राशियों की वसूली कर ली जाए तथा भविष्य में प्रतिपूर्ती की देयता के अनुसार ही भुगतान किया जाए।

(क) ₹7,284.00 की अदेय औषधियों तथा लैब टैस्ट व्यय का निधारित राशि से अधिक भुगतान किया गया। विवरण परिशिष्ट ''के'' में दिया गया है।

(ख) वाऊचर संख्या 46 अवधि 5/2004 द्वारा ₹3,461.00 का भुगतान श्री बंसी लाल सफाई सेवक को उनके जालंधर(पंजाब) में ईलाज के लिए किया गया। हिमाचल प्रदेश से बाहर ईलाज के लिए निदेषक स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश से आवष्यक स्वीकृति नहीं ली गई जिसे अब प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹3,461.00 की वसूली कर ली जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

5¼7½¼ii½ dkykrhr fpfdRlky; ifrifr fcyk dk ₹7]458-00 dk vfu;fer Hkxrku %&

निम्नलिखित व्यय वाऊचरों द्वारा अदा किए गए ₹7,458.00 के चिकित्सालय प्रतिपूर्ति बिल चिकित्सा पूर्ण होने की तीन माह की नियमानुसार निर्धारित अवधि की समाप्ति के पष्चात कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर कालातीत में प्रस्तुत किए जाने पर कालातीत हो चुके थे। अतः की गई ₹7,458 की अदायगी अनियमित थी जिसकी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6¼1½ ₹1]63]017-00 eY; ds Hk.Mkj dk lEHkkfor xcu %&

निम्नलिखित वाऊचरों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत मनाली ने मास 4/99, 11/99 और 8/99 में कुल ₹1,63,017.00 की ईंटे क्रय की हुई पाई गई/ईन्टों की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख तथा ईंटों की भण्डार/स्टोर प्रविष्टि ऑडिट में नहीं दिखाई गई। इसके अतिरिक्त ईंटों की खपत बारे कोई भी अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख के अभाव में किया गया व्यय ऑडिट में सत्यापित नहीं किया जा सकता जिसे आगामी अंकेक्षण पर वांछित अभिलेख सहित सत्यापित करवाना सुनिष्चित किया जाए।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k ¼#i;s e½	fooj.k
43	4/99	24,600.00	8000 ईंटें इन्दिरा देवी ईट/रेत सप्लायर आलू ग्राऊंड मनाली से खरीदी गई।
33	11/99	97,817.00	55500 ईंटें सतपाल ठेकेदार मनाली से खरीदी गई।
62	8/99	40,600.00	14000 ईंटें लखनपानल गुड़स कैरियर मॉडल टाऊन मनाली से खरीदी गई।
		₹1]63]017-00	

6¼2½ ₹25]000 dk lfnX/k 0;;@Hk.Mkj dk lHkkfor xcu %& Quhpj dh [kjhn ckjs

सचिव ने नौराड प्रोजैक्ट से वाऊचर संख्या 35 अवधि 11/01 द्वारा ₹25,000.00 का फर्नीचर खरीदा था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

uke oLrq

1 अलमारी

2 रिवालविंग चेयर

3 एक्जक्यूटिव टेबल

4 8 नम्बर कुर्सी

5 पेपर ट्रे

6 सीढी

उक्त सामान महामाया स्टील इन्डस्ट्री भोजपुर सुन्दर नगर से खरीदा गया। नौराड प्रोजैक्ट कार्य नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा ही संचालित किया जा रहा था तब फर्नीचर खरीदने की क्या आवष्यकता पड़ी और सम्बन्धित सामान की खरीद की ऐसी क्या आपात आवष्यकता पड़ी इसमें निम्न आपत्तियां पाई गई।

(क) इसका भण्डार इन्द्राज पंजिका अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई।

(ख) जिला कुल्लू में जब फर्नीचर की दुकानें थी तो सामान मनाली से 135 कि0मी0 दूर खरीदने की क्या आवष्यकता थी।

(ग) सचिव ने अपने गृह नगर से सामान खरीदा इस बारे स्थिति स्पष्ट करें कि अपने गृह नगर से सामान क्यों खरीदा गया।

(घ) सामान कुल्लू स्थित फर्नीचर शॉप/मनाली स्थित फर्नीचर शॉप से काफी महंगा खरीदा था व खरीदे गए सामान का स्पेसीफिकेषन भी अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

6¼3½ gtkjk #i;k d fctyh d lkeku dh [kir l lEcfU/kr vfHkys[k vkfMV e iLrqr u djuk&Hk.Mkj dk lHkkfor xou ¼&

बिजली के स्टॉक स्टोर रजिस्टर एस0एल0 3 और 4 के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 1.10.1999 से 13.10.2003 तक हजारों रुपयों का बिजली का सामान जारी किया गया। यह सामान किसे जारी किया गया कहां पर इस्तेमाल किया तथा इसका अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं है न तो भण्डारण रजिस्टर में प्राप्तकर्ता के कोई हस्ताक्षर पाये गए। ऐसी स्थिति में जारी स्टॉक जिसकी कीमत हजारों/लाखों रुपये हो सकती है के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। अतः वास्तविक स्थिति से ऑडिट को अवगत करवाया जाए ताकि बिजली के सामान पर किया गया व्यय सत्यापित हो सके अन्यथा दोषी के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाऐं। जारी किए गए बिजली के सामान का विवरण परिशिष्ट ''एल'' में दिया गया है।

6¼4½ ₹16]487-00 eY; d Hk.Mkj dk lEHkkfor xcu ¼&

नगर पंचायत मनाली के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय बालन(Fuel Wood) खरीदने हेतु किया गया था। इसका भण्डार इन्द्राज सम्बन्धित प्रभारी द्वारा नहीं किया गया था। बिना भण्डार इन्द्राज के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। आगामी अंकेक्षण के समय भण्डार इन्द्राज तथा खपत सम्बन्धी अभिलेख ऑडिट को दिखाना सुनिष्चित किया जाए। अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जाए तथा की गई कार्यवाही से ऑडिट का अवगत करवाया जाए।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
48	4/99	1,643.00	₹547.00 का भुगतान हिमाचल प्रदेश वन निगम मनाली को किया गया।
23	05/99	547.00	अदायगी हिमाचल प्रदेश वन निगम मनाली को की गई।
51	05/99	543.00	अदायगी हिमाचल प्रदेश वन निगम मनाली को की गई।
27	10/2000	13,754.00	₹456.00 का भुगतान हिमाचल प्रदेष वन निगम मनाली को किया गया।
		₹16]487-00	

6¼5½ ₹1]37]755-00 eqY; dk lkeku dk lEHkkfor nqjfofu;kstu ¼&

वाऊचर संख्या 72 अवधि 1/02 द्वारा ₹1,30,405.00 का भुगतान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू को क्रेट वायर की खरीद के लिए किया गया था परन्तु इसका भण्डारण इन्द्राज व खपत अंकेक्षण में नहीं बताया गया जिससे सामान का संभावित दुरविनियोजन प्रतीत होता है। अतः इस विषय में नियमानुसार कार्यवाही तथा क्रेट वायर के मूल्य की वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6¼6½ वाऊचर संख्या 239 अवधि 3/03 द्वारा 15 कैलकुलेटर ₹7,350 मूल्य में अनुभव इलैक्ट्रो विज्ञान मनाली से क्रय किए दर्षाए गए। अंकेक्षण जांच पड़ताल में मालूम हुआ कि पंचायत के सभी कर्मचारियेां के पास कैलकुलेटर विद्यमान थे। कैलकूलेटर खरीदने के लिए कर्मचारियों की मांग सूची भी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस खरीद के लिए पूर्व सचिव ने ना तो कमेटी की मन्जूरी ही प्राप्त की और न ही कैलकूलेटरों की भण्डार पंजिका में स्टॉक ऐन्ट्री की और खपत भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी जिससे सामान का संभावित दुरविनियोजन प्रतीत होता है। अतः इस विषय में उचित

कार्यवाही अपेक्षित है। ₹7,350.00 की वसूली करके पंचायत कोष में जमा करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6¼7½ Hkkjh ek=k esa Ø; dh xbZ ys[ku lkexzh dk [kir dk vkSfpR; dk fcuk ₹29]419-00 dk lafnX/k O;; ¼&

नौराड निधि से ₹29,419.00 मूल्य की लेखन सामग्री निम्नानुसार क्रय की दर्षाई गई जिसे नियमानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार की मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से न लेकर खुले बाजार से प्राप्त किया गया जो कि आरम्भ में ही अनियमित थां इतनी भारी मात्रा में की गई लेखन सामग्री की खरीद व खपत का औचित्य अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे यह व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। इस विषय में आवष्यक जांच अपेक्षित है :–

okÅpj la[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
212	1/03	7,890.00	अदायगी सिकरी बुक डिपो मनाली को की।
248	3/03	21,529.00	100 रिम फोटो स्टेट पेपर, फैक्स रोल इत्यादी का भुगतान मैसर्ज राय बुक शॉप मनाली को किया दर्षाया गया ।
		₹29]419-00	

6¼8½¼1½ ₹2]38]295-00 dk lafnX/k Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 5 अवधि 6/01 द्वारा ₹2,38,295.00 का भुगतान जाम्बे ठेकेदार को किया दर्षाया गया। परन्तु भुगतान के प्रयोजन के समर्थन में सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः ₹2,38,295.00 की तुरन्त वसूली की जाए तथा उसे पंचायत कोष में जमा करवा के अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6¼8½¼2½ fu/kkZfjr vko';d vfHkys[k dk fcuk ukSjkM izkstSDV ls n'kkZ;k x;k ₹55]56]441-00 dk lafnX/k O;; ¼&

नौराड प्रोजैक्ट में हुए निर्माण कार्य के सम्बन्धित दस्तावेज आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसमें माप पुस्तिका, वर्क रजिस्टर, टैण्डर फार्म, कन्ट्रैक्ट लैज़र थी। इनके अभाव में अनुदान राशि के रूप में प्राप्त धनराशि का निरीक्षण नहीं हो सका। आगामी अंकेक्षण के समय सम्बन्धित रिकार्ड आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	ftl Hkqxrku fd;k
19	10／01	1,44,574.00	नील चन्द ठेकेदार को अदायगी की
19／1	10／01	1,74,756.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
20	10／01	2,39,875.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
21	10／01	1,21,364.00	बालक राम ठेकेदार को अदायगी की
22	10／01	1,97,189.00	जागम्बे ठेकेदार नेपाली को भुगतान किया गया।
32	11／01	1,39,201.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
40	12／01	2,90874.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
43	12／01	2,61,902.00	बालक राम ठेकेदार को अदायगी की
64	1／02	5,00,769.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
65	1／02	94,200.00	बालक राम ठेकेदार को अदायगी की
67	1／02	50,037.00	बालक राम ठेकेदार को अदायगी की
68	1／02	81,200.00	बालक राम ठेकेदार को अदायगी की
79	2／02	3,95,534.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
88	3／02	3,73,901.00	जागम्बो ठेकेदार को अदायगी की
92	3／02	4,21,610.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
105	5／02	3,94,763.00	जागम्बो ठेकेदार को अदायगी की
106	5／02	2,18,773.00	नील चन्द ठेकेदार को भुगतान किया
123	7／02	33,188.00	नील चन्द ठेकेदार को भुगतान किया
139	8／02	44,017.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
140	8／02	1,55,456.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
146	8／02	1,44,617.00	जोगिन्द्र ठेकेदार को अदायगी की
147	8／02	2,71,348.00	जोगिन्द्र ठेकेदार को अदायगी की

148	8/02	24,423.00	जागम्बो ठेकेदार को अदायगी की
162	9/02	41,535.00	बालक राम ठेकेदार को अदायगी की
163	9/02	33,464.00	बालक राम ठेकेदार को अदायगी की
164	9/02	1,76,339.00	बालक राम ठेकेदार को अदायगी की
174	10/02	1,40,629.00	नील चन्द ठेकेदार को भुगतान किया
188	1/03	2,07,366.00	जागम्बो ठेकेदार को अदायगी की
286	7/03	73,584.00	चमन लाल ठेकेदार को अदायगी की
422	7/04	1,09,953.00	गोविन्द राम ठेकेदार को भुगतान किया

6¼9½ ₹24]681-00 dk vukf/kd`r Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 1 अवधि 5/01 द्वारा ₹24,681.00 का भुगतान ड्राफ्ट बनाने हेतु किया गया था यह व्यय नौराड निधि से सचिव नगर पंचायत द्वारा किया गया था। नौराड नियमों के अनुसार इस प्रकार का व्यय इस निधि से नहीं किया जा सकता था नियमों के विरूद्ध सचिव के द्वारा किया गया ड्राफ्ट बनाने का व्यय अनुचित था तथा इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता इस भुगतान राशि की वसूली सचिव से करके नौराड निधि में जमा करवाए। भविष्य में इस प्रकार के व्यय से परिहार किया जाए।

6¼10½ [kkuk f[kykus ij ₹225-00 dk vfu;fer 0;;] okÅpj la[;k 31 vof/k 4@04 ckor jkf'k 5]507-00 ¼&

₹225.00 का भुगतान मनाली फूड कार्नर मनाली को 9 खाने हेतु किया गया यह खाना किसे खिलाया गया जिसका अभिलेख में कोई विवरण नहीं था इसके साथ प्राप्त बिल नगर पंचायत मनाली के नाम भी नहीं था। अतः उक्त राशि की वसूली सचिव नगर पंचायत से करके नगर पंचायत कोष मे जमा करवाए तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6¼11½ vfHkys[k o dk;Zi=.kkyh dh ikjnf'kZrk ds fcuk ₹17]084-00 dk lafnX/k 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 51 अवधि 2/01 द्वारा ₹17,084.00 का भुगतान थॉमस स्टोर मनाली को किया गया था उक्त राशि की अदायगी किस उदेष्य के लिए की गई थी यह अंकेक्षण में नहीं बताया गया न ही सम्बन्धित रिकॉर्ड अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया जिसके अभाव में व्यय की जांच पूर्ण नहीं की

जा सकी आगामी अंकेक्षण में सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करें अन्यथा राशि की वसूली की जानी सुनिष्चित करें।

6¼12½ fu;ek dh vuikyuk d fcuk ₹2000-00 dk vfu;fer 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 28 अवधि 8/01 द्वारा ₹2,000.00 का भुगतान गौतम टायर एण्ड ट्रिड घनोटू (मण्डी) को गाड़ी के टायर रिमोल्ड करवाने हेतु किया गया था किस गाड़ी के टायर रिमोल्ड करवाए गए हैं का विवरण सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया इस व्यय में निम्न आपत्तियां पाई गई।

(क) जब कुल्लू में टायर रिमोल्ड करवाने का कारखाना है तो मनाली से 120 किलो मीटर दूर टायर रिमोल्ड करवाने का क्या औचित्य था ?

(ख) गाडी से टायर को रिमोल्ड करने बारे कार्यालय आदेश भी नही बताए गए।

(ग) कोटेषन अंकेक्षण में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।

(घ) गाड़ी के चालक की रिपोर्ट भी अभिलेख में मौजूद न थी तथा गाड़ी के टायर कितने किलोमीटर चले थे की रिपोर्ट भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

उपरोक्त आपत्तियों का उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करें अन्यथा अनियमित व्यय की वसूली सुनिष्चित की जाए।

6¼13½ okÅpj l[;k 49 vof/k 4@99 }kjk ₹904-00 dk vfu;fer Hkxrku ¼&

₹904.00 का भुगतान सूद गुडज ट्रांसपोर्ट कम्पनी मनाली को चार नग सामान चण्डीगढ से मनाली तक पहुंचाने हेतु किया गया। चण्डीगढ से मनाली कौन सा सामान लाया था का अंकेक्षण में कोई विवरण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव के द्वारा पूर्व में इस सामान को लाने हेतु कोई आदेश नहीं दिए गए थे और न ही काई सम्बन्धित आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत कर सके। इस व्यय को अभिलेख के बिना उचित नहीं माना जा सकता इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6¼14½ ₹2]96]708-00 dk lfnX/k 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 20 अवधि 6/01 द्वारा ₹2,96,708.00 का भुगतान प्राचार्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला मनाली जिला कुल्लू को किया दर्षाया गया। भुगतान किस उपलक्ष्य में किया गया तथा क्या

यह नियमानुकूल नगर पंचायत निधि पर उचित प्रभार था और क्या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी और Mode of Payment के साथ–साथ प्राप्ति की रसीद (APR) इत्यादि आवष्यक अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके बिना व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः वांछित अभिलेख व पत्राचार अंकेक्षण में प्रस्तुत करके व्यय का औचित्य बतलाया जाए।

6¼15½ fpfdRlk vf/kdkjh d s ijke'k d s fcuk nokbZ;k dh [kjhn ij ₹4]550-00 dk vfu;fer O;; ¼&

वाऊचर संख्या 17 अवधि 5/99 द्वारा ₹4,550.00 का भुगतान हीरा मोती मैडीकल स्टोर मनाली को 15 नम्बन वाईट–एण्टी–रैबिन इन्जैक्षन खरीदने हेतु किया गया। बिल पर सचिव, नगर पंचायत मनाली का नाम अंकित था परन्तु चिकित्सालय की कोई भी पर्ची रिकॉर्ड में विद्यमान नहीं थी। न तो दवाई की खपत बारे कोई अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत किया गया। अतः चिकित्सा अधिकारी के परामर्ष के बिना क्रय की गई दवाई तथा उपयोग का कोई अभिलेख न पाया जाना अनुचित व्यय को दर्षाता है जिसका औचित्य ऑडिट को दिया जाए अन्यथा वसूली सुनिष्चित की जाए।

6¼16½ fu;eksa dh vuqikyuk d s fcuk ₹3]800-00 dk vfu;fer O;;] okÅpj la[;k 37 vof/k 10@04 ckor jkf'k ₹3]800-00 ¼&

₹3,800.00 का भुगतान बैलकम फर्नीचर मनाली को नगर पंचायत मनाली की गाड़ी नम्बर एच0पी0–34–3473 की सीट कबरों की मुरम्मत हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई। इन आपत्तियों का तुरन्त निपटारा किया जाना सुनिष्चित किया जाए :–

(1) वांछित मुरम्मत करवाने हेतु वाहन चालक द्वारा लिखा पत्र प्रस्तुत अभिलेख में नहीं पाया गया।

(2) मुरम्मत कार्य करवाने हेतु नगर पंचायत की स्वीकृति प्राप्त की हुई नहीं पाई गई।

(3) मुरम्मत के फलस्वरूप वाहन के बदले गए पुराने सामान जो उपयोग योग्य/निलामी योग्य हो की वाहन स्टॉक स्टोर में प्रविष्टि नही दिखाई गई।

6¼17½ nSfud osru Hkksxh deZpkjh dks vuqifLFkr fnuksa d s fy, ₹765@&dk vf/kd Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 12 अवधि 8/99 द्वारा ₹1,581.00 का भुगतान श्री मिलाप चन्द दैनिक भोगी चौकीदार को किया गया। उक्त चौकीदार 8.7.99 से 22.7.99 तक अपनी डियूटी से अनुपस्थित था तथा सचिव द्वारा 8.7.99 से 22.7.99 तक का भुगतान ₹51.00 प्रतिदिन के हिसाब से ₹765.00 कर दिया जो दिया जाना गलत था इस भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली चौकीदार से की जाए अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित सचिव से की जाए जिसके द्वारा भुगतान किया गया था अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

6¼18½ fu;ek dh vun[kh d QyLo:i ₹12]000-00 dk vfu;fer Hkxrku %&

वाऊचर संख्या 74 अवधि 2/01 द्वारा ₹12,000.00 का भुगतान जे0के0 इन्डस्ट्री दयाल बिला सुन्दरनगर को दो फैरो सीमेन्ट लेन्टरीन खरीदने हेतु किया गया। नगर पंचायत मनाली के पास काफी मात्रा में शौचालय निर्मित थे तब इन शौचालयों को खरीदने की क्या आवष्यकता पड़ीं इस खरीद में निम्न आपत्ति प्रकाश में पाई।

(क) खरीद से पूर्व सक्षम अधिकारी से मन्जूरी नहीं ली गई थी।

(ख) इस शौचालय को कांह लगाया गया के बारे नगर अभियन्ता की मन्जूरी/आदेश रिकॉड में विद्यमान नहीं थे ।

(ग) इस खरीद का भण्डारण इन्द्राज अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

(घ) ऐसे शौचालय की खरीद बारे बजट में प्रावधान नहीं रखा गया था तब बजट के बिना खरीद का औचित्य स्पष्ट करें।

(ङ) नगर अभियन्ता से भी खरीद से पूर्व मन्जूरी नहीं ली गई थी।

अंकेक्षण आपत्तियों का उचित औचित्य व अभिलेख की पुष्टि से निपटारा करें अन्यथा अनियमित व्यय की वसूली सुनिष्चित की जाए।

6¼19½ uxj iapk;r fuf/k ij mfpr iHkkj u gkus ls ₹7]970-00 dk vo/k Hkxrku %&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय नगर पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं था। इस व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से न ली गई थी फलस्वरूप व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता इस व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ले कर नियमित करवाएं अन्यथा व्यय का उत्तरदायित्व निर्धारित करके समस्त राशि दोषी कर्मचारी से वसूली जाए तथा की गई कार्यावाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
40	4/00	₹3,800.00	विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की अदायगी वी0आर0 रोकी मनाली को की गई।
43	1/02	₹2,170.00	एक दरी रंगषाला हेतु हिमाचल खादी मण्डल कुल्लू से खरीदी गई।
31	5/02	₹2,000.00	₹2,000.00 का भुगतान समतन शॉप नम्बर 2 मनाली को एक षिव की मूर्ति खरीदने हेतु की गई इस पर सचिव नगर पंचायत बन्जार का नाम अंकित था जो न्यायोचित नहीं था।
		₹7]970-00	

6¼20½ okÅpj l[;k 31 ekg 9@2000 jkf'k ₹7]259-00 %&

उपरोक्त वाऊचर के अवलोकन पर पाया गया कि ₹7,259.00 का भुगतान श्री सुरेन्द्र खन्ना वकील को नगर पंचायत के मुकदमें लड़ने हेतु यात्रा प्रभार के रूप में किया हुआ पाया गया। क्या यह भुगतान कानूनी प्रभार के अतिरिक्त देय था अर्थात वकील के साथ निर्धारित शर्तों के अर्न्तगत यात्रा प्रभार अलग से देय था या सभी खर्चे कानूनी (Legal Charges) प्रभार में ही सम्मिलित थे। इस सम्बन्ध में वकील के साथ तय हुई शर्तों से सम्बन्धित अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में किया गया यात्रा प्रभार ऑडिट में सत्यापित नहीं किया जा सका इसके साथ–साथ मुकदमें नस्ति और मुकदमा रजिस्टर भी ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः वांछित अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए ताकि यात्रा प्रभार सत्यापित हो सके।

6¼21½¼a½ foUVj dkfuloky ij ₹23]704-00 dk ipk;r dk"k l vukf/kd'r 0;; %&

नगर पंचायत के अभिलेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय विन्टर कार्निवाल जिसका आयोजन प्रषासन जिला कुल्लू की और से किया जाता है, पर किया गया। विन्टर कार्निवाल पर नगर पंचायत निधि से व्यय करना उचित नहीं था। यह व्यय विन्टर कार्निवाल कोष से किया जाना आपेक्षित था। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता विन्टर कार्निवाल पर किया गया व्यय की राशि को विन्टर कार्निवाल निधि से लेकर नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं अन्यथा दोषी

कर्मचारी से वसूल करके जमा करवाएं भविष्य में नियमाधीन व्यय करने की प्रवृति बनाई जाए। की गई कार्यावाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

okÅpj l[;k	vof/k	jkf'k	fooj.k
36	6/99	₹5,154.00	बैनर की अदायगी कमल आर्ट सैन्टर मनाली को की गई।
43	3/00	₹3,000.00	3 नम्बर तरपाल राम लाल एण्ड सन्ज अखाड़ा बाजार कुल्लू से खरीदे गए।
50	1/02	₹1,747.00	(i) ₹180.00 का भुगतान 2 दर्जन गिलास हेतु गुलेरिया जनरल स्टोर मनाली को किया (ii) ₹460.00 का भुगतान कार्तिक इन्टरप्राइज़ मनाली को किया गया। (iii) ₹80.00 का भुगतान किसे किया यह नहीं बताया गया इस राशि से मिट्टी तेल खरीदा गया है।
41	12/04	₹3,303.00	₹221.00 जल पान हेतु व्यय किए गए।
		₹13]204-00	

6¼21½¼b½ सचिव नगर पंचायत मनाली ने ₹10,500.00 का भुगतान गुलेरिया ऑफसेट प्रिंटर्स मनाली को विन्टर कार्निवाल के पोस्टर छपवाने हेतु किया। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं थां यह काम प्रषासन विन्टर कार्निवाल मनाली का था। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना गया। राशि की वसूली ब्याज सहित सचिव नगर पंचायत से वसूल करके नौराड निधि में जमा करवाए तथा इस बारे में निदेषालय को सूचित करें।

6¼22½ dkfuZoky lkohuj d: Mkus'ku Q.M dh ikIr jkf'k ₹5]21]419-00 dk uxj iapk;r dk"k e: tek u djok;k tkuk %&

नगर पंचायत मनाली के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि सचिव नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2003 में विन्टर कार्निवाल के सोवीनर हेतु विभिन्न विभागों/संस्थानों से ₹5,21,419.00 की भारी राशि प्राप्त की इस राशि को सचिव ने नगर पंचायत फण्ड में जमा करवाने का कोई रिकॉर्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया। इस निधि से कितने सोवीनर किस दाम पर किस फर्म से छपवाए थे का रिकार्ड भी अंकेक्षण मे आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना रिकॉर्ड के सचिव द्वारा प्राप्त

की गई राशि के दुयपयोग होने का संदेह लगता है। अतः ₹5,21,419.00 का नगर पंचायत कोष में जमा करवाने का तथा उसके व्यय का पूर्ण ब्यौरा आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। राशि के नगर पंचायत कोष में जमा न करवाने की स्थिति में गबन के मामले में उचित कार्यवाही की जाए और कम जमा करवाई गई राशि की दण्ड स्वरूप ब्याज सहित वसूली प्राप्त की जाए।

इसी प्रकार इस राशि के व्यय की अभिलेख प्रस्तुत करके पारदर्षिता के साथ पुष्टि की जाए अन्यथा अनुचित रूप से व्यय के लिए नियमानुसार उचित कार्यावाही की जाए। राशि जिस–जिस विभाग संस्थान से प्राप्त हुई का ब्यौरा निम्न प्रकार था :–

Øe la[;k	ftl ls jkf'k izkIr dh xbZ	jkf'k
1	तहसीलदार मनाली	₹97,501.00
2	सचिव नगर पंचायत मनाली	₹45,661.00
3	तिब्बत वैलफेयर अधिकारी मनाली	₹16,667.00
4	विन्टर कार्निवाल आफिस मनाली	₹3,27,600.00
5	रीडर एस0डी0एम0 मनाली	₹34,000.00
		₹5]21]419-00

6¼23½ fcuk dk;kZy; uke dh dksVs'ku izkIr dh xbZ ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न सामान के क्रय करने से पूर्व जो कोटेषनें प्राप्त की थी उन कोटेषनों पर कार्यालय का नाम अंकित नहीं किया गया था कि कोटेषन किस कार्यालय हेतु प्राप्त की है। कार्यालय का नाम अंकित न होने के अभाव के कारण कोटेषनों को वैद्य नहीं माना जा सकता। सचिव नगर पंचायत द्वारा कोटेषनें केवल दिखावे हेतु रिकॉर्ड में लगाई हैं जबकि सामान जिस फर्म से क्रय किया गया है केवल फर्म को अनावष्यक लाभ देने हेतु सामान सम्बन्धित फर्म से खरीदा था जो अनियमित था रिकॉर्ड में कार्यालय से कोटेषन प्राप्त करने बारे कोई पत्र भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में खरीद को उचित नहीं माना जा सकता अन्यथा इसे न्यायोचित ठहराया जाए। भविष्य में कोटेषनें नियमानुसार आमन्त्रित करने की प्रक्रिया अपनाना सुनिष्चित करके खरीद की जाए तथा सामान को दर संविदा वाली फर्म से खरीदना सुनिष्चित करें यदि सम्बन्धित सामान की दर संविदा न की गई हो तो अनापति प्रमाण पत्र, भण्डार

क्रय विभाग से लिया जाना आवष्यक समझें अन्यथा खरीद की जिम्मेवारी/उत्तरदायित्व सचिव नगर पंचायत की होगी।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
29	8/99	16,100.00	22 पाईप अनिल हार्डवेयार स्टोर मनाली से खरीदी गई।
21	8/02	16,800.00	1/2 कट पाईप की ढुलाई अम्बाला से मनाली तक की अदायगी ए0एस0 स्पन पाईप इन्डस्ट्री भाम्वला मण्डी को की गई।

6¼24½ fctyh ds [kEcks dh ₹1]55]059-00 dh [kjhn esa ikbZ xbZ vfu;ferrk,a ¼&

वाऊचर संख्या 48 अवधि 6/2004 द्वारा ₹1,55,059.00 का भुगतान मैसर्ज अषोक स्टीलज बिलासपुर के 30 अदद बिजली के खम्बों की खरीद हेतु किया दर्षाया गया है परन्तु इतनी बड़ी खरीद के लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति कार्य का प्राक्कलन, बाजार–भाग स्पर्धा का लाभ लेने के लिए टैन्डर, तुलनात्मक सारणी व न्यूनतम दरों की स्वीकृति तथा खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि व उसका अधिकारियों क पैनल द्वारा सत्यापन तथा उपयोगिता माने सामान कहां पर उपयोग किया गया कुछ भी अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे खरीद का औचित्य ठहराया जा सकता। उपरोक्त अभिलेख के अभाव में खरीद मान्य नहीं हो सकती। अतः सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाऐ तथा यह भी स्पष्ट करें कि बाजार में लोहे की कीमतें कम होते हुए भी उसे 38 रुपये 50 पैसे कि अधिक दर पर कैसे खरीदा गया इस विषय की भी जांच की जाए।

6¼25½ vkSipkfjDrkvksa dh vuqikyuk ds fcuk ₹1]99725-00 dk lafnX/k O;; ¼&

वाऊचर संख्या 42 अवधि 10/06 द्वारा ₹1,99,725.00 की अदायगी मैसर्ज अषोक स्टील बिलासपुर के डस्टबिनों की मुरम्मत हेतु की गई दर्षाई गई थी परन्तु उससे सम्बन्धित व्यय वाऊचरा–फर्म का बिल जिसमें मुरम्मत का ब्यौरा होता, N.I.T, प्रैस टैण्डर, निविदाएं, तुलनात्मक विवरणी, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, व्यय की स्वीकृति तथा सैनेटरी प्रभारी के डस्टबिनों की मुरम्मत करवाने हेतु पत्राचार इत्यादि कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया ओर न ही सम्बन्धित पंजिकाओं में मुरम्मत का इन्द्राज दिखाया गया। सम्पूर्ण औपचारिक्ताओं तथा वास्तविक अभिलेख के अभाव में मुरम्मत कार्य पर दर्षाया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस मामले की जांच निषपक्ष उच्च अधिकारी द्वारा करवाने की सिफारिश की जाती है।

6¼26½ fu:i;kxh Qkfxax e'khu dh [kjhn ij ₹1]16]323-00 dk vi0;; o ml ij vukf/kd`r ₹10]575@&fcØh dj dk vuqfpr Hkqxrku ¼&

नगर पंचायत के लेखों की जांच पड़ताल में यह पाया गया वाऊचर संख्या 305 अवधि 8/04 द्वारा ₹1,16,325.00 का भुगतान एक फौगिंग मषीन की खरीद के लिए मैसर्ज एस0के0 इन्टरप्राइज़िज नई दिल्ली को किया दर्षाया गया। ऐसी खरीद के लिए नौराड निधि में कोई प्रावधान नहीं था इसी प्रकार इस निधि से बिक्री कर की अदायगी भी नियमित नहीं थी अतः ₹10,575.00 की बिक्री कर के रूप में अदायगी भी नही की जानी थी। इसके अतिरिक्त मषीन की खरीद के लिए निर्धारित औपचारिक्ताओं के तहत टैण्डर आमंत्रित करने आवष्यक थे जो नहीं मंगवाए गए अतः बाजार स्पर्धा के लाभ से वंचित रह कर अधिकतम मूल्य पर खरीद करने से भी नौराड निधि को क्षति पहुंची। अन्य अभिलेख की छानबीन पर मालूम हुआ कि मषीन को कभी प्रयोग नहीं किया गया जिससे ₹1,16,325 का अपव्यय हुआ। अतः उपरोक्त आपत्तियों का समाधान अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें अन्यथा नियमों की उलंधना व उसके फलस्वरूप हुए नुकसान के लिए जिम्मेवारी ठहराई जाए।

6¼27½ fcuk fuohnk,¡ vkef=r fd, ₹1]19]962-00 dk vf/kd 0k vfu;fer 0;;@fufonk fcuk [kjhn ckj¡ ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत सचिव द्वारा बिना निविदा प्राप्त किए निम्न सामान का क्रय किया गया था जो नियमों के अर्न्तगत उचित नहीं था। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता–1975 के नियम 170(4) के अर्न्तगत ₹500 से उपर की खरीद हेतु निविदा खुली मार्किट से ली जानी आपेक्षित थी। सचिव नगर पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर निम्न सामान निविदा आमंत्रित किए बिना क्रय किया गया जो सम्बन्धित फर्म को अनावष्यक लाभ देने हेतु किया हुआ प्रतीत होता है। इससे नगर पंचायत को बाजारी प्रतिस्पर्द्धा से मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः बिना निविदा से क्रय किए गए सामान का औचित्य ऑडिट को दिया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता का ध्यान रखा जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k	fo'k"k dFku

29	10/99	15,656.00	5½'' x 5½'' स्लेट की खरीद योल राम एण्ड सन्ज सैंज जिला कुल्लू (हिमाचल प्रेदश)	(1) खरीद से पूर्व नगर अभियन्ता की मन्जूरी प्राप्त नहीं की गई। (2) सामान खरीद का औचित्य अंकेक्षण में नहीं बताया गया।
54	5/00	10,075.00	ग्लो साईन बोर्ड का भुगतान क्रियोटिव आर्ट गुटकर को किया गया।	(1) प्राक्कलन बताए बिना बोर्ड बनाए गए। (2) तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त नही की गई थी।
31	8/01	2,750.00	50 किलटे धर्मचन्द सपुत्र सेवक राम मनाली से लिए।	
25	10/03	17,400.00	₹16,150.00 का भुगतान हिम संन्ज कैमीकल इन्डस्ट्री मण्डी से चूना/डी0डी0टी0 की खरीद हेतु किया।	
35	4/02	74,081.00	पी0वी0सी0 पाईपें जय माता दी इन्डस्ट्री सुन्दरनगर से खरीदी।	(1) खरीद का प्राक्कलन नहीं बनाया गया था। (2) पाईपों की क्या आवष्यकता पड़ी कि मनाली से न खरीद करके अपने गृह नगर सुन्दरनगर से खरीदी।
		₹1]19]962-00		

6¼28½ fcuk LifLkfQd'ku o fcuk V.Mj dky fd, ₹4]80]421-00 dk vfu;fer 0;; %&

नगर पंचायत के लेखों की जांच पड़ताल के अन्तर्गत मालूम हुआ कि वाऊचर संख्या 198 अवधि 1/03 द्वारा ₹1,31,671.00 तथा वाऊचर संख्या 249 अवधि 8/03 द्वारा ₹3,48,750.00 के गारवेज पिट मैसर्ज अषोक ग्रामीण उद्योग एसोसिएषन बिलासपुर से बिना किसी निर्धारित स्पेसिफिकेषन के खरीदे गए। इसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा नियमानुसार मांगी जाने वाली संविदाएं व उनकी तुलनात्मक विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

6¼29½ ₹45]561-00 dk vuqfpr Hkqxrku cgkj %&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय सचिव द्वारा जल पान, खाना इत्यादि पर किया गया था जो इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी द्वारा नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें। विवरण परिशिष्ट ''एन'' में दर्षाया गया है।

6¼30½ cPpk d s 212 [kkuk i j ₹60]000-00 dk vfr l fnX/k 0;; ½&

नौराड लेखों की जांच पड़ताल के अर्न्तगत पाया गया कि वाऊचर संख्या 214 अवधि 1/2003 द्वारा ₹60,000.00 का व्यय बच्चों के केवल 212 खानों पर किया गया दर्षाया गया। ₹283.00 प्रति खाने की दर से बच्चों के खाने पर किसी भी प्रकार से उचित नहीं जान पड़ता। इस सन्दर्भ में नौराड प्रोजैक्ट में प्रावधान, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, विषेष आयोजन का सन्दर्भ व निविदाएं जोकि कार्यालय कार्यप्रणाली के अर्न्तगत व्यय करने के लिए अनिवार्य है अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार किस प्रयोजन हेतु बच्चे बुलाए गए थे और किन–किन पाठषालाओं से बच्चे आए उस सन्दर्भ मं आवष्यक पत्राचार व सम्बन्धित पंजियों में खाने की तिथि इत्यादि का ब्यौरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। किन नौरम्ज़ से इतनी मंहगी दर पर खाना बच्चों को खिलाया गया अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। उपरोक्त अभिलेख/सूचनाओं के बिना इतनी ऊंची दर से बच्चों के खाने पर मुरारी ढाबा मनाली को दर्षाया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी छानबीन उच्चाधिकारियों/नौराड प्रोजैक्ट के अधिकारियों से करवाई जाने की सिफारिश की जाती है।

6¼31½ vfrF;u i j ₹40]642-00 dk vo/k 0;; ½&

नगर पंचायत द्वारा नौराड निधि से खाने पर बहुत अधिक व्यय किया गया था इस निधि से यह व्यय उचित नहीं था। इसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई :–

(क) खाना किसे–किसे खिलाया गया की पूरी सूचि रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी व खाने का क्या औचित्य था वह अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

(ख) बिना टैण्डर/कोटेषन प्राप्त किए यह भुगतान किया गया था।

(ग) सक्षम अधिकारी की मन्जूरी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसमें इस प्रकार के व्यय करने बारे कहा गया हो।

उपरोक्त व्यय का अभिलेख की पुष्टि से औचित्य प्रस्तुत करें तथा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित किया जाए जिसके बिना ₹36,142.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण कृप्या परिशिष्ट ''क्यू'' पर देखें।

6¼32½ uxj iapk;r fuf/k ij migkj oLrqvk dk mfpr iHkkj u gkus ls ₹31]543-00 dk vo/k O;; %&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय शालें इत्यादि खरीदने पर किया गया यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस व्यय को सरकार की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राशि को दोषी कर्मचारी से वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं। भविष्य में इस प्रकार के व्यय से परिहार किया जाए। इस सामान का भण्डारण इन्द्राज भी नहीं किया गया था।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
32	5/00	4,750.00	अदायगी नील कण्ठ शाल मनाली को दो शालों हेतु की गई।
33	5/00	300.00	दो टोपी किनौरी शाल मनाली से खरीदी गई।
30	5/00	2,490.00	5 शालें व 5 टोपी हिलको मनाली से खरीदी गई।
31	4/04	5,507.00	₹3,940.00 का भुगतान शालें खरीदने हेतु किन्नौरी शाल मनाली को किया गया।
38	5/01	1,240.00	2 नम्बर चादर बौद्ध शाल वीवर्ज शमषी जिला कुल्लू से खरीदी।
39	9/01	979.00	₹550.00 की शाल देव भूमि शाल इन्डस्ट्री मनाली से खरीदी।
36	2/04	3,814.00	₹180.00 की टोपी किन्नौरी शाल मनाली से खरीदी।
27	12/01	8,250.00	पषमीना शालें बौध शाल इन्डस्ट्री शमषी से खरीदी गई।
	;ksx	21]700-00	

6¼33½ uxj iapk;r fuf/k ij mfpr iHkkj u gkus ls ₹9]843-00 dk vo/k O;; %&

नगर पंचायत मनाली के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय हार इत्यादि की खरीद पर किया गया था। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था इस व्यय को अंकेक्षण में

उचित नहीं माना जा सकता इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय बताई जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
19	5/99	609.00	₹120.00 की अदायगी अमरीक सिंह एण्ड सन्ज़ मनाली को 15 हार खरीदने हेतु की।
38	5/02	8,292.00	₹275.00 का भुगतान हार खरीदने हेतु न्यू शोपिंग कम्पलैक्स मनाली को किया गया।
24	1/03	882.00	₹150.00 का भुगतान अपना जनरल स्टोर मनाली को किया गया।
		₹9]843-00	

6¼34½ <u>₹7]27]400-00 dk vo/k Hkxrku ckj</u>: ¼&

रोकड़ बही अनुसार वाऊचर संख्या 380 अवधि 3/04 द्वारा ₹3,88,570.00 एवं वाऊचर संख्या 383 अवधि 3/04 द्वारा ₹3,38,830.00 का भुगतान सुरेश कुमार ठेकेदार मनाली को डी0डी0टी0 चुना, इत्यादि खरीदने हेतु किया गया। सचिव द्वारा इतनी बड़ी मात्रा की खरीद करने से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण नही की थाी और न ही खरीद से पूर्व सक्षम अधिकारी की मन्जूरी ली थी जो अनियमित था इस खरीद में निम्न आपत्तियां पाई गई।

(क) खरीद के लिए कोई टैण्डर आमन्त्रित नही किए गए थे बिना टैण्डर के सामान की खरीद की गई।

(ख) उक्त दोनों बिल रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे बिना बिल के खरीद के औचित्य को स्पष्ट किया जाए।

(ग) नौराड प्रभारी द्वारा किसी भी प्रकार की दवाई इत्यादि खरीदने बारे कोई मांग नहीं की थी बिना प्रभारी की मांग के सचिव ने उक्त दवाई की खरीद क्यों की के बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

बिना उचित मांग के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना तथा टैण्डर काल किए बगैर अधिकतम मूल्य पर खरीद करने पर नौराड निधि को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेवारी निर्धारित की जानी अपेक्षित है। की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6¼35½ fu;ek dh vuikyuk fd, fcuk lluVjh lkeku dh [kjhn ij ₹64]068-00 dk lfnX/k O;; ¼&

सचिव नगर पंचायत मनाली द्वारा वाऊचर संख्या 47 अवधि 3/05 द्वारा ₹64,068.00 का भुगतान सैनिटेषन का वर्ष 3/03 से 9/03 के मध्य खरीदे गए सामान हेतु थामस स्टोर मनाली को किया गया इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई जिसके बारे अधियाचना भी जारी की गई थी जिसका जबाब सचिव द्वारा अंकेक्षण अवधि तक नहीं दिया गया था जिसके अभाव में भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

(क) नगर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा समान क्रय करने से पूर्व कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया था और न ही कोई खरीद की मन्जूरी ली गई थी।

(ख) सैनिटरी का सामान 3/03 से 9/03 के मध्य खरीदा गया दर्षाया गया था जब कि इसका भुगतान 3/05 में लगभग 1½ वर्ष के बाद किया गया था सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में राशि के भुगतान न करने का क्या कारण था इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

(ग) अभियन्ता शाखा ने जहां सैनेटरी के सामान को लगाया का पूर्ण ब्यौरा अंकेक्षण को नहीं बताया गया व पुराने सामान को कहां डाला गया का भी कोई लेखा जोखा अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

(घ) सामान खरीदने से पूर्व निविदाएं प्राप्त नहीं की गई। जिसके बिना बाजार स्पर्धा के नियमानुसार लाभ से नगर पंचायत निधि को वंचित रहना पड़ा तथा अधिकतम दर पर खरीद करने के कारण अतिरिक्त भुगतान हुआ प्रतीत होता है जिससे भी नुकसान हुआ। इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(ङ) सचिव द्वारा एक फर्म से सामान खरीद कर केवल अनावष्यक लाभ उक्त फर्म को दिया था।

(च) सम्बन्धित सामान का इन्द्राज की प्रविष्टि माप पुस्तिका में करने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं बताई गई।

6¼36½ LFkkuh; cktkj dh vun[kh ls lnj xg {k= cktkj ls fu;ek ds fo:) egxh njk ij [kjhn ij ₹1]85]842-00 dk vo/k O;; ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत सचिव ने कुल्लू में शटर इत्यादि की बड़ी मर्किट होते हुए सामान अपने गृह क्षेत्र नैर चौक(सुन्दरनगर) से खरीदे व स्वयं

ही कोटैषनें एकत्रित की जो नियमाधीन नहीं थी। इस सामान खरीद से पूर्व अभियन्ता शाखा से किसी भी प्रकार का प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था कि कार्य पर कितना व्यय किया जाना है। इस खरीद के लिए टैण्डर आमन्त्रित किए जाने अनिवार्य थे व सचिव ने केवल फर्म को अनावष्यक लाभ देते हुए टैण्डर नहीं करवाए जबकि कुल्लू में उक्त सामान नेर चौक से 15 से 20% कम दाम पर उपलब्ध होने थे क्योंकि नेर चौक से मनाली की दूरी 120 कि0मी0 थी व उस खरीद पर किराया भी फर्म द्वारा लिया जाना तय था। इस खरीद की उच्चाधिकारी से जांच करवाई जानी चाहिए कि जिला कुल्लू से सामान न खरीद करके सचिव के द्वारा अपने गृह नगर क्षेत्र से सामान क्यों खरीदा तथा इस पर अधिक किए गए व्यय को सचिव से वसूला जाए। की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
20	9/00	₹64,555.00	अदायगी नामधारी एग्रो एण्ड स्टील फेब्रीकेषन नेर चौक को 44 नं0 शटर खरीदने हेतु की।
32	1/01	1,21,287.00	अदायगी नामधारी एग्रो एण्ड स्टील फेब्रीकेषन नेर चौक का 31 नं0 शटर खरीदने हेतु की।
		₹1]85]842-00	

6¼37½ LVªhV ykbZV ij ₹14]49]927-00 dk lafnX/k O;; ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि विधि प्रकाषन (Street Light) के सामान की खरीद से पूर्व पुराना खरीदा गया सामान की खपत ठीक प्रकार से नहीं की गई थी जिसमें निम्न त्रुटियां पाई गई।

(क) स्ट्रीट लाईट खराबी का रजिस्टर नहीं बनाया गया था।

(ख) स्ट्रीट लाईट के जिस प्वांइट को बदला जाना था की रिपोर्ट बिजली विभाग के लाईन मैन ने नहीं की थी जो उसके द्वारा की जानी आपेक्षित थी कौन सा प्वांईट को बदला जाना है व खराबी का क्या कारण है।

(ग) खराब सामान को वापिस भण्डार में न लिया गया था जिसके अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि सामान को बदला ही नहीं गया था।

(घ) बिजली विभाग का कार्यरत स्ट्रीट लाईट रिपेयर लाईनमैन के द्वारा दी गई सामान की डिमाण्ड लिस्ट भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में सामान का भण्डार में दिए जाने बारे औचित्य स्पष्ट नहीं होता।

उपरोक्त त्रुटियों के फलस्वरूप यदि बिजली के सामान की खपत ठीक प्रकार से नहीं की गई थी तब अन्य सामान खरीद करने की कोई आवष्यकता नहीं थी सचिव नगर पंचायत इस स्थिति बारे इस निदेषालय को सूचित करें कि पुराने बिजली के सामान की पूर्ण खपत किए बिना नया सामान क्यों खरीदा गया यदि कोई स्ट्रीट लाईट का सामान खराब हो गया था तो उस खराब सामान को स्टॉक में वापिस क्यों नहीं लिया गया तथा खराब सामान के (Write Off) की स्वीकृति भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई इस स्थिति को भी स्पष्ट करें इस समय भण्डार में क्या पुराना खराब बिजली का सामान पड़ा है तथा उसकी लिस्ट बनाकर इस निदेषालय को भेजें ताकि खरीदे गए सामान से उसकी वास्तविक स्थिति बारे पता चल सके।

सामान दर संविदा वाली फर्म से नहीं खरीदा गया था जो सरकार के पत्र संख्या वित्त–1–सी(14) 1/83 दिनांक 6.9.95 का सीघा उलंधन थां इसे सरकार की कार्योतर विषेष स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। विवरण परिशिष्ट ''पी'' में उपलब्ध है।

6¼38½ ₹16]265-00 dk vukf/kd`r 0;; ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय स्टीकर की खरीद पर किया गया था यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था न ही इस खरीद का कोई औचित्य था इस खरीद को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा भविष्य में ऐसे व्ययों से परिहार किया जाए। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
18	4/99	₹7,615.00	अदायगी एस0एस इन्टरप्राईज चण्डीगढ को की गई।
46	4/99	₹8,650.00	₹3,308.00 का भुगतान 2205 स्टीकर हेतु एस0एस इन्टरप्राईज

चण्डीगढ को किया गया।

6¼39½ foKkiuks ij ₹1]22]087-00 dk vuqfpr 0;; ¼&

निम्नलिखित व्यय वाऊचरों की छानबीन करने पर पाया गया कि ₹1,22,087.00 का निम्न विज्ञापनों पर व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए बिना किया गया था जो कि उचित नहीं है। बिना स्वीकृति के कोई भी भुगतान करना वित्तीय नियमों की अवहेलना है अतः उक्त दषाई गई राशि के व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके उक्त व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय बताई जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
53	4/99	₹5,000.00	अदायगी दिव्य हिमाचल, कांगड़ा को की।
63	6/99	₹2,340.00	अदायगी जनसत्ता चण्डीगढ को की।
18	7/99	₹10,000.00	अदायगी जिलाधीश कुल्लू को की।
55	8/99	₹10,000.00	अदायगी दिव्य हिमाचल, कांगड़ा को की।
27	9/99	₹2,475.00	अदायगी इण्डियन एक्सप्रैस चण्डीगढ को की।
44	5/00	₹3,000.00	अदायगी जिलाधीष कुल्लू को की।
47	5/00	₹1,000.00	अदायगी दयानन्द गौतम को रूपी सिराज कला मंच पत्रिका हेतु की।
49	8/00	₹10,000.00	अदायगी जिलाधीश कुल्लू को की।
73	2/01	₹3,000.00	अदायगी अमर उजाला समाचार पत्र को की गइं।
75	2/01	₹2,500.00	अदायगी सचिव नगर पंचायत घुमारवीं जिला बिलासपुर को की गई।
61	3/01	₹10,000.00	अदायगी मोहन लाल आचार्य लिपिक नगर पंचायत मनाली को की गई।
39	1/02	₹2,564.00	अदायगी दैनिक भास्कर को की गई।

41	1/02	₹1,950.00	अदायगी हिन्दूस्तान टाईमस मोहाली पंजाब को की गई।
25	5/02	₹3,000.00	अजीत समाचार को अदायगी की।
58	9/02	₹15,000.00	जिलाधीश कुल्लू को भुगतान किया।
26	7/03	₹1,125.00	अदायगी दिव्य हिमाचल मटौर (कांगड़ा) को की गईं।
25	7/03	₹900.00	अदायगी दिव्य हिमाचल मटौर (कांगड़ा) को की गईं।
40	8/03	₹2,650.00	अदायगी अमर उजाला को की गई।
27	10/03	₹10,000.00	अदायगी अमर उजाला को की गई।
29	10/03	₹10,950.00	अदायगी हिन्द समाचार जालन्धर को की।
37	1/04	₹4,452.00	अदायगी दिव्य हिमाचल को की गई।
28	2/04	₹4,781.00	अदायगी अमर उजाला को की गई।
	8/04	₹5,400.00	अदायगी अमर उजाला को की गई।
		₹1]22]087-00	

6¼40½ lQkbZ deZpkfj;ksa dks tkjh fn[kk, lkeku dh ikorh u gksukA 0;; lfnX/k ½&

निम्नलिखित सामान जिसका विवरण नीचे दिया गया है, सफाइ कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न तिथियों में भण्डार रजिस्टर से जारी किया गया था। जिस अधिकारी द्वारा भण्डार रजिस्टर से सामान जारी किया गया था, भण्डार रजिस्टर में उस द्वारा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर न लिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन सफाई कर्मचारियों को यह सामान जारी किया गया जैसा की भण्डार रजिस्टर मे दर्षाया गया है उन सफाई कर्मचारियों द्वारा यह सामान प्राप्त ही न किया गया हो। इस मामले बारे सचिव नगर पंचायत मनाली कार्यावाही करें तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए। कार्यालय कार्यप्रणाली के अर्न्तगत सामान प्राप्तकर्ता की अर्जी उसके अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत इन्डैंट तथा प्राप्तकर्ता के समान प्राप्त करने की पावती अनिवार्य

है। इनके बिना सामान की उपयोगिता का सत्यापन नहीं माना जा सकता। आगामी अंकेक्षण में उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य मे भी उसे (Maintain) रखा जाए।

LVkd jftLVj i"B l0	frfFk	lkeku dk uke	ftl tkjh fd;k x;k	ftruk lkeku tkjh fd;k x;kA	iklrdrk ftl lkeku tkjh fd;k x;k dk gLrk{kj
21	26.7.99	गम बूट	श्री सुरजीत सिंह	1 Pair	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
	13.11.99	गम बूट	श्री सुख पाल	1 Pair	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
	21.11.01	गम बूट	Sanitation Wards	4 Pair	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
	21.11.01	गम बूट	श्री सुरेश तथा श्री नरेश	2 Pairs	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
	6.03.02	गम बूट	श्री विनीत तथा श्री नरेश	2 Pairs	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
	26.10.02	गम बूट	Sanitation Purpose	4 Pairs	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
22	24.10.02	दस्ताने	Sanitation Purpose श्री भीषम देव	12 Pairs	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
25	3.1.00	Double Wheel Barrow (रेहड़ी)	पुष्पा	1 No	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
			श्री तीर्थ	1 No	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
29	20.11.02	विम (vim)	श्री विरमा	10 kg	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
31	13.5.02	रेहड़ी टायर	श्री राज कुमार	2 No	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।
	17.7.03	रेहड़ी टायर	सफाई कर्मचारी	16 No	स्टॉक रजिस्टर में न दर्षाये गए।

6¼41½ ekckby nwjHkk"k dh ₹11]000-00 dh vo/k vnk;xh ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि सरकार के नियमों की अवहेलना करते हुए सचिव नगर पंचायत ने श्री प्रवीण फैके, प्रधान नगर पंचायत के दूरभाष मोबाइल नम्बर 94180–33450 का 3/04 से 12/05 तक ₹500.00 मासिक बिल का भुगतान किया गया जो अवैध था। वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी दिषा निर्देषों की अवहेलना करते हुए सचिव नगर पंचायत ने मोबाईल दूरभाष नम्बर 94180–33450 का भुगतान किया। इस दूरभाष पर किए गए ₹11,000.00 का व्यय की वसूली करके राशि को नगर पंचायत कोष में जमा करवाने की और पग उठाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6¼42½ ₹6]329-00 dk vfu;fer 0;; ¼&

वाऊचर संख्या अवधि 6/04 द्वारा ₹6,329.00 का भुगतान नौराड कोष को किया गया दर्षाया गया था। महालेखाकार हिमाचल प्रदेश ने नौराड कोष के निरिक्षण दौरान ₹6,329.00 के अवैध भुगतान नौराड कोष से किया बताया था जिसकी वसूली सचिव नगर पंचायत को स्वयं वहन करनी थी परन्तु सचिव नगर पंचायत ने इस राशि को अपने जेब से न भर कर नगर पंचायत निधि से राशि की निकासी करके नौराड कोष मे जमा करवाया। सचिव ने महा लेखाकार लेखा परीक्षा की उस आपत्ति का निपटारा तो राशि जमा करवा करके कर दिया परन्तु नगर पंचायत कोष से अनाधिकृत रूप मे राशि निकलवा करके नगर पंचायत राशि का दूरूपयोग किया। नगर पंचायत निधि से इस राशि को नियमाधीन निकासी नहीं करवाई जा सकती थी अंकेक्षण में इस निकासी को उचित नहीं माना जा सकता। ₹6,329.00 की वसूली ततकालीन सचिव से ब्याज सहित लेकर नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

6¼43½ ₹48]280-00 dk vfu;fer 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 25 अवधि 11/02 के अनुसार ₹48,280.00 का व्यय 201 नम्बर 1/2 कट पाइपों की खरीद तथा उनकी स्पन पाईप इन्डस्ट्रीज भाम्बला जिला मण्डी से ढुलाई हेतु किया गया परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित प्राक्कलन, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, नगर पंचायत की बैठक में प्रस्ताव की मन्जूरी, निविदाएं, तुलनात्मक सारणी तथा एफ0ओ0आर का विवरण व ढुलाई के ₹11,200.00 के व्यय हेतु उपरोक्त अनुसार औपचारिकताओं के कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं

करवाए गए। अतः निर्धारित कार्यालय कार्यप्रणाली के अनुसार उपरोक्त व सम्बन्धित अभिलेख स्टॉक प्रविष्टि व उपयोगिता के साथ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

6¼44½ vo/k :i ls c/kkbZ i= dh Niokb ij ₹1000 dk vi0;; ¼&

वाऊचर संख्या 43 अवधि 12/03 द्वारा ₹1000.00 का भुगतान नेषनल एसोसियेषन ऑफ ब्लाइण्ड इण्डिया मनाली को बधाई पत्र छापने हेतु किया गया। यह बधाई पत्र (Greeting Cards) सचिव ने अपने नाम से छापे थे यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था इस खर्चे को सचिव के द्वारा स्वयं वहन करना था न कि नगर पंचायत की निधि से। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि को ब्याज सहित सचिव नगर पंचायत से वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

6¼45½ fctyh ds [kEcks dh [kjhn U;wure eqY; ij u djus ls uxj iapk;r dks"k dks ₹37]025-00 dh {kfr ¼&

वाऊचर संख्या 48 अवधि 6/04 द्वारा ₹1,55,059.00 का भुगतान अषोका स्टील 56 डियारा सैक्टर बिलासपुर को 30 अद्द बिजली के पोल खरीदने हेतु किया गया इस खरीद में निम्न आपतियां पाई गई :–

(क) खरीद से पूर्व कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया था कि खरीद की क्या आवष्यकता है।

(ख) बजट में खरीद का प्रावधान नहीं बताया गया।

(ग) 8 मीटर पोल की कीमत ₹5,197.50 दी गई जबकि कपूर इलैक्ट्रीकल 10 मीटर पोल ₹4,950.00 में देने को तैयार था। इस खरीद में ₹1,237.50 प्रति पोल के हिसाब से ₹37,025.00 का अधिक भुगतान किया गया।

(घ) इन पोलों का इन्द्राज़ एम0ए0एस में नहीं दिखाया गया।

(ङ) परिषद की मन्जूरी अंकेक्षण में नही बताई गई।

(च) पोलों की खपत कहां की अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

6¼46½ ₹45]854-00 dk foKkiu ij ukjkM fuf/k ls vukf?kd`r O;; ¼&

नगर पंचायत की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नौराड निधि से निम्न व्यय विज्ञापन हेतु किया गया था विज्ञापन पर व्यय की राशि की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से लेकर व्यय को नियमित करवाएं अन्यथा राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नौराड निधि में जमा करवाएं व की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को अवगत करवाएं।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
5	12/00	13,860.00	अदायगी हिन्द समाचार जालन्धर को की गई।
7	12/00	5,000.00	अदायगी इण्टरनैषनल कलब मनाली को की। यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था।
54	1/02	3,000.00	अदायगी दिव्य हिमाचल को की ।
75	2/02	2,500.00	अदायगी देवधार ट्राफी मण्डी के सचिव को की।
84	3/02	6,000.00	अदायगी अमर उजाला को की।
134	7/02	5,499.00	अदायगी दिव्य हिमाचल को की।
160	9/02	2,000.00	अदायगी दिव्य हिमाचल को की।
301	8/03	2,995.00	अदायगी दि ट्रिब्यून चण्डीगढ को की।
1	2/01	5,000.00	अदायगी इन्टरनैषनल प्रैस कलब मनाली को की।
		₹45]854-00	

6¼47½ ₹1]73]500-00 vkfdZVsDV Qhl dk vfu;fer O;; ¼&

नगर पंचायत मनाली द्वारा नौराड प्रोजेक्ट की प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करने को ₹1,73,500.00 का भुगतान घुम्मन आर्किटैक्ट फोरम(प्रा0)लिमिटिड चण्डीगढ को किया था इस अदायगी में निम्न प्रपत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके बिना अदायगी उचित नहीं जान पड़ती सम्बन्धित प्रपत्र आगामी अंकेक्षण में आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें ताकि व्यय को उचित माना जाए।

(क) प्रोजैक्ट रिपोर्ट के लिए जारी किए गए टैण्डर जिसमें नौराड प्रोजैक्ट का निर्माण किया जाना था, अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेष की आर्किटेक्ट एजैंसीयों से यह कार्य क्यों नहीं करवाया गया जबकि वे सक्षम थी।

(ग) ओपन टैण्डर क्यों नहीं करवाए गए।

(घ) अर्किटैक्ट फीस देने से पूर्व नगर पंचायत ने क्या शतें रखी थी की प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

6¼48½ ikbo:V y:c l: ikuh lEiy VLV ij ₹19]800-00 dk vfu;fer 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 80 अवधि 1/02 द्वारा ₹19,800.00 का भुगतान ईदमा लैबोटरी पंचकुला हरियाणा को पानी के सैम्पल टैस्ट हेतु किया गया। पानी के सैम्पल टैस्ट हेतु क्या आवष्यकता पड़ी के बारे अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए तथा पानी सैम्पल का टैस्ट सरकारी विभाग से न करवा करके प्राईवेट कम्पनी से क्यों करवाया गया। सरकारी विभाग की दर सूचि प्रस्तुत करें तथा सरकारी विभाग से अधिक की गई अदायगी की वसूली दोषी कर्मचारी से करके इस निदेषालय को सूचित करें।

6¼49½ ukjkM ik:t:DV l: fcuk mfpr iHkkj d: ₹55]080-00 dk vukf/kd`r@vufpr 0;; ¼&

नौराड प्रोजैक्ट की रिकार्ड की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय अवैध रूप से सचिव नगर पंचायत के द्वारा किया गया था यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की मन्जूरी भी नहीं ली गई थी। इस व्यय को इस निधि से किए जाने का औचित्य नियमानुसार आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
101	4/02	1,820.00	नगर पंचायत की फोटो मषीन के लिए ब्लैक कार्ड डीजीटल टैक्नौलोजी नैर चौक मण्डी से खरीदा गया।
120	6/02	3,640.00	नगर पंचायत की फोटो मषीन के लिए ब्लैक कार्ड डीजीटल टैक्नौलोजी नैर चौक मण्डी से खरीदा गया।
158	9/02	1,820.00	नगर पंचायत की फोटो मषीन के लिए ब्लैक कार्ड डीजीटल टैक्नौलोजी नैर चौक मण्डी से खरीदा गया।

254 3/03 47,800.00 श्री इन वन फैक्स मषीन के लिए कारटेज सन–एक्स–क्म्यूनिकेषन सुन्दरनगर मण्डी से खरीदे गए।

₹55]080-00

6¼50½ ₹1]25]722-00 dk fcØh dj tek u djus QyLo:i ljdkjh dks"k dks {kfr ¼&

सचिव नगर पंचायत मनाली द्वारा 10/99 से 9/2000 तक नगर पंचायत के विभिन्न कार्यो से ठेकेदारों की अदायगी से ₹1,25,722.00 बिक्री कर के रूप में काटा गया था। इस राशि को सचिव द्वारा सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न किया गया था जो न केवल अनियमित था बल्कि सरकार की आय के एक मुख्य स्त्रोत से प्राप्त आय जमा न करने का दोषी भी था नगर पंचायत द्वारा बनाया गया बजट वर्ष 2000–01 व 2001–02 में इस राशि का कहीं उल्लेख न किया गया था कि उक्त राशि नगर पंचायत द्वारा दी जानी आपेक्षित थीं सचिव ने बजट में सम्बन्धित सरकारी आय को न दर्षा करके बजट भी अधूरा सरकार को प्रस्तुत किया। सचिव के खिलाफ इस बारे उच्चाधिकारी को जांच करनी चाहिए कि किन कारणों से इस राशि को ठेकेदारों के बिल के काटे जाने उपरान्त भी जमा न करवाया गया। इस राशि का वर्ष 2006–07 के बजट में भी कोई जिक्र न किया गया था तथा इस राशि को बिना बजट के कैसे सरकारी खजाने में जमा करवाया जाए के बारे भी छानबीन होनी चाहिए। इस राशि रोकने का उत्तरदायित्व सचिव पर निर्धारित करके राशि सरकारी कोष में जमा करवाएं।

6¼51½ ₹1]13]000-00 dk vuqfpr Hkqxrku ¼&

नगर पंचायत मनाली द्वारा नौराड निधि से एक एकीड स्टीर लोडर, जे0सी0वी0 लिमिटिड नई दिल्ली से ₹12,43,000.00 का खरीदा जिस पर ₹1,13,000.00 बतौर 10% बिक्री कर की अदायगी की थी जो इस निधि से न की जा सकती थी नियमानुसार बिक्री कर देने का प्रावधान नौराड फण्ड में भारत सरकार ने न रखा था व इस धन को बिक्री कर रहित रखा था। इस राशि के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली सम्बन्धित फर्म से की जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मचारी से करनी सुनिष्चित करें मामले को अति गम्भीर मानते हुए पग उठाएं व की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

6¼52½ ukjkM ikstsDV ls dh xbZ [kjhn ij fcØh dj dk ₹1]75]967-00 dk vuqfpr@vf/kd @vukf/kd`r O;; ¼&

नौराड प्रोजैक्ट में सामान की खरीद पर बिक्री कर का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं था। बिक्री से नौराड में प्रयोग होने वाली खरीद को कवर नहीं किया गया था निम्न कुछ खरीद पर नगर पंचायत ने बिक्री कर अदा किया था जो उचित नहीं था इस बिक्री कर को जिसमें अदा किया हो। वसूल करके नौराड कोष में जमा करवाएं। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k	fo'k"k dFku
117	6/02	51,200.00	10 मिल्ड स्टील फोटेनर/इस्टबीन अषोका ग्रामीण उद्योग एसोसिएषन बिलासपुर से खरीदे।	(1) ₹2,200.00 बिक्री कर दिया गया। (2) इसके खरीद बारे नगर अभियन्ता ने कोई मांग हेतु नहीं लिखा था। (3) इस खरीद के ओपन टैण्डर नहीं किए थे। (4) जिला कुल्लू के बाहर डस्टबिन क्यों खरीदे के बारे स्पष्टिकरण दें।
198	1/03	1,31,671.00	गारवेज ढग कवर अषोका ग्रामीण उद्योग एसोसिएषन बिलासपुर से खरीदे।	(1) नगर अभियन्ता ने कोई खरीद हेतु प्राक्कलन जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया। (2) इतने भारी मात्रा खरीद का क्या औचित्य था।
192	1/03	2,117.00	एक तरपाल की अदायगी राम लाल एण्ड सन्ज मनाली को की।	
199	1/03	20,944.00	तरपाल की अदायगी राज कुमार कबाड़ी ऑयल बिलासपुर से की।	(1) बिक्री कर ₹2,144.00 का भुगतान किया गया। (2) खरीद से पूर्व प्राक्कलन नहीं बनाया था कि किस के लिए तरपाल की खरीद की जानी है। (3) तरपाल की कुल्लू में बड़ी मण्डी है तब तरपाल बिलासपुर से क्यों खरीदी (4) सचिव के द्वारा केवल

				उक्त फर्म को अनावष्यक लाभ दिया।
269	5/03	62,754.00	141 गारवेज डिग कवर अषोका ग्रामीण उद्योग एसोसिएषन बिलासपुर से खरीदे।	(1) बिक्री कर 4,648.00 का भुगतान किया। (2) सामान 26/–प्रति किलो ग्रा0 लिया जब कि दर 18/–रुपये की थी।
270	5/03	64,800.00	तरपाल राज कुमार कबाड़ी ऑयल बिलासपुर से लिए	(1) बिक्री कर 4,800.00 अदा किया गया। (2) खरीद से पूर्व नगर अभियन्ता द्वारा कोई एग्रीमैन्ट नहीं बनाया था।
291	7/03	1,24,300.00	जे0सी0बी0 नई दिल्ली से गाड़ी खरीदी गई।	बिक्री कर 1,13,000.00 का भुगतान किया जिसकी वसूली की जानी आवष्यक है इस फर्म का ₹12,43,000.00 थी।
305	8/04	1,16,325.00	एस0के इन्टरप्राईज़ नई दिल्ली से फोगींग मषीन ली	बिक्री कर ₹11,575.00 अदा किया गया।
237	3/03	1,18,250.00	डैम्पर प्लेसर डस्टबिन अषोका ग्रामीण उद्योग एसोसियेषन बिलासपुर से खरीदे	बिक्री कर 8,800.00 दिया ₹25,800.00 दिया गया।
339	11/03	2,400.00	अदायगी राजकुमार कवाडी ऑयल बिलासपुर को की गईं।	₹2,400.00 बिक्रीकर के रूप में दिया था

6¼53½ ₹215.00 अवधि 1/03 अनुसार ₹35,000.00 का भुगतान एजूकेषन एण्ड सोसल वैल्फेयर सोसायटी मनाली को स्ट्रीट प्ले करने हेतु किया गया। इस बारे पूरा रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जो आपेक्षित था जिस प्रकार :–

(क) स्ट्रीट प्ले करवाने की क्या आवष्यकता पड़ी के बारे पत्राचार नहीं किए गए।

(ख) इस स्ट्रीअ प्ले बारे जो प्लान कार्यालय द्वारा तैयार किया गया था वह आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) स्ट्रीट प्ले के लिए यदि कोई निविदाएं प्राप्त की हो तो उसका रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

6¼54½ वाऊचर संख्या 222 अवधि 2/03 द्वारा ₹5,000.00 का भुगतान खाद लेने हेतु इडमें लेबोरटरी लिमिटिड पंचकुला को किया गया। खाद किस प्रयोग हेतु खरीदा गया यह अंकेक्षण को नहीं बताया गया। इस खाद का भण्डार इन्द्राज भी अंकेक्षण को नहीं बताया। बिना भण्डारण इन्द्राज के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। इसका स्पष्टिकरण दिया जाए तथा व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए।

6¼55½ okÅpj la[;k 233 vof/k 3@03 ckor jkf'k ₹3]300-00 ¼&

₹3,300.00 का भुगतान सृष्टी एच–2 ग्राऊण्ड फ्लौर नई दिल्ली को पोस्टर छापने हेतु की गई। पोस्टर किस उदेष्य के लिए छपवाए गए यह अंकेक्षण में नहीं बताया गया पोस्टर का कोई सैम्पल भी रिकार्ड मे विद्यमान नही था इस भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की मन्जूरी नही ली गई थी। इस भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नौराड निधि में जमा करवाए।

6¼56½ ukSjkM ls ₹99]362-00 dk vukf/kd`r@vuqfpr O;; tks bl fuf/k ij mfpr iHkkj u Fkk ¼&

नगर पंचायत द्वारा नौराड निधि से ऐसा व्यय किया था जिसका कोई भी लाभ नौराड को न था और न ही इस व्यय को इस नौराड निधि से उचित माना जा सकता था सचिव नगर पंचायत ने यह व्यय केवल फर्म को लाभ देने हेतु किया था और नौराड निधि का दुरूपयोग किया और इस सामान की खरीद से जो नौराड निधि का दुरूपयोग सम्बन्धित कर्मचारी ने किया है को पैनल ब्याज सहित वसूल करके नौराड निधि में जमा करवाएं इसकी सूचना सरकार को भेजी जानी आवष्यक है कि किस प्रकार इस सामान पर राशि का व्यय किया है। की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

ok0 la0	vof/k	jkf'k	fooj.k
203	3/03	2,800.00	पोली वैग पारस जनरल स्टोर गान्धीनगर कुल्लू से खरीदे।
204	3/03	17,500.00	डोकूमैन्ट बैग पारस जनरल स्टोर गान्धीनगर कुल्लू से खरीदे।
205	3/03	24,000.00	अटैची बैग पारस जनरल स्टोर गान्धीनगर कुल्लू से खरीदे।
206	3/03	6,048.00	जूट बैग पारस जनरल स्टोर गान्धीनगर कुल्लू से खरीदे।

347/1	12/03	1,200.00	विडियो फिल्म की अदायगी ए0पी0एस कलर लैब मनाली को की।
368	2/05	32,000.00	अषोका स्टील बिलासपुर से 20 नम्बर ट्री गार्ड खरीदे गए जो काफी उंचे दाम के थे।
3	1/02	15,814.00	महिला कल्याण मण्डल कुल्लू को अदायगी की।
		₹99]362-00	

6¼57½ Xyk Ikbu ckM dh [kjhn ij ₹27]360-00 dk vfu;fer 0;; ¼&

₹27,360.00 का भुगतान वाऊचर संख्या 240 अवधि 3/03 अनुसार एस0एस0 इन्टरप्राईज़ेज मण्डी को ग्लो साईन बोर्ड बनाने हेतु किया गया यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस ग्लो साईन बोर्ड पर सचिव नगर पंचायत द्वारा ₹190.00 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से 12'' x 10'' का साईन बोर्ड के काफी अधिक रूप से अदायगी की थी। कुल्लू में राष्ट्रीय स्तर के ग्लो साईन बोर्ड बनाए जाते हैं तब ग्लो साईन बोर्ड सचिव द्वारा अपने गृह जिले में बनाने की क्या आपात आवष्यकता पड़ी इस की छानबीन उच्चाधिकारी से करवाए जाने की सिफारिश की जाती है।

6¼58½ ₹21]600-00 dk vukf/kd`r 0;; ¼&

नौराड निधि के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नौराड निधि से दैनिक भोगी सफाई सेवकों के गम बूट खरीदे गए थे जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। दैनिक भोगी सफाई सेवकों को लगाने की कोई अनुमति सक्षम अधिकारी से न ली गई थी बिना मन्जूरी सफाई सेवकों को दैनिक मजदूरी से रखने की स्थिति को अंकेक्षण में स्पष्ट न कर सके तथा उन सफाई सेवकों को गम बूट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है जिन्हें न तो रोजगार कार्यालय से लगाया गया था और न ही किसी कार्यालय आदेश से दैनिक मजदूरी हेतु तैनात किया था। गम बूट खरीदने की ऐसी क्या आपात आवष्यकता पड़ी जब कि सफाई सेवक नियमाधीन नहीं लगाए गए थे इस व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। इस व्यय को निदेषक महोदय से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें भविष्य में इस प्रकार की खरीद सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से की जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
191	1/03	5,400.00	24 गम बूट जगी फैंसी स्टोर मनाली से खरीदे गए।

236	8/03	16,200.00	72 नम्बर गम बूट जगी फेंसी स्टोर मनाली से खरीदे गए।
		₹21]600-00	

6¼59½ LkR;kfir ikofr ¼APR½ dk fcuk ₹5]532-00 dk lafnX/k Hkqxrku %&

नगर पंचायत मनाली के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न कर्मचारी/दैनिक भोगी कर्मचारी को वेतन दिए जाने के पष्चात उनके हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। इन कर्मचारियों की पावति (APR) अंकेक्षण अवधि तक लेखाकार प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि का लेखाकार द्वारा दुरूपयोग किया गया था तथा राशि सम्बन्धित कर्मचारी को न देकर स्वयं ही प्रयोग की थी। ततकालीन लेखाकार से राशि की वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं अन्यथा पावति प्रस्तुत करें। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
10	4/99	4,743.00	₹1,581.00 की अदायगी गीतानन्द को दर्षाई गई।
27	1/01	23,099.00	₹1,530.00 की अदायगी श्री लाल सिंह पुत्र श्री चन्दू राम को की दर्षाई गई।
43	7/01	1,015.00	अदायगी हिमाचल प्रदेष पोल्यूषन बोर्ड बदाह जिला कुल्लू को की।
10	10/99	40,835.00	₹306.00 का भुगतान विजय कुमार को दर्षाया गया।
10	7/01	2,200.00	₹1,100.00 का भुगतान मोहन सिंह को किया गया।
		₹5]532-00	

6¼60½ ₹20]300-00 dk dwM+k ddZV <kusa ij vfu;fer O;; %&

वाऊचर संख्या 27 अवधि 8/03 में ₹20,300.00 का भुगतान नीका राम ट्रैक्टर नम्बर एच0पी0–58–1259 को ₹700.00 प्रति दिन के हिसाब से 29 दिन का कुढ़ा कर्कट ढोने हेतु किया गया। जबकि नगर पंचायत के पास कुढा कर्कट ढोने हेतु प्रर्याप्त मात्रा में अपनी गाड़ीयां थी तब कुढा

ढोने हेतु अतिरिक्त गाड़ी (ट्रैक्टर) करने की क्या आवष्यकता पड़ी इसका पूर्ण स्पष्टीकरण अंकेक्षण में नहीं बता सके उक्त गाड़ी की हाजरी भी नगर पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी जिसके अभाव में यह व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। इस व्यय में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई :–

(क) जिस ट्रैक्टर का प्रयोग कुढ़ा ढोने हेतु प्रयोग किया गया था वह ट्रैक्टर मालिक ने कृषि प्रयोग हेतु खरीदा था जिसके द्वारा कुढ़ा कर्कट नहीं ढोया जा सकता था। इस सम्बन्ध में उपमण्डल अधिकारी (नागर) मनाली से प्रमाण लिया जाए कि उक्त ट्रैक्टर वास्तव में कुढा कर्कट ढोने के प्रयोग किया जा सकता था अन्यथा उक्त राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं।

(ख) कुढा कर्कट ढोने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा टैण्डर आमन्त्रित नहीं किए गए थे जिसके अभाव में व्यय की स्थिति को स्पष्ट किया जाए।

(ग) उक्त ट्रैक्टर में किस–किस सफाई सेवक की डियूटी कुढा उठाने हेतु लगाई थी के आदेश के प्रति अंकेक्षण में नहीं बताई गई जिसके अभाव मे व्यय को उचित नहीं माना जा सकता।

(घ) आय पर सचिव द्वारा नहीं काटा गया था जो काटा जाना आवष्यक था ₹406.00 + सरचार्ज की वसूली दोषी कर्मचारी से करके आयकर विभाग में जमा करवाए।

6¼61½ <u>₹6]92]245-00 dk lfnX/k@vuqfpr Hkqxrku</u> ¼&

नौराड निधि के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय मनाली के होटलों/घरों से कुढ़ा कर्कट इक्ट्ठा करने हेतु किया गया। नगर पंचायत मनाली के पास अपने सफाई कर्मचारी काफी मात्रा में थे व वह ही शहर मे कुढ़ा कर्कट इक्ट्ठा करके/सफाई करने नगर पंचायत के कुढ़ा कर्कट के डम्पिग साईट जो रांगड़ी में बनाया गया था को नगर पंचायत की गाड़ी द्वारा ढोने का कार्य प्रतिदिन करते थे व इस कार्य हेतु नौराड निधि से डैम्पर पलेसर की खरीद की गई थी तब इस व्यय के बारे जब सचिव से पूछा गया तो कोई स्पष्ट उत्तर न दे सके। अंकेक्षण अधियाचना का जबाव भी सचिव नगर पंचायत अंकेक्षण अवधि तक नहीं दे सके। यह व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। इस व्यय में निम्न आपत्तियों भी पाई गई।

(क) प्रति दिन इस कुढ़ा कर्कट को किस–किस घरों/होटलों से उठाया गया तथा कहां और किस किस स्थान वाहन से ले जाया गया का कोई जिक्र नहीं किया गया था।

(ख) नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की तब क्या आवष्यकता थी जब इन प्राईवेट आदमीयों से कुढ़ा कर्कट उठाया जाना थां इस स्थिति को स्पष्ट किया जाए।

(ग) कुढ़ा कर्कट किस मात्रा में उठाया गया इसका कोई हिसाब–किताब नगर पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध न था।

व्यय का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क्यू'' में उपलब्ध है।

7¼1½ rduhdh ,o iz'kklfud eatjh ds fcuk ₹10]30]100-00 dk 0;; ¼&

वाऊचर संख्या 18 अवधि 1/03 अनुसार ₹2,10,204.00 का भुगतान जे0एस0जी कन्स्ट्रक्षन गोड़ निवास कुल्लू को मनाली शहर में सड़क की मैटलिंग एण्ड टायरिंग हेतु किया गया इसमें निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) यह कार्य दो फेस में करवाया गया। दोनों फेसों की कुल लागत ₹10,30,100.00 आंकी गई थी जिसकी तकनीकी मन्जूरी अधिषाषी अभियन्ता शहरी विकास हिमाचल प्रदेश षिमला द्वारा दी गई थी जो क्रमशः ₹ 5,18,500.00 एंव ₹5,11,600.00 थी। जबकि उक्त अधिकारी केवल 3 लाख की तकनीकी मन्जूरी हेतु सक्षम था उक्त अधिकारी ने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करके ₹10,30,100.00 (5,18,500.00 + 5,11,600.00) की तकनीकी मन्जूरी दी जो अनियमित थी। इसकी छानबीन उच्चाधिकारी द्वारा करवाई जाए ताकि भविष्य में अधिकारी अपनी शक्ति का उचित प्रयोग कर सकें।

(ख) उक्त कार्य शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा 10.11.01 को अपनी प्रषासनिक मन्जूरी उपरान्त आरम्भ करने बारे कहा जबकि यह कार्य 2.12.02 को आरम्भ किया गया। एक वर्ष के बाद कार्य (आबंटित समय के बाद) करने का क्या औचित्य था के बारे सचिव तकनीकी शाखा पूर्ण जबाब अंकेक्षण में प्रस्तुत न कर सके। एक वर्ष के बाद पुराने किए गए टैण्डरों की दर काफी कम हो सकती थी क्योंकि मनाली क्षेत्र में इस कार्य को करने के लिए अधिक ठेकेदार थे। सचिव नगर पंचायत ने केवल उक्त ठेकेदार को अनावष्यक लाभ दिया और इस कार्य का पुनः टैण्डर न करवा करके नगर पंचायत को काफी हानि पहुंचाई। टैण्डर आबंटन के बाद यदि ठेकेदार ने कार्य दो माह तक आरम्भ नहीं किया था तो टैण्डर रद्द क्यों नहीं किया गया। सचिव इस स्थिति का स्पष्टीकरण इस निदेषालय को भेजें इस मामले की छानबीन उच्चाधिकारी से की जानी आवष्यक है।

7¼2½ fuekZ.k dk;Z fcy esa ₹3]14]202-00 dk vukf/kd`r :i ls vf/kd Hkqxrku

वाऊचर संख्या 38 अवधि 4/2000 द्वारा ₹5,32,160.00 का भुगतान कामी लामा ठेकेदार को एक्सटैनषन एण्ड ब्यूटी फिकेषन ऑफ ओपन ऐयर थियेटर मनाली के निर्माण हेतु किया गया जो हिमाचल प्रदेश मानक दर सूचि से 226.20% उपर की दर अनुसार आबंटित किया था उक्त वाऊचर की जांच दौरान यह पाया गया कि ठेकेदार को आबंटित मदों के विरूद्ध अतिरिक्त मदों का कार्य किया गया था जिसका व्याखयान प्राक्कलन में नहीं किया गया था। प्राक्कलन के बाहर की मद का कार्य करना उचित नहीं था तथा अतिरिक्त मद के कार्य करने की क्या आवष्यकता पड़ी के बारे कोई अभिलेख अंकेक्षण में आवष्यक कार्य हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में अतिरिक्त मदों के कार्य को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त कार्य करवा करके न केवल नगर पंचायत को हानि पहुचाई अपितु ठेकेदार को अनावष्यक लाभ दिया। इस अतिरिक्त मद से ₹3,14,202.00 का अतिरिक्त व्यय सचिव नगर पंचायत ने करवा करके नियमों का उलंधन किया हैं। इस समस्त राशि को ठेकेदार से वसूल किया जाए अन्यािा अनावयक व्यय का उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं व की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

en l0	tk dk;l fd;k	nj	n; nj	jkf'k
डिस्मैन्टलीग ऑफ स्टोर	104.39 m^3	72+226.30%	234.90	24,521.00
डिस्मैन्टलीग ऑफ वोल्डर	168.13 m^3	32.40+226.30%	105.72	17,774.00
ब्रिक वर्क	30.646 m^3	2270.00	2270.00	69,566.42
सी0सी0 1.6	32 .11 m^2	2270.00	2270.00	50,189.70
20एम0एम थिक सीमेन्ट प्लास्टर	624.86 m^2	62 .00	62 .00	38,741.32
6एम0एम थिक प्लास्टर	308.13 m^2	55.00	55.00	16,947.15
40एम0एम टयूब	470.55 m^2	205.00	205.00	96,462.75
				₹3]14]202-34

7¼3½ **i!'kklfud@rduhdh eUtjh ikIr fd, fcuk rFkk vuqcU/k fd, cXkj fuekZ.k dk;Z ij ₹80]946-00 dk vfu;fer 0;;** ¼&

वाऊचर संख्या शुन्य अवधि 10/04 अनुसार ₹80,946.00 का भुगतान सुरेश ठाकुर ठेकेदार मनाली को आंगन बाड़ी भवन सियाली महादेव मनाली के निर्माण हेतु किया गया इसमें निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त नही की गई थी।

(ख) बजट में इस भवन के निर्माण कार्य हेतु कोई धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया था।

(ग) ठेकेदार के साथ सटाम्प पेपर पर कोई अनुबन्ध नही बनाया गया था जो कार्य न करने या गलत करने के फलस्वरूप समय पर काम आए तथा ठेकेदार की वसूली की जा सकती थी।

(घ) रिकॉर्ड पत्र के कॉलम 17 नम्बर अनुसार उक्त कार्य में लकड़ी के कार्य में प्रयोग होने वाली 2 एन0डी कलास देवदार लकड़ी का प्रयोग किया जाना था तथा सम्बन्धित कार्य हेतु प्रयोग की गई लकड़ी का बिल हिमाचल प्रदेश वन निगम या प्राधिकृत डीलर के प्राप्त बिल उपरान्त ही कार्य बिल की अदायगी की जानी वांछित थी परन्तु सचिव ने उक्त ठेकेदार को इस बिल की अदायगी बिना लकड़ी के बिल प्राप्त किए कर दी जो न केवल अनियमित थी बल्कि गैर कानूनी लकड़ी के प्रयोग की अदायगी भी कर दी। इसकी छानबीन उच्चाधिकारी से की जानी चाहिए तथा केस विजिलैंस छानबीन हेतु भेजने की सिफारिश की जाती है। इसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

en	ek=k	nj	jkf'k
वुड वर्क डोर द्वितीय क्लास देवदार	0.570	39,000.00	22,230.00
पी0एफ प्रोवाईड शटर डोर 40एमएम थिक द्वितीय क्लास देवदार	15.90	1,680.00	26,712.00
			₹48]942-00

₹48,942.00 की वसूली ठेकेदार से करनी सुनिष्चित करें अन्यथा राशि की वसूली सचिव नगर पंचायत से की जाए क्योंकि सचिव द्वारा बिल लकड़ी के बिल प्राप्त किए बिल की अदायगी कर दी जो अनियमित थी।

7¼4½ vkipkfjDrk,a iw.kZ fd, fcuk fuekZ.k dk;Z ij ₹34]866-00 dk vfu;fer Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 43 अवधि 7/03 अनुसार ₹34,866.00 का भुगतान उद्यम सिंह ठेकेदार को मनाली में कनिष्ठ अभियन्ता निवास के ब्यास होटल तक सी0सी0 पथ निर्माण हेतु अदायगी की गई इस अदायगी मे निम्न अपत्तियां प्रकाश में आई।

(क) प्लान नगर अभियन्ता मनाली द्वारा पारित नहीं किया था जो पारित किया जाना आवष्यक था।

(ख) एन0आई0टी0 में वर्णित माप (Measurment) नगर अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित/मंजूर नहीं की गई थी।

(ग) कार्य की प्रषासनिक मन्जूरी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं ली गई थी।

(घ) कनिष्ठ अभियन्ता के निवास से ब्यास होटल का मार्ग निर्माण की पूर्व में नगर पंचायत बैठक में मन्जूरी बारे अंकेक्षण में नहीं बताई गई।

(ङ) कार्य करवाने से पूर्व स्टाम्प पेपर पर कार्य का अनुबन्ध नहीं करवाया गया था बिना अनुबन्ध के कार्य करवाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(च) मद संख्या अनुसार स्टोन सोलिंग 4.65 एम^3 के स्थान पर 8.05 एम^3 करवाई गई जो 34 एम^3 अतिरिक्त करवाई गई जिसकी दर ₹390.00 प्रति घनमीटर दर से ₹1,326.00 का भुगतान ठेकेदार को अधिक किया गयां अतिरिक्त मद का भुगतान किया जाना केवल नगर अभियन्ता की मन्जूरी उपरान्त होना था जो मन्जूरी नहीं ली गई थी। इस भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना। इस राशि की वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं अनुपालना की पुष्टि अगामी अंकेक्षण मे करवाई जाए।

7¼5½ ₹40]211-00 d: vf/kd Hk:xrku ckj: ½&

₹40,211.00 का भुगतान श्री सुरेश कुमार ठेकेदार को पंजाब नेषनल बैंक कार्यालय की सीढियां निर्माण हेतु किया गया इसमे निम्न अपत्तियां प्रकाश मे आई।

(क) यह बिल्डिंग आई0डी0एस0एम0टी प्रोजैक्ट द्वारा निर्मित की जा रही थी। इस कार्य हेतु आई0डी0एस0एम0टी प्रोजैक्ट खाते से अदायगी की जानी थी जो उक्त प्रोजैक्ट निधि से न करवा करके नगर पंचायत निधि से करवाया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की मन्जूरी ली थी या नहीं इस बारे इस निदेषालय को सूचित करें।

(ख) इस कार्य की तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी सक्षम अधिकारी के द्वारा नहीं ली गई थी। बिना तकनीकी मन्जूरी के कार्य करवाया जाने की स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) इस कार्य के लिए जो एन0आई0टी0 जारी की गई थी उसपर नगर अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं पाए गए तथा नगर अभियन्ता के हस्ताक्षर के बिना टैण्डर करवाए जाने का औचितय स्पष्ट किया जाए।

(घ) टैण्डर नगर अभियन्ता की हाजरी के बिना खोले नहीं जा सकते थे। अतः इस अनियमितता का औचित्य प्रस्तुत करें।

7¼6½ ₹38]500 dh [kjhn e: vkSipkfjDrkvksa dk vHkko ¼&

वाऊचर संख्या 26 अवधि 8/99 द्वारा ₹38,500.00 का भुगतान थामस स्टोर मनाली को पाईपें खरीदने हेतु किया गया जिसका प्रयोग मिषन चिकित्सालय से टैक्सी स्टैण्ड मनाली तक सीवरेज पाईप बिछाने हेतु किया गया इस खरीद मे निम्न अपत्तियां पाई गई इसका निपटान करके की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

(क) मिषन चिकित्सालय में सीवरेज पाईप बिछाने हेतु नगर अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन यदि बनाया गया था तो उसे अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) सामान खरीद से पूर्व नगर पंचायत की मन्जूरी प्राप्त करने बारे अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ग) सिंचाई एवं जनस्वस्थ्य (IPH) विभाग हिमाचल प्रदेश कुल्लू/मनाली द्वारा सीवरेज बिछाने हेतु जारी किए गए पत्र जिसमें सीवरेज पाईप बिछानी अनिवार्य थी को प्रस्तुत नहीं किया गया था नगर अभियन्ता द्वारा जारी की गई टिप्पणी जिसमें उक्त सीवरेज पाईप बिछानी आवष्यक थी को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) उक्त कार्य नगर पंचायत का था या मिषन चिकित्सालय का था के बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

7¼7½ fuekZ.k dk;Z ij ₹61]527-00 dk lafnX/k O;; ¼&

वाऊचर संख्या 24 अवधि 4/99 अनुसार ₹61,527.00 का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को नगर पंचायत कार्यालय के समीप पार्किंग कम रीडिंग रूप के निर्माण हेतु किया था। नगर पंचायत अभिलेख अनुसार नगर पंचायत का कोई रीडिंग रूम नगर पंचायत क्षेत्र में कार्य ही नहीं कर रहा है। यह व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। इस व्यय बारे जब सचिव से पूछा गया तो सचिव द्वारा कोई जबाव अंकेक्षण मे नहीं दिया गया । इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। नगर पंचायत सम्पति रजिस्टर मे भी इस रिडिंग रूम का इन्द्राज नहीं पाया गया जिसके अभाव मे व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। इसकी जांच उच्चाधिकारी से करने की सिफारिश की जाती है।

7¼8½ fuekZ.k dk;Z fcy esa vfu;ferrk,a rFkk ₹39]325-00 dk vf/kd Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 11, अवधि 9/04 बावत राशि ₹3,68,029.00

₹3,68,029.00 का भुगतान चमन लाल ठेकेदार को मिषन चिकित्सालय मनाली के पास ग्राऊण्ड फ्लौर निर्माण हेतु किया इसमें निम्न अपत्तियां प्रकाश में आई :–

(क) प्राक्कलन सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था।

(ख) कार्य का अनुबन्ध नहीं बनाया गया था।

(ग) टैण्डर नगर अभियन्ता द्वारा निकाले जाने थे जैसा हिमाचल प्रदेश पालिका लेखा सहिता के नियम 192 मे विहित है नगर अभियन्ता के आदेश के बिना टैण्डर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) नेगोसिएषन सचिव द्वारा की है का सचिव को नेगोसिएषन करने की शक्ति प्राप्त थी, के बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा नेगोसिएषन किस आधार पर किया गया की टिप्पणी बारे अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(ङ) तकनीकी मन्जूरी सक्षम अधिकारी से न ली गई थी।

(च) प्रषासनिक मन्जूरी भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त अपत्तियों के बावजूद भी सचिव द्वारा यह कार्य करवाया गया जो उचित नहीं था। इस व्यय मे जो एस्टीमैन्ट प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार ₹39,325.00 का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया था इसकी वसूली ठेकेदार से की जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की जिम्मेवारी निर्धारित करके राशि की वसूली की जानी सुनिष्चित करें।

en	ek=k	nj tks 'kks"k Fkh	tks nh	vUrj	jkf'k
2, पी.एल.सी.सी 1.2.8	10.52	1000.00	1,350.00	350.00	3,675.00
	nj	tks okLro esa Fkh	tks dk;Z fd;k	vUrj	
10, आर.मेषनरी 1.6.12	1,300.00 +16.50%	23.46	43.66	20.20	30,498.00
6, प्रोवाईडिंग कार्य वर्क 3.15 एम.एम	90.00	134.64	191.89	57.25	5,152.00

₹39]325-00

7¼9½ fuek.k dk;l fcy e ₹1]91]613-00 dh vf/kd vnk;xh ¼&

वाऊचर संख्या 43 अवधि 12/04 अनुसार ₹3,99,988.00 का भुगतान शरींगी ऋषि कन्सट्रक्षनस मनाली को राम बाग मनाली मे लैण्ड स्केपिंग हेतु किया गया। इसमें निम्न आपत्तियां पाई गई।

(क) प्लान सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नही किया था।

(ख) तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गई।

(ग) जिस स्थान पर निर्माण किया गया क्या वह स्थान नगर पंचायत के आधीन था का प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) टैण्डर नगर अभियन्ता द्वारा निकाले नहीं गए थे इस बारे स्थिति स्पष्ट करें कि जब नगर पंचायत मनाली के पास नगर अभियन्ता थे तो उन द्वारा यह टैण्डर क्यों नहीं निकाला गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सचिव द्वारा उक्त ठेकेदार को अनाधिकृत रूप मे कार्य आबंटित किया गया।

(ङ) उक्त कार्य में जो कार्य दर्षाया गया था से अधिक व्यय कुछ मदों पर किया है का उल्लेख निम्न प्रकार है। इससे नगर पंचायत को ₹1,78,636.00 का अधिक भुगतान करना पड़ा। इस अधिक किए व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना गया इसकी वसूली ठेकेदार से या दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि मे जमा करवाएं यह भी स्पष्ट करें कि सचिव द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुबन्ध क्यों नहीं करवाया था।

en l0	fooj.k	tk ek=k Fkh	tk ek=k yh	vUrj	nj	jkf'k
4	प्रोवाईडिंग मिल्ड स्टील	662.54	1022 .10	359.56	32 .00	11,505.92
6	मारबल वर्क 2.50 सी. एम 1.3	57.74 एम^2	113.99 एम^2	56.25	1,630.00	91,687.50

10	व्हाइट ग्लेजड टाइल 6एम.एम, 12एम.एम	29.69 $एम^2$	93.46 $एम^2$	63.77	6,000.00	38,262.00
18	अपरोडिंग रैंक वी एण्ड डब्लयू	600 $एम^2$	954.85 $एम^2$	354.85	35.00	12,419.75
9	आर.आर मैसनरी	4.03 $एम^3$	25.19 $एम^3$	21.16	1,170.20	24,761.43
						1]78]636-60

(च) vfrfjDr dk;l ij ₹12]977-00 dk O;;

उक्त कार्य में वर्णित कार्य से अतिरिक्त कार्य करवाया गया था जो करवाया नहीं जा सकता था इस व्यय को अंकेक्षण मे उचित नहीं माना जा सकता इसकी वसूली ठेकेदार/दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाए। की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करें।

en	ek=k	nj	jkf'k
एकजीवेषन इन फाऊंडेषन	78.13 $एम^3$	85.45+10.34%	7,366.00
15एम.एम थिक सीमेन्ट प्लासटिक	42 .40	47.10+10.34%	2203.00
कोटा स्टोन स्लेव	7.39	538.30+10.34%	3,408.00
			12]977-00

7¼10½ vkipkfjdrk,i i.kl fd, fcuk ₹50]144-00 dk vfu;fer O;; ½&

नौराड के अभिलेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि सचिव नगर पंचायत ने कुछ व्यय जो निम्न प्रकार हैं औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना किया। इससे न केवल नौराड निधि को हानि का सामना करना पड़ा बल्कि फर्मों को अनावष्यक लाभ दे कर धन का दुरूपयोग किया इन व्यय की छानबीन उच्चाधिकारीयों से करवा करके नौराड प्रमुख को भेजनी चाहिए ताकि भविष्य मे किसी भी कर्मचारी में इस प्रकार के व्यय करने की हिम्मत न हो।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k	fo'k"k dFku
57	1/02	35,064.00	प्रेम आर्ट कुल्लू को साईन बोर्ड/दिवार लिखाई हेतु अदायगी	1. नगर अभियन्ता/कनिष्ट अभियन्ता के द्वारा इस व्यय हेतु कोई प्राक्कलन नहीं बनाया गया था जिसके बिना

			की।	अदायगी करनी या कार्य करवाना अवैध था। 2. साईन बोर्ड में क्या–क्या लिखा गया तथा दिवारों पर क्या ओर कहां लिखा यह अंकेक्षण मे नहीं बताया गया। 3. भण्डार पन्जिका में इसका इन्द्राज नहीं किया था। 4. बिना टैण्डर के कार्य करवाया जाने बारे पूर्ण तथ्य इस निदेषालय को भेजे।
170	10/02	1,09,021.00	प्रिंस आर्ट कुल्लू को दिवारों पर लिखने हेतु भुगतान किया गया।	1. नगर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा कोई भी प्राक्कलन इस व्यय के सम्बन्ध में आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 2. दिवारों में क्या और कहां क्या लिखा गया के बारे कोई प्रपत्र रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे। 3. वर्क रजिस्टर में इसका इन्द्राज नहीं किया गया था जिसके बिना कार्य की पुष्टि नहीं होती। 4. टैण्डर/कोटेषन भी अंकेक्षण में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए।
181	12/02	4,176.00		1. ₹500.00 का भुगतान टैक्सी हेतु किया गया था टैक्सी क्यों की और किस लिए प्रयोग की के बारे अंकेक्षण में नहीं बताया। इस व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली की जाए। 2. ₹2,100.00 का भुगतान आर.के.स्टूडियो सैन्टर मनाली को फोटो खिचवाने हेतु किया व्यय को अंकेक्षण मे उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका उदेष्य अंकेक्षण में नहीं बताया गया। 3. ₹1,500.00 का भुगतान आर.के. स्टूडियो सैन्टर मनाली को विडियोग्राफी हेतु किया विडियोग्राफी किस उदेष्य से करवाई यह अंकेक्षण को नहीं बताया गया।

7¼11½ <u>₹1]18]737-00 dk vo/k 0;;</u> ¼&

₹1,18,737.00 का भुगतान 16 नम्बर मेन कटर व 52 बेलदार को स्टेकिंग पिट को भरने हेतु किया गया। इस बिल मे निम्न आपत्तियां पाई गई

(क) इस कार्य का प्राक्कलन अंकेक्षण मे आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य का प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

(ख) तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी अंकेक्षण में नहीं बताई गई। सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य करवाए जाने बारे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ग) इतनी मात्रा में मैन कटर व बेलदार कहां से कार्य हेतु लगाए गए के बारे सम्बन्धित सचिव कुछ नहीं बता सके बेलदार/मैन कटर को निर्माण कार्य में लगाने हेतु किसी प्रकार की कोटेषनें/टैण्डर आमन्त्रित नहीं किए गए थे उक्त मैन कटर/बेलदारो के जो पते लिखे गए थे वह भी अधूरे थे। इसकी छानबीन करनी आवष्यक है।

7¼12½ <u>fuf t Hkfe i j fuek.k dk;! i j ₹34]57]093-00 dk vufpr Hkxrku</u> ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्य उन स्थानों पर किया गया था जो नगर पंचायत के रिकार्ड के मुताबिक उनकी जगह ही नहीं थी व राजस्व रिकॉर्ड में भी उस क्षेत्र को नगर पंचायत के नाम इन्द्राज भी नहीं किया गया था। नियमाधीन नगर पंचायत केवल अपने अधिकार में ली सड़क/फुटपाथ/गली की मुरम्मत करवा सकती है और उनके रखरखाव पर नगर पंचायत कोष में धन उपलब्ध करवा सकती है। जिन सड़क/फुटपाथ/गली का इन्द्राज नगर पंचायत राजस्व रिकॉर्ड में नहीं था के उपर धन का व्यय नगर पंचायत नहीं करवा सकती थी उस क्षेत्र में तथी कार्य को अमलीजामा पहनाया जाना आपेक्षित था जब उस क्षेत्र के बाषिंदगान अपनी जमीन के उस भाग जिस पर गली/फुटपाथ/मार्ग निर्मित की जाती थी को ट्रांसफर करके नगर पंचायत के नाम कर देती। बिना राजस्व इन्द्राज के किसी भी प्राईवेट क्षेत्र में किसी प्रकार के कार्य करने का अधिकार नगर पंचायत को नहीं था। अतः समस्त राशि जो ₹34,57,093.00 व्यय की गई की पूर्ण जिम्मेवारी सचिव पर डाली जाए। व्यय का विवरण इस प्रतिवेदन के परिषिष्टि ''आर'' में दर्षाया गया है।

7¼13½ वाऊचर संख्या 31, अवधि 9/04, द्वारा ₹34,636.00 का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को सियाली गांव को रास्ता निर्माण हेतु किया गया। सियाल गांव ग्राम पंचायत नसोगी के अधीन गांव

है। सियाल गांव नगर पंचायत मनाली का हिस्सा नहीं था तब इस गांव की सड़क निर्माण करने की क्या जरूरत पड़ी। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस निर्माण पर किए गए व्यय की वूसली सचिव से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित करें।

7¼14½ ₹3-79 yk[k dk 0;Fk 0;; ¼&

नगर पंचायत के रिकॉर्ड की छानबीन दौरन पाया गया नगर पंचायत मनाली के नाम खसरा नम्बर 3545/19/1/2/1 जो 00—04—09 बीघा जमीन थी वह वर्ष 1961—62 से नगर पंचायत के कबजे में थी यह जमीन शहर के बीच में स्थित है। इस पर नगर पंचायत ने ₹3,78,728.00 भवन बनाने पर व्यय कियां भवन तैयार होने की कुछ समय बाद प्रधान सचिव (पर्यटन) हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैठक 6.7.02 में यह निर्णय किया कि इस स्थान पर पर्यटन सूचना केन्द्र का निर्माण करवाया जाए। बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि उस नवनिर्मित भवन से जो आय होटल एसोसिएषन, टैक्सी यूनियन लगजरी कोच तथा ओटो रिक्षा से होगी वह नगर पंचायत को दी जाएगी।

हैरानी की बात है कि अगस्त 2002 में इस नगर पंचायत के निर्मित भवन को पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा डिस्मैन्टल कर दिया। इस भवन पर जो राशि नगर पंचायत ने खर्च की थी उसको एक दम मिट्टी में मिला दिया। अगर नगर पंचायत के भवन की तोड़/फोड़ करनी ही थी तो पहले इस तोडे जाने वाले भवन की लागत ₹3,78,728.00 + जमीन की कीमत जो करोड़ों रूपये थी सम्बन्धित विभाग से ली जानी आपेक्षित थी इस प्रकार जो राशि का नुकसान नगर पंचायत को हुआ है की भरपाई आज तक क्यों नहीं की गई। सचिव नगर पंचायत इसकी स्थिति स्पष्ट करें तथा हुई हानि को सम्बन्धित विभाग से लेकर पंचायत निधि में जमा करवाएं।

7¼15½ uxj iapk;r /ku dk vo/k i;kx@₹19]500 dk vuf/kd`r@vuqfpr iHkkj ¼&

वाऊचर संख्या 12 अवधि 12/2000 द्वारा ₹19,500.00 का भुगतान रामा वैल्डिंग वर्कस मनाली को पुलिस गुमटी के निर्माण हेतु किया गया। उक्त कार्य पुलिस विभाग के द्वारा स्वयं करवाया जाना चाहिए था परन्तु नगर पंचायत द्वारा पुलिस विभाग से पैसे लिए बिना यह कार्य करवाया। इस गुमटी (Traffic Post) के निर्माण का नगर पंचायत निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस राशि की वसूली ब्याज सहित पुलिस विभाग मनाली जिला कुल्लू से किया जाना सुनिष्चित करें अन्यथा राशि की वसूली

उस नगर पंचायत कर्मचारी से की जाए जिसके द्वारा यह कार्य करवाया गया था। भविष्य में इस प्रकार के अनाधिकृत व्यय करने से परिहार किया जाए अन्यथा यह सचिव की स्वयं जिम्मेवारी होगी।

7¼16½ fueki.k dk;l

vfHkys[k o dk;l ifØ;k e ikjnf’kZrk u gkus ls fueki.k dk;kl ij ₹62]186-00 dk vfu;fer 0;; ¼&

अभिलेख की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय नगर पंचायत सम्पति की वार्षिक मुरम्मत/रख–रखाव पर किया था। बिल में यह अंकित नहीं किया था कि नगर पंचायत की कौन सी सम्पति की मुरम्मत करवाई गई थी। प्राक्कलन में उस नगर पंचायत सम्पति का उल्लेख नहीं किया गया था जिसके अभाव में व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। जिस–जिस नगर पंचायत की सम्पति की मुरम्मत करवाई गई थी की पूरी रिपोर्ट अगामी अंकेक्षण में बताएं अन्यथा समस्त राशि जो इस मुरम्मत आदि पर व्यय किया है, की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
41	8/99	21,486.00	अदायगी हरनाम सिंह ठेकेदार को की।
23	8/2000	19,146.00	अदायगी अजय सिंह ठेकेदार को की।
33	9/02	21,554.00	अदायगी हरनाम सिंह ठेकेदार को की।
		62]186-00	

7¼17½ rduhdh eUtjh fy, fcuk ₹18]29]624-00 d vfu;fer Hkxrku ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा कुछ कार्य तकनीकी मन्जूरी प्राप्त किए बिना किए जो नियमाधीन गलत थे। नगर परिषद/पंचायत के नियम जो हिमाचल प्रदेष पालिका लेखा संहिता 1975 में विहित है के अनुसार नगर अभियन्ता या इससे उपर पद के अभियन्ता ही तकनीकी मन्जूरी देंगे व तदोपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। बिना तकनीकी मन्जूरी के कार्य करना अनियमित था तथा मन्जूरी बिना किए गए कार्य को अवैध माना जाता है। इस सम्बन्ध में तकनीकी मन्जूरी की मांग जब अभियन्ता शाखा से की गई तो सम्बन्धित शाखा द्वारा तकनीकी

मन्जूरी आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। आगामी अंकेक्षण के समय तकनीकी मन्जूरी प्राक्कलन सहित प्रस्तुत करें अन्यथा इन बिलों में की गई अदायगीयों को उचित नहीं माना जाएगा तथा इस मामले को निदेषक महोदय के समक्ष लाया जाए ताकि वस्तु स्थिति बारे पता चल सके। भविष्य में नियमाधीन ही कार्य करने बारे पग उठाएं तथा आपत्तियों से बचा जा सके।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
29	5/99	65,487.00	चैक पोस्ट नम्बर 1 के समीप पार्किंग मे ब्रेस्ट वाल निर्माण कार्य का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को की।
30	5/99	1,62,498.00	चैक पोस्ट नम्बर 1 के समीप पार्किंग मे ब्रेस्ट वाल निर्माण कार्य का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को की।
31	5/99	1,17,408.00	मनु मार्किट में सी.सी. पाथ निर्माण कार्य का भुगतान दिरका बहादुर नेपाल को की।
34	7/99	3,70,985.00	चैक पोस्ट के पार्किंग निर्माण कार्य का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को की।
39	7/99	44,998.00	सी.सी. पाथ्स बस स्टैंड से भूतनाथ तक निर्माण का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को की गई।
45	9/99	42,665.00	सी.सी. पाथ्स बस स्टैंड से भूतनाथ तक निर्माण का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को की गई।
35	10/99	2,62,683.00	पार्किंग समीप चैक पोस्ट मनाली की अदायगी शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को की।
56	5/2000	61,881.00	बुदिष्ट गोम्पा के समीप पार्किंग निर्माण का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को किया गया।
33	8/2000	49,266.00	चैक पोस्ट के समीप पार्किंग निर्माण का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को किया गया।
13	12/2000	67,445.00	चैक पोस्ट के समीप पार्किंग निर्माण का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को किया गया।
52	2/01	55,209.00	तिब्बतन गौम्पा के समीप शौचालय निर्माण की अदायगी दिग बहादुर ठेकेदार नेपाल को की गई।
58	7/01	42,391.00	तिब्बतन गौम्पा के समीप शौचालय निर्माण की अदायगी दिग बहादुर ठेकेदार नेपाल को की गई।
33	9/01	1,42,190.00	भूतनाथ मन्दिर के सराय निर्माण का भुगतान कामी लामा

			ठेकेदार नेपाल को की।
42	11/01	1,19,313.00	भूतनाथ मन्दिर के सराय निर्माण का भुगतान कामी लामा ठेकेदार नेपाल को की।
30	11/01	1,48,039.00	हडिम्बा मन्दिर के पास पार्किंग निर्माण कार्य का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को किया गया।
42	9/03	77,166.00	प्रैस रूप निर्माण कार्य समीप सियाली महादेव मन्दिर का भुगतान शेर बहादुर ठेकेदार नेपाल को किया गया।
	dy ;kx	18]29]624-00	

7¼18½ fuek.k dk;l fcy e ₹3]793-00 dk vf/kd Hkxrku ¼&

वाऊचर 34, अवधि 7/03 द्वारा ₹40,637.00 का भुगतान दया राम ठेकेदार को रेस्ट कैम्प मनाली से जीत राम के मकान तक फुटपाथ निर्माण हेतु किया गया। इसमें ₹3,793.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

en l0	tk dk;l djuk Fkk	tk fd;k x;k	vUrj	nj	jkf'k tk vf/kd nh
3. स्टोन सोलिंग फिलिंग प्रोपरली	$28.80\ m^3$	$34.02\ m^2$	$5.22\ m^3$	220.00	1,148.00
9. पी0एल0सी0सी0 1.6.12	$19.20\ m^2$	$22.68\ m^2$	$3.48\ m^3$	760.00	2,645.00
				;kx	3]793-00

उक्त राशि की वसूली ठेकेदार/दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यावाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

इसके अतिरिक्त इस अदायगी मे निम्न आपत्तियां भी पाई गई इनका निपटान किया जाना सुनिष्चित करें।

(क) अनुबन्ध पत्र स्टाम्प पेपर पर नहीं बनाया गया था जो बनाया जाना अति आवष्यक था।

(ख) तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी प्राप्त किए बिना यह कार्य किया गया था जबकि उक्त मन्जूरी के बिना आरम्भ करना उचित नहीं था।

7¼19½ ₹2]95]725-00 dk vuqfpr O;; ¼&

आबंटित कार्य से ठेकेदार ने सक्षम अधिकारी की मनजूरी के बिना अधिक कार्य किया जो अनियमित था इस अधिक कार्य करने का कोई औचित्य नहीं था। केवल तकनीकी शाखा ने अनावष्यक अधिक कार्य दर्षा करके ₹2,95,725.00 का अधिक भुगतान ठेकेदार को करवाया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

en		tks dk;Z gksuk Fkk	tks fd;k	vf/kd fd;k dk;Z	nj	jkf'k
प्रोवाईडिंग सरफेस एण्ड ब्रुषिंग	1xIBM	3519.02 m^2	4017.60 m^2	498.58 m^2	6.70	3,340.00
	Blade top	8283.05 m^2	10201.83 m^2	1918.78 m^2	37	7,099.00
प्रोप्राईडिंग विचुमैन	10 kg	3519.02 m^2	4017.60 m^2	498.58 m^2	80	8,974.00
	5 kg	8283.05 m^2	10201.83 m^2	1918.78 m^2	90	17,269.00
2 .5 सी.एम कन्सोलिडेषन		11802.70	15669.02	3866.32 m^2	670	2,59,043.00
						₹2]95]725-00

7¼20½ iRFkjksa dh [kjhn ij Voids grq ₹5]220 dh olwyh ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि भवन/निर्माण हेतु खरीदे गए सामान जैसे पत्थर, बजरी इत्यादि पर बोईड काटे बिना अदायगी कर दी थी जबकि अदायगी बोईड काटने उपरान्त की जानी अपेक्षित थी इससे जो हानि नगर पंचायत कोष को हुई है की भरपाई हेतु उतरदायित्व निर्धारित करके वसूली की जाए तथा राशि नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा भविष्य में अदायगी करने से पूर्व बोईड काटा जाना सुनिष्चित करें। की गई कार्यवाही से इस निदेषालय को सूचित करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k	jkf'k tks vnk dh	jkf'k tks dkVh tkuh Fkh
24	4/99	61,527.00	(1) 20 एम.एम बजरी की अदायगी	29,760.00	2,976.00

शेर बहादुर ठेकेदार को की।		
(2) पत्थर की अदायगी शेर बहादुर ठेकेदार को की।	14,960.00	2,244.00
	; kx	5]220-00

7¼21½ **₹27]21]801-00 d: fuekZ.k fcyks dk vfHkys[k vads{k.k e: izLrqr u djus dh xEHkhj vfu;ferrk** %&

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान अग्नि शमन कार्यालय के समीप पार्किंग गैरेज का निर्माण किया था इस निर्माण कार्य निम्न अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में सम्बन्धित व्यय का अंकेक्षण नहीं किया जा सका। आगामी अंकेक्षण के समय सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किए जाए ताकि व्यय का अंकेक्षण किया जा सके।

(क) प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी के अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए।

(ग) अनुबन्ध पत्र आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) कार्य पंजिका/कन्ट्रैक्ट लेजर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
40	7/99	1,13,146.00	अदायगी शेर बहादुर ठेकेदार को की।
18	9/99	3,08,375.00	अदायगी नील चन्द ठेकेदार को की।
58	9/99	4,13,752.00	अदायगी नील चन्द ठेकेदार को की।
31	10/99	2,33,680.00	अदायगी नील चन्द ठेकेदार को की।
30	11/99	5,75,428.00	अदायगी नील चन्द ठेकेदार को की।
23	9/2000	6,00,000.00	अदायगी नील चन्द ठेकेदार को की।
12	1/2000	4,77,420.00	अदायगी नील चन्द ठेकेदार को की।
		₹2]72]180-00	

7¼22½ jx 'kkyk fuek.k ckj ₹2]34]422-00 d vfHkys[k vd{k.k e iLrr u dju dh xEHkhj vfu;ferrk ¼&

नगर पंचायत द्वारा अपने कार्यालय के समीप रंगषाला का निर्माण किया गया दर्षाया था इस रंगषाला का पूर्व में निर्माण किया जा चुका था परन्तु सचिव द्वारा पुराने रंगषाला के स्थान पर नये रंगषाला का निर्माण करवाया गया था पुराने रंगषाला का सामान जिसमें पत्थर/लकड़ी व दूसरे प्रयोग किए गए सामान का क्या किया गया इस बारे अंकेक्षण में नहीं बताया गया तथा पुराने सामान का भण्डारण इन्द्राज भी अंकेक्षण में नहीं बताया गया इसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण में बताएं तथा निम्न आपत्तियों का निपटारा किया जाए।

(क) जिस स्थान पर रंगषाला का निर्माण किया है वह वन विभाग की सम्पति है निर्माण से पूर्व वन विभाग से अन्नपति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था आगामी अंकेक्षण के समय इसकी पुष्टि करवाई जाए।

(ख) तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी के कार्यालय आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ग) टी0सी0पी0 विभाग की तकनीकी मन्जूरी भी अंकेक्षण में नहीं बताई गई।

उपरोक्त आपत्ति अनुसार निम्न व्यय का अंकेक्षण नहीं किया गया आगामी अंकेक्षण के समय आपत्ति का निपटान करके अभिलेख आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
36	7/99	26,866.00	अदायगी लेख राज ठेकेदार को की।
38	7/99	30,272.00	अदायगी सुरेश कुमार ठेकेदार को की।
2	1/2000	10,610.00	अदायगी मोहन लाल जोषी को की।
21	8/2000	21,714.00	अदायगी लेख राज ठेकेदार को की।
46	2/01	30,836.00	अदायगी लेख राज ठेकेदार को की।
49	2/01	90,066.00	अदायगी कामी लामा ठेकेदार को की।
33	10/99	24,058.00	अदायगी लेख राज ठेकेदार को की।
		₹2]34]422 -00	

7¼23½ ₹1]98]793-00 dk vuf/kd`r 0;;@ikfydk dh Lohd`fr fcuk lfpo }kjk 0;; ¼&

नगर पंचायत लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत ने निम्न व्यय नाले की विषेष मुरम्मत पर किया था नाले की मुरम्मत क्यों करनी पड़ी इस बारे जब सचिव से पूछा गया तो सचिव कोई जवाब न दे सके। इस नाले की मुरम्मत करने की कोई आवष्यकता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा राशि का दुरूपयोग किया है क्योंकि इस कार्य के लिए सक्षम अधिकारी की मन्जूरी नहीं ली थी और बजट में भी इस कार्य के लिए कोई प्रावधान न किया था इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी लेकर नियमित करवाएं अन्यथा राशि की वसूली करने बारे पग उठाएं।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
22	10/99	92,182.00	अदायगी जागबो ठेकेदार को की गई।
34	10/99	58,271.00	अदायगी गोबिन्द राम ठेकेदार को की।
46	9/99	48,340.00	अदायगी दिरका बहादुर ठेकेदार को की।
	;kx	1]98]793-00	

7¼24½ ,dlVsu'ku C;wVhfQds'ku vkWQ vksiu ,;j fFk;sVj fuekZ.k esa vfu;ferrk,a ¼&

नगर पंचायत मनाली द्वारा निम्न व्यय एक्सटैनषन ब्यूटिफिकेषन ऑफ ओपन ऐयर थियेटर का निर्माण पर किया गया इस भुगतान पर निम्न आपत्ति प्रकाश में आई।

(क) नगर पंचायत द्वारा बनाया गया पुराना थियेटर का सामान कहां गया यह अंकेक्षण में नहीं बताया गया। इस सामान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) नये ओपन ऐयर थियेटर निर्माण की क्या आवष्यकता पड़ी के बारे पूर्ण जानकारी अंकेक्षण में नहीं बताई गई।

(ग) इस निमार्ण की तकनीकी/प्रषासनिक मन्जूरी अंकेक्षण में आवष्यक निरिक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त आपत्तियों का निपटान किया जाना सुनिष्चित करें ताकि व्यय की गई राशि को नियमित समझा जाए तथा पुराने सामान के बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
55	6/99	3,69,139.00	अदायगी कामी लामा ठेकेदार को की गई।
35	7/99	1,76,990.00	अदायगी कामी लामा ठेकेदार को की गई।

7¼25½ fuek.k dk;ksZ esa iz;ksx dh xbZ bekjrh ydM+h dk iz;ksx Bsdsnkj }kjk iz;ksx dh xbZ ydM+h dk fcuk vf/kd`r fcy dh tkap fd, Hkqxrku ¼&

नगर पंचायत द्वारा जारी किए गए कार्य के विरूद्ध एवार्ड पत्र के कॉलम 16 में साफ अंकित था कि लकड़ी के कार्य का बिल का भुगतान तभी किया जाएगा यदि ठेकेदार लकड़ी का बिल सरकारी एजैंसी से प्रस्तुत करेगा परन्तु सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने ही द्वारा जारी किए गए अवॉर्ड पत्र की अवहेलना करके कोई सरकारी एजैंसी से लकड़ी के बिल प्राप्त किए बगैर ठेकेदारों को अदायगी कर दी जिसकी अदायगी करने का सचिव नगर पंचायत सक्षम नहीं था इन वांछित बिलो में लकड़ी प्रयोग के बिल सरकारी एजैंसी से प्राप्त करके अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करें तथा उन लकड़ी के बिलों की पुष्टि वन विभाग से करवाई जाए अन्यथा समस्त वसूली सचिव नगर पंचायत से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं मामले को अति आवष्यक माना जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
38	7/99	30,275.00	सुरेश कुमार ठेकेदार को रंगषाला में लकड़ी के कार्य हेतु अदायगी की।
31	3/02	67,104.00	वालथ राम ठेकेदार को मीट मार्किट के समीप शौचालय निर्माण की अदायगी की गई।
72	7/03	14,557.00	अदायगी शेर बहादुर ठेकेदार को सचिव निवास की रिपेयर हेतु की।
56	12/03	27,517.00	अदायगी चमन लाल ठेकेदार को स्टाफ क्वाटर की टायलेट निर्माण हेतु की।
49	6/04	1,04,512.00	अदायगी दया राम ठेकेदार को आंगन बाड़ी केन्द्र हडिम्बा टैम्पल मनाली के निर्माण कार्य हेतु ।
25	11/04	91,347.00	अदायगी सुरेश कुमार ठेकेदार को सचिव निवास की मुरम्मत हेतु की।

7¼26½ okÅpj l¡[;k 45] vof/k 2@05 ckor jkf'k 64]822 -00 ¼&

सुरेश ठाकुर ठेकेदार को ₹64,822 .00 का भुगतान सचिव कार्यालय निर्माण हेतु किया गया। इस कार्य हेतु लकड़ी का प्रयोग किया गया था जिसके बिल अभिलेख मे विद्यमान नही थे सचिव के द्वारा जारी किए गए आवार्ड पत्र की कॉलम संख्या 16 में साफ अंकित था कि लकड़ी के बिल सरकारी एजैंसी से प्राप्त करने उपरान्त ही बिल की अदायगी की जा सकती थी परन्तु सचिव द्वारा अपने ही द्वारा जारी किए गए अवार्ड पत्र की अवहेलना करके बिना लकड़ी के बिल प्राप्त किए कार्य बिल का भुगतान ठेकेदार को किया गया। इस भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस मामले को उच्चाधिकारी के समक्ष लाया जाए तथा इस बिल बारे वन मण्डल अधिकारी कुल्लू से अन्नापति पत्र प्राप्त करें अन्यथा समस्त राशि की वसूली दोषी कर्मचारी/ठेकेदार से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं।

7¼27½ jSgu clsjk dk vukf/kd`r fuek.k ¼&

नगर पंचायत मनाली को राष्ट्रीय मलीन विकास कार्यक्रम अधीन (Under NSDP) मलीन बस्ती के सुधार हेतु राशि प्राप्त हुई। नगर पंचायत के वार्ड नम्बर 2,6,7 को राष्ट्रीय मलीन विकास (NSDP) के अधीन चयनित किया तथा यह घोषित किया गया ि कइस कार्यक्रम के अर्न्तगत एक रैहन बसेरा का निम्राण करवाया जाएगा। यह रैहन बसेरा वर्ष 2000 में निर्मित करवाया जाना था परन्तु बाद में 2001 में रैहन बसेरा समीप वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला मनाली के समीप निर्माण हेतु स्थान को चयनित किया गया जो वार्ड नम्बर 4 में स्थित है। राष्ट्रीय मलीन विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत यह कार्य वार्ड नम्बर 2,6, या 7 में ही करवाया जाना अनिवार्य था न कि वार्ड नम्बर 4 में एन0एस0डी0पी0, पाकेट अनुसार रैहन बसेरा का निर्माण किया जा सकता था। रैहन बसेरा पर वर्ष 2006 में खर्चा किया गया था जो अनाधिकृत/अनियमित था।

जब इस व्यय की रिकॉर्ड सहित छानबीन की गई तो पाया गया कि वर्ष 2004 मे नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 5/447 दिनांक 4.6.2005 में यह निर्णय पंचायत बैठक में लिया गया कि जो स्थान रैहन बसेरा के लिए चयनित किया गया था उस जगह पर एक हॉल, रसोई, शौचालय, स्नानागार प्रथम मन्जिल (Ground Floor) में महिला मण्डल को मुफ्त (Free of Cost) बना कर दिया जाए क्योंकि यह रैहन बसेरा वाली जमीन महिला मण्डल के नाम थी। केन्द्र की स्कीम राष्ट्रीय मलीन विकास कार्यक्रम के नियमों में एसा कोई प्रावधान नही था कि किसी अन्य को राशि देकर कार्य करवाया जाए। नगर पंचायत न केवल नियम का उलंधन किया है बल्कि एन0एस0डी0पी0 पाकेट से

प्राप्त राशि का भी दुरूपयोग किया है और भवन निर्माण करके महिला मण्डल को दिया है। इस निर्माण में ₹6.80 लाख रुपयों का व्यय किया है।

नगर पंचायत निम्न आपत्ति जो इस एन0एस0डी0पी0 पॉकेट में आई हैं के बारे स्पष्टीकरण निदेषक महोदय को तुरन्त दे तथा इस व्यय की उच्चाधिकारी द्वारा छानबीन करने की सिफारिश की जाती है।

(क) जिस स्थान पर रैहन बसेरा का निर्माण किया जाना था क्यों नहीं करवाया गया।

(ख) महिला मण्डल को मुफ्त भवन (Free of Cost) बनाने की क्या आवष्यकता पड़ी।

(ग) अनाधिकृत रूप से निर्मित महिला मण्डल को निर्मित भवन की अदायगी सचिव के द्वारा किस प्रकार की गई जबकि नियमों में प्रावधान नहीं था।

(घ) राष्ट्रीय मलीन विकास कार्यक्रम से प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र किस आधार पर दिया गया के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

7¼28½ <u>ejEer dk;Z ij uxj iapk;r fuf/k ls ₹4]975-00 dk vukf/kd`r O;;</u> ¼&

नगर पंचायत द्वारा वाऊचर संख्या शून्य, अवधि 8/04 द्वारा ₹4,975.00 का व्यय रांगड़ी (मनाली) मे निर्मित नौराड भवन की मुरम्मत हेतु दर्षाया है जबकि नौराड भवन की मुरम्मत नौराड से प्राप्त अनुदान राशि से किया जाना आपेक्षित था सचिव नगर पंचायत ने नियमों की अवहेलना करके नगर पंचायत कोष से अनाधिकृत रूप में खर्चा किया इस राशि की वसूली नौराड कोष से की जाए अन्यथा राशि की वसूली सचिव से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं। भविष्य में इस प्रकार के व्यय करने से परिहार किया जाए। की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित करें।

7¼29½ <u>₹12]70]461-00 izfrHkwfr dh lafnX/k vnk;xh</u> ¼&

नगर पंचायत मनाली के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न अदायगी ठेकेदारों को उनकी निर्माण कार्य के विरूद्ध रोकी गई प्रतिभूति के रूप में की गई इसमें निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) नगर पंचायत के द्वारा प्रतिभूति (Security) रजिस्टर नहीं बनाया गया था।

(ख) प्रतिभूति एकाऊंट अलग से नहीं बनाया गया था।

(ग) ठेकेदार से प्राप्त की गई राशि की पावति (APR) रिकॉर्ड में विद्यमान नहीं थी जिसके अभाव में राशि की अदायगी उचित प्रतीत नहीं होती बिना पावति के अदायगी को उचित नहीं माना जा सकता। पावति प्राप्त करके इस निदेषालय को बताई जाए अन्यथा राशि को नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं।

(घ) नगर अभियन्ता के प्रतिभूति वापिस करने बारे आदेश प्रति भी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी।

दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट ''एस'' में दिया गया है।

7¼30½ vukf/kd`r Hkou fuekZ.k dk ekeyk ¼&

नगर पंचायत क्षेत्र में लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप में सैंकड़ों भवनों का निर्माण किया गया था जिसका वर्णन इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ओ'' पर दिया गा है। सचिव नगर पंचायत द्वारा इन अवैध निर्माणों को न तो नियमित करवाने हेतु पग उठाया है, न ही इन अवैध निर्माण के केस न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं और न ही नियमाधीन गिराया गया इस अवैध निर्माण से नगर पंचायत मनाली को लाखों रुपयों की हानि हुई हैं। इसकी भरपाई हेतु उचित पग उठाए जाएं। इन मामलों को न्यायालय में ले जाने के सन्दर्भ में कार्यवाही की जाए। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का अवैध निम्र्राण में समर्थन हो और समय रहते अवैध निर्माण के नोटिस न जारी किए हों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

7¼31½ fuekZ.k dk;Z fcy esa ₹1]96]749-00 dk vf/kd Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 19, अवधि 9/04 अनुसार ₹4,85,565.00 का भुगतान चमन लाल ठेकेदार को मिषन चिकित्सालय के समीप पार्किंग निर्माण हेतु किया गया इस बिल की छानबीन दौरान निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई इनका निपटान करके इस निदेषालय को सूचित करें :-

(1) जो टैण्डर सचिव ने अवैध रूप में किए थे जो नगर अभियन्ता के द्वारा निकाले न गए थे के मद संख्या 2 में पी0एल0सी0सी0 1.2.4 की दर 10.62 एम^3 पर ₹1,350.00 दी है जबकि इसकी दर ₹1,000.00 प्रति घनमीटर थी इस अनुसार मद पर 10.62 घनमीटर की दर ₹350.00 प्रति घनमीटर अधिक भुगतान करके ₹3,717.00 का अधिक भुगतान हुआ है। इस राशि की वसूली की जानी सुनिष्चित करें।

(2) मद संख्या 6 में पी0एफ वर्क विद स्टील प्लेट 3.15एम.एम का 184.40 घनमीटर अधिक कार्य करवाया गया जिसकी दर ₹90.00 प्रति घनमीटर ₹16,596.00 का अधिक भुगतान किया की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

(3) मद संख्या 10 में आर.आर मेसनरी 1.6.12 में 104.67 घनमीटर अधिक कार्य करवाया गया जो ₹1,300.00 घनमीटर दर से ₹1,36,071.00 बनता है इस अधिक किए भुगतान की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

(4) मद संख्या 3 में पी0एल0सी0सी0 1.1½.3 में 17.85 घनमीटर अधिक कार्य करवाया गया जो ₹2,450.00 प्रति घनमीटर की दर से ₹43,732.00 बनता है की वसूली करनी सुनिष्चित करें। राशि की वसूली बारे इस निदेषालय को सूचित करें।

7¼32½ tehu Ø; e: lfnX/k Hkfedk yxHkx ₹15]45]800-00 dk vf/kd Hkxrku ¼&

नौराड प्रोजैक्ट नगर पंचायत मनाली को हिमाचल सरकार द्वारा भारत सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुआ था नगर पंचायत द्वारा इस प्रोजैक्ट के तहत कुडा संयत्र का निर्माण करना था। इस प्रोजैक्ट हेतु नगर पंचायत को भूमि का प्रबन्ध करना था जिस पर यह प्रोजैक्ट का निर्माण कार्य किया जाना था नगर पंचायत सरकार से भूमि का कोई प्रबन्ध न करवा सकी जबकि जिस स्थान पर इस प्रोजैक्ट का निर्माण किया है के समीप सरकारी भूमि उपलब्ध थी यह प्रोजैक्ट वर्ष 2000 में नगर पंचायत को प्राप्त हुआ तथा ततकालिन सचिव श्री जगदीश गुप्ता ने सरकारी भूमि लिए जाने बारे कोई पग न उठाया बल्कि गांव रांगड़ी के पास श्री सूरत राम का एक पुराना सा मकान बना था। इस के मकान को प्रोजैक्ट प्रयोग हेतु चुना गया जिस पुराने मकान के गिर्द श्री सूरत राम की कुछ भूमि भी थी को भी प्रयोग हेतु चुना इस खरीद में ततकालिन सचिव ने कोई औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की जो की जानी आवष्यक थी जिसमें :–

(1) जिस भूमि/मकान को खरीदा जाना था की मन्जूरी निदेषक शहरी विकास/सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश से ली जानी चाहिए थी की मन्जूरी के कोई दस्तावेज अंकेक्षण में नहीं बताए गए।

(2) इस खरीद के लिए घन का प्रावधान कहां से किया जाना था उसका उल्लेख नौराड प्रोजैक्ट में नहीं किया गया था तथा जो धन सचिव के द्वारा व्यय किया गया को किसके आदेश से किया यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(3) सचिव श्री जगदीश गुप्ता ने श्री सूरत राम को इस भूमि की तो अदायगी की साथ ही एक प्लाट जो मॉडल टाऊन मनाली में दिया की कीमत लाखों रुपयों की थी बिलकुल मुफ्त में दी जो न केवल गम्भीर अनियमितता थी परन्तु सरकारी जमीन को उक्त व्यक्ति को दे कर सरकारी आदेषों की पालना न करते हुए अपनी मर्जी से प्लाट अलॉट किया जिसकी छानबीन होनी चाहिए तथा लाखों रुपये का प्लॉट श्री सूरत राम को किस ढंग से दिया।

(4) श्री जगदीश गुप्ता ने इस जमीन/मकान खरीद को स्वयं अमली जामा पहनाया जबकि मकान/जमीन की कीमत उच्चाधिकारी (जिलाघीष/राजस्व अधिकारी) के माध्यम से करनी चाहिए थी।

(5) नगर पंचायत अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता ने इस मकान/जमीन की कीमत लगभग 8 लाख रुपये आंकी थी परन्तु सचिव ने ₹8 लाख देने ठीक नहीं समझे और श्री सूरत राम को निम्न राशि अदा की गई :—

ok0 l:0	vof/k	jkf'k
15	4/01	4,00,000.00
152	8/02	6,29,325.00
421	6/04	13,16,475.00
		23]45]800-00

जब सूरत राम के साथ जमीन/पुराने मकान का सौदा नगर पंचायत सचिव श्री जगदीश गुप्ता नगर पंचायत अभियन्ता द्वारा आंकलन की राशि ₹8 लाख के अनुसार अन्तिम कर दिया गया था और इस बारे श्री जगदीश गुप्ता व सूरत राम के बीच अनुबन्ध भी हो गया था तब ₹23,45,800.00 का भुगतान क्यों किया गया व ₹15,45,800.00 का अधिक भुगतान जिस अधिकारी के द्वारा किया गया से इसका स्पष्टता के लिए जब सचिव से अधियाचना के द्वारा पूछा तो उसका जवाब सचिव ने नहीं दिया।

(6) जमीन/मकान की कीमत का आंकलन जब नगर पंचायत के आला अधिकारी ने कर दिया था तब दोबार मकान/जमीन की Valuation करने की क्या आवष्यकता पड़ी सचिव नगर पंचायत से जब इस बारे पूछा गया तो तसलीबक्श उत्तर न दे सके निम्न राशि जो Valuation पर

व्यय किया गया है की वसूली सचिव से करनी सुनिष्चित करें। नौराड निधि में Valuation पर व्यय करने का प्रावधान नहीं था।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
11	7/01	12,877.00	अदायगी एस0टी0 इन्जीनीयर प्रा0 लिमिटिड कुल्लू को किया।
271	5/03	23,429.00	हिमाचल प्रदेश लो0नि0वि0 कुल्लू को अदायगी की गई।
		36]306-00	

(7) नौराड प्रोजैक्ट नियम में जमीन झगडे पर व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं था फिर भी सचिव नगर पंचायत द्वारा निम्न व्यय वकीलों को अदा किया गया जिसकी मन्जूरी सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई थी।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
145	8/02	12,950.00	आनन्द शर्मा वकील षिमला को भुगतान किया गया।
302	8/04	24,000.00	सखन डोगरा वकील षिमला को भुगतान किया गया।

इतनी अधिक फीस देने का क्या अभिप्राय था अंकेक्षण में नहीं बताया गया। जिस झगड़े के विरूद्ध यह फीस अदा की के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि झगडा क्यों और कैसे हुआ।

lafnX/k Hkqxrku

7¼33½ vfHkys[k@ikjnf'kZrk ds fcuk ₹2]70]539-00 dk lafnX/k Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 65, अवधि 1/02 द्वारा ₹94,200.00 एवं वाऊचर संख्या 164, अवधि 9/02 द्वारा ₹1,76,339.00 का भुगतान बालक राम ठेकेदार को किया गया था अदायगी किस कार्य के विरूद्ध किया गया था यह अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अदायगी अंकेक्षण में सम्बन्धित अभिलेख आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत करें।

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि प्राक्कलन के अनुसार जितना कार्य मदों में किया जाना अपेक्षित था उस कार्य से अधिक कार्य मदों में करवाया गया जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। मदों में अतिरिक्त करवाए जाने की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त नही की गई थी जिसके बिना अधिक किए गए कार्य के भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता इस कार्य की

मन्जूरी तकनीकी/प्रषासनिक तौर पर भी प्राप्त नहीं की गई थी। इसकी मन्जूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाए अन्यथा राशि की वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	ftl s Hkqxrku fd;k	dk;l dk uke	en	tk dk;l gkuk Fkk	tk gqvk	vUrj	nj	jkf'k
80	7/03	58802	करनम ठेकेदार नेपाल	मिडोज होटल से सियाली महादेव तक सड़क निर्माण कार्य	स्टोन सोलिंग	35.70 m^2	40.94 m^3	5.24 m^3	800	1572
					पी.एल.सी.सी 1.6.12	23.80 m^2	28.50 m^3	4.70 m^3	930	4324
					पी.एल.सी.सी 1.2.4	11.90 m^3	14.21 m^3	2.31 m^3	1750	4042
										9938

वाऊचर संख्या 12, अवधि 1/2000 अनुसार ₹4,77,420.00 का भुगतान श्री नील चन्द ठेकेदार को अग्नि शमन विभाग के समीप पार्किंग गैरेज के निर्माण हेतु ₹229.56% दर सूचि 1999 से उपर किया गया पार्किंग गैरेज के प्राक्कलन अनुसार जिन जिन मदों का कार्य किया जाना आपेक्षित था के विरूद्ध नगर पंचायत ने अन्य मदों के उपर व्यय किया जिसका उल्लेख प्राक्कलन में नहीं किया गया था नियमाधीन यह अन्य कार्य केवल सक्षम अधिकारी की मन्जूरी लिए जाने उपरान्त ही किया जा सकता था जो सचिव द्वारा नहीं ली थी जिसके अभाव में इस अन्य मदों पर किए गए व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। इस अतिरिक्त कार्य पर ₹4,93,063.00 का भुगतान किया गया था जो अनियमित था इस किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाए।

en	tk dk;l fd;k	nj	n; nj	jkf'k
वोलडिंग फिलिंग अन्डर फ्लोर	199.98 एम^3	108.45+229.56%	357.40	71,472.00
केरियर ऑफ सोयल	991.95 एम^3	26.00+229.56%	85.65	84,961.00
एस0आर0मैन हैण्ड स्टोन सी. सी. 1.6	244.92 एम^3	417.08+229.56%	1,374.45	3,36,630.00

4]93]063-00

okgu lEcU/kh

8¼1½ okgu uEcj ,p0ih0 58@1102 dh ykx cqd e ikb xb vfu;ferrk,¡ %&

गाड़ी की लॉग बुक में डीजल की Monthly Consumption Statement न दर्षाई गई थी जिसके न दर्षाने के कारण बकाया डीजल के बारे लॉग बुक में न दर्षाया गया था। अतः प्रतिमाह गाड़ी का Speedometer's Final Reading and Initial Reading की गणना करके गाड़ी ने जो दूरी तय की का पता लगाया जा सका तथा प्रतिमाह कुछ जो डीजल डलवाया गया था का विवरण तैयार करके गाड़ी में जो अधिक डीजल की खपत (Consumption) की गई का पता लगाया जा सका का विवरण निम्न प्रकार से है :–

ekg	vof/k	**Initial Reading**	**Final Reading**	r; dh xbl njh	Mhty tks Myok;k x;k
5/03	05.05.03 से 31.05.03	5412	6300	888 कि0मी0	390 लीटर
6/03	01.06.03 से 30.06.03	6300	8380	2080 कि0मी0	582 लीटर
7/03	01.07.03 से 31.07.03	8380	10124	1744 कि0मी0	425 लीटर
8/03	01.08.03 से 30.08.03	10124	11180	1056 कि0मी0	180 लीटर
9/03	01.09.03 से 30.09.03	11180	12408	1228 कि0मी0	140 लीटर
10/03	01.10.03 से 31.10.03	12408	13355	947 कि0मी0	401 लीटर
11/03	01.11.03 से 30.11.03	13355	14215	860 कि0मी0	300 लीटर
12/03	01.12.03 से 31.12.03	14215	15051	836 कि0मी0	380 लीटर
1/04	01.01.04 से 31.01.04	15051	15919	868 कि0मी0	300 लीटर

2/04	01.02.04 से 29.02.04	15919	16736	817 कि0मी0	100 लीटर
3/04	01.03.04 से 31.03.04	16736	17709	973 कि0मी0	300 लीटर
4/04	01.04.04 से 30.04.04	17709	18888	1179 कि0मी0	280 लीटर
5/04	01.05.04 से 31.05.04	18888	20395	1507 कि0मी0	400 लीटर
6/04	01.06.04 से 30.06.04	20395	21991	1596 कि0मी0	400 लीटर
7/04	01.07.04 से 31.07.04	21991	23353	1362 कि0मी0	320 लीटर
8/04	02.08.04 से 31.08.04	23353	24482	1129 कि0मी0	180 लीटर
9/04	01.09.04 से 30.09.04	24482	25689	1207 कि0मी0	358 लीटर
10/04	01.10.04 से 30.10.04	25689	26774	1085 कि0मी0	338 लीटर
11/04	01.11.04 से 30.11.04	26774	28022	1248 कि0मी0	297 लीटर
12/04	01.12.04 से 31.12.04	28022	29220	1198 कि0मी0	300 लीटर
1/05	01.01.05 से 31.01.05	29220	30499	1279 कि0मी0	190 लीटर
2/05	01.02.05 से 07.02.05	30499	30604	105 कि0मी0	—
3/05	01.03.05 से 29.03.05	30604	31117	513 कि0मी0	100 लीटर
				25705 fd0eh0	6661 yhVj

गाड़ी की Average 4.K.M per/Litter डीजल के हिसाब से 25705 कि0मी0 के लिए 6427 लीटर डीजल की खपत होनी थी जोकि 6661 लीटर डीजल की खपत होने से 234 लीटर डीजल अधिक खपत हुआ बकाया डीजल बारे लॉग बुक में न दर्षाया गया। अतः अधिक खपत जो 234 लीटर डीजल की हुई At Prevailing Market Rate से इसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

8¼2½ uxj ipk;r dh fofHkUu xkMh;k dh ejEer d ekeyk e vfu;ferrk, %&

सचिव नगर पंचायत द्वारा अवधि 1, से 3/05 की भीतर समय–समय पर नगर पंचायत की विभिन्न गाड़ीयों की मुरम्मत करवाई गई थी जिसका अंकेक्षण करते समय पाया गया कि सचिव द्वारा अपने निवास क्षेत्र सुन्दरनगर अथवा उसके नजदीकी कर्मषालाओं में हाथों–हाथ कोटेषनें ली जाती रही जिसके लिए कभी भी कोटेषन काल पत्र जारी नहीं किए गए न ही कभी लोकल क्षेत्र मनाली अथवा कुल्लू की कर्मषालाओं में गाड़ीयों की मुरम्मत करवाने हेतु कोटेषने काल की गई उपरोक्त कार्य में निम्न त्रुटियां पाई गई जिसका निष्पादन तुरन्त किया जाए।

(1) सर्वप्रथम गाड़ी की मुरम्मत हेतु आवेदन से प्राप्त होना चाहिए था कि गाड़ी के निम्न कलपुर्जों की मुरम्मत करवाई जानी अपेक्षित है जो अभिलेख में मौजूद नहीं थी।

(2) उक्त के पष्चात स्थानीय लोक निर्माण विभाग हिमाचल पथ परिवहन निगम कार्यषालाओं के प्रभारी से गाड़ी का निरीक्षण करवा कर उसके एस्टीमेन्ट प्राप्त करके उन्ही कर्मषाला से मुरम्मत व्हीकल मैन्टिनैंस एक्ट के तहत करवानी अपेक्षित थी अन्यथा सुविधा उपलब्ध न होने पर स्थानीय कर्मषालाओं में मुरम्मत करवाई जानी अपेक्षित थी मनाली से सुन्दरनगर लगभग 135 कि0मी0 की दरूी है अतः 270 कि0मी0 गाड़ी अनावष्यक चलाई गई जिसमें से लोकल कर्मषाला में मुरम्मत करवाने पष्चात गाड़ी की टैस्टींग पर अधिक से अधिक गाड़ी 20 कि0मी0 चलती अतः गाडी की लॉग बुक में निकाली गई उसकी प्रति कि0मी0 औस्त के आधार पर 2.50 रुपये कि0मी0 की दर से जब भी गाड़ी की मुरम्मत मनाली क्षेत्र के बाहर करवाई गई थी की वसूली सचिव नगर पंचायत से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं।

(3) सचिव द्वारा गाड़ी की मुरम्मत करवाने हेतु जो यात्रा भत्ता लिया है की विभागीय स्तर पर सूचि बना कर अनावष्यक यात्रा भत्ता की समस्त राशि की वसूली करनी सुनिष्चित करें।

(4) उक्त प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मनाली क्षेत्र से बाहरी फर्म के साथ मिलीभगत थी जिससे नगर पंचायत के निधि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः यह मामला निदेषक महोदय के समक्ष लाया जाना आवष्यक है जिससे इस मामले की छानबीन करवाई जा सके।

कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, के अतिरिक्त अन्य समस्त मामले विभागीय स्तर पर जांच करके इसमे सम्मलित किए जाएं व तदानुसार मामला इस निदेषालय को प्रस्तुत करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k

28	3/00	14,820.00	गाड़ी नम्बर एच0आई0ई–1027 की मुरम्मत अनवर ओटो वर्क्स नेर चैक(सुन्दरनगर) से करवाई गाड़ी की मुरम्मत 04.10.1999 को करवाई गई थी।
25	5/00	2,400.00	गाड़ी नम्बर एच0आई0ई– 1027 की मुरम्मत अनवर ओटो वर्क्स नेर चौक, जिला मण्डी से करवाई गई।
	11/00	24,451.00	गाड़ी नम्बर एच0आई0ई– 1027 की मुरम्मत अनवर ओटो वर्क्स नेर चौक, जिला मण्डी से करवाई गई।
31	4/01	7,292.00	गाड़ी नम्बर एच0आई0ई– 1027 की मुरम्मत अनवर ओटो वर्क्स नेर चौक, जिला मण्डी से करवाई गई।
27	8/01	2,250.00	गाड़ी नम्बर एच0आई0ई– 1027 की मुरम्मत अनवर ओटो वर्क्स नेर चौक, जिला मण्डी से करवाई गई।
19	11/01	20,620.00	गाड़ी नम्बर एच0आई0ई– 1027 की मुरम्मत अनवर ओटो वर्क्स नेर चौक, जिला मण्डी से करवाई गई।
43	7/02	3,788.00	गाड़ी नम्बर एच0आई0ई– 1027 की मुरम्मत अनवर ओटो वर्क्स नेर चौक, जिला मण्डी से करवाई गई।
30	12/02	61,527.00	गाड़ी नम्बर एच0आई0ई 1027 की मुरम्मत सुपरीम ऑटो मोबाईल सोली खड मण्डी से करवाई गई।
30	4/03	5,955.00	गाड़ी नम्बर एच0पी0 34–3473 की मुरम्मत अमृत मोटर्स नेर चौक मण्डी से करवाई गई।
35	1/02	12,136.00	गाड़ी नम्बर एच0आई0ई 1027 की मुरम्मत सुपरीम ओटो मोबाईल सोली खण्ड मण्डी से करवाई गई।
36	2/05	4,956.00	गाड़ी नम्बर एच0पी0 58–1402 भुगतान एन0जे0सर्विस सैन्टर धनोट को किया मैकेनिक की रिपोर्ट नहीं थी। निविदाएं सचिव द्वारा स्वयं एकत्रित की गई।नगर पंचायत की स्वीकृति नहीं ली गई बदला हुआ सामान भण्डार में नहीं लिया गया।
43	2/05	62,494.00	गाड़ी नम्बर एच0पी0 58–1402 भुगतान एन0जे0सर्विस सैन्टर धनोट को किया मैकेनिक की रिपोर्ट नहीं थी। निविदाएं सचिव द्वारा स्वयं एकत्रित की गई।नगर पंचायत की स्वीकृति नहीं ली गई बदला हुआ सामान भण्डार में नहीं लिया गया।

8¼3½ uxj iapk;r dh xkM+h uEcj ,p-ih-34&3473 VkVk lweks dh ejEer ij ₹56]982-00 dk vfu;fer O;; ¼&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न अदायगीयां नगर पंचायत की गाड़ी नम्बर एच.पी.34–3473 टाटासूमों की मुरम्मत हेतु की गई थी। जिस चालक को इस गाड़ी के लिए तैनात किया था ने गाड़ी की मुरम्मत बारे कार्यालय से कोई लिखित आदेश प्राप्त नही किए थे कि गाड़ी की अमूक मुरम्मत करवाई जाए न ही किसी मकैनिक की रिपोर्ट टाटा सूमों की खराबी बारे रिकार्ड में मौजूद थी। गाड़ी की मुरम्मत की लॉग बुक में भी इन्द्राज नही किया गया था कि गाड़ी की मुरम्मत करवाई जा रही है और गाड़ी वर्कषॉप में मुरम्मत हेतु भेजी है। इस समस्त दस्तावेज के उपलबध न होने के फलस्वरूप गाड़ी की मुरम्मत संदिग्ध प्रतीत होती है और गाड़ी मुरम्मत में बदले गए सामान का भी कहीं भण्डार पंजिका में इन्द्राज नहीं दिखाया गया। इस व्यय को अभिलेख की कमी के कारण उचित नहीं माना जा सकता। चालक/गाडी प्रभारी से जब इस बारे पूछताछ की गई तो वह सन्तोषजनक जवाब न दे सके। मामले की उच्चाधिकारी द्वारा जांच करवाई जाए की सिफारिश की जाती है तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा औपचारिकताएं पूर्ण न करवाए जाने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए। दोषी कर्मचारी से वसूली करनी सुनिष्चित करें। भविष्य में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मकैनिकल डवीजन से मुरम्मत बारे आंकलन प्राप्त करके सभी गाडियों की मुरम्मत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
27	7/01	3,605.00	अदायगी मनाली मोटर मनाली को की।
28	7/01	2,010.00	अदायगी मनाली मोटर मनाली को की।
48	8/01	2,880.00	अदायगी अम्बिका मोटर मनाली को की।
28	9/01	1,390.00	अदायगी गियानी ओटो वर्क्स मनाली को की।
23	12/01	2,605.00	अदायगी हडिम्बा मोटर मनाली को की।
42	12/02	1,165.00	–
52	5/02	6,510.00	अदायगी हडिम्बा मोटर मनाली को की।
45	5/02	990.00	अदायगी हडिम्बा मोटर मनाली को की।

25	10/02	5,120.00	राजू मोटर मनाली को अदायगी की गई।
29	12/03	9,505.00	हडिम्बा मोटर मनाली को अदायगी की गई।
39	4/04	4,200.00	एच.पी. एग्रो इन्डस्ट्री कुल्लू को अदायगी की।
	10/04	11,280.00	हडिम्बा मोटर मनाली को अदायगी की गई।
23	6/99	4,087.00	अदायगी स्टेण्र्डउ सर्विस चण्डीगढ एवं जे0एस0 ट्रेडर्ज चण्डीगढ को की।
25	6/99	1,635.00	अदायगी मनाली मोटर्स मनाली को की।
		56]982 - 00	

8¼4½¼a½ <u>uxj iapk;r VªDVj uEcj ,p-ih-34@3215 dh Ykkx cqd esa ikbZ xbZ vfu;ferrk,a</u> ¼&

अंकेक्षण अवधि के दौरान ट्रैक्टर की लॉग बुक के अवलोकन से पाया गया कि ट्रैक्टर की Average एक घण्टे में डीजल की खपत 5 लीटर दर्षाई गई।

ट्रैक्टर की लॉग बुक की जांच के दौरान निम्न अनियमितता ट्रैक्टर में डीजल की खपत बारे तथा घन्टों बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से दर्षाया गया है :–

				Speedmeter Reading			
ykWx cqd i"B l0	fnukad	**From**	**To**	**Initial**	**Final**	**Hrs (?k.V)**	fooj.k
44	24.10.00	4 pm	6 pm	1655	1655	2 घण्टे	2 घण्टे अधिक दर्षाये।
50	23.5.01	7 pm	11 pm	1779	1779	2 घण्टे	2 घण्टे अधिक दर्षाये।
52	1.6.01	2 pm	6 pm	1812	1812	1 घण्टे	1 घण्टे अधिक दर्षाया।
65	12.10.01	8 am	5 pm	2020	2021	4 घण्टे	3 घण्टे अधिक दर्षाये।

66	12.10.01	5 pm	6 pm	2021 वास्तव में	2022	1 घण्टे	
	13.10.01	8 am	5 pm	2022 Log Book 2025	2025	4 घण्टे	1 घण्टे अधिक दर्षाया।
75	23.3.02	8 am	2 pm	2201½ वास्तव में	2201½	1 घण्टे	1 घण्टे अधिक दर्षाया।
73	8.3.02	8 am	4 pm	2166 Log Book 2165	2168	3 घण्टे	1 घण्टे अधिक दर्षाया।
79	15.6.02	7 am	11.30 am	2291½	2293	2½ घण्टे	1 घण्टे अधिक दर्षाया।
90	9.8.02	5.30 pm	7 pm	Dead meter	घण्टे न दर्षाये अतः 5 लीटर डीजल की खपत किया दर्षाया गया।		
97	21.9.02	7 am	3 pm	2729	2731	3 घण्टे	1 घण्टे अधिक दर्षाी।
98	24.10.02	1pm	1.30 pm	2770	2771	1 घण्टे	½ घण्टा अधिक दर्षाया।

अतः 13½ घण्टे में डीजल 67.5 लीटर खपत हुआ की वसूली At Premiling मार्किट रेट से की जानी अपेक्षित है। **13½ ?k.V**

8¼4½¼b½ VªDVj u0 ,p0ih-34&3215 dh ykx cqd e ikbZ xbZ vfu;ferrk,¡ %&

ट्रैक्टर नम्बर एच.पी.34–3215 की अंकेक्षण जांच पड़ताल में पाया गया कि ट्रैक्टर की चलने की प्रविष्टियां स्पीडोमीटर द्वारा दर्षाई गई अवधि से अधिक दर्षाई गई और डीजल की एक घण्टे की औसत खपत 5 लीटर दर्षाई गई इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''टी'' में संलग्न विवरण के अनुसार अधिक दर्षाए गए 217.5 घण्टों की वसूली 5 लीटर प्रतिघण्टा की औसत दर से 1087.5 लीटर डीजल की प्रचलित मार्किट रेट पर करके पंचायत कोष में जमा करवा दें। 3.11.06 के बाद की अपूर्ण लॉग बुक को भी भरवा दिया जाए।

8¼5½ uxj iapk;r eukyh ds jksM+ jksyj&87377 dk Bsdsnkjksa }kjk iz;ksx dh olwyh fd;k tkuk rFkk Bsdsnkjksa ls izkIr jkf'k dk ykWx cqd esa fooj.k u fn;k tkuk ¼&

रोड़ रोलर की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न ठेकेदारों ने रोड़ रोलर का इस्तेमान किया तथा उनसे प्राप्त राशि का विवरण लॉग बुक में न दिया गया। जिन–जिन ठेकेदारों ने रोड़ रोलर का इस्तेमान किया का विवरण निम्न प्रकार से है :–

ykWx cqd vuqlkj

frfFk tc jksM+ jksyj dk bLrseky fd;k	LFkku	ftrus ?k.Vs jksM+ jksyj dk bLrseku fd;k x;k	ykWx cqd vuqlkj Bsdsnkj dk uke ftlus iz;ksx fd;k	fVIi.kh
1.9.05	प्रीणी	3 घण्टे	ठेकेदार देवी राम	16 घण्टे रोड़ रोलर का इस्तेमाल किया गया ₹7,200 की कब वसूली की गई जबकि ठेकेदार से बकाया राशि ₹4,500 लेनी शेष थी जैसा कि लॉग बुक में दर्षाया गया। स्थिति स्पष्ट की जाए।
3.9.05		6 घण्टे		
5.9.05		6 घण्टे		
6.9.05		1घण्टे		
	dqy	16 ?k.Vs		
6.9.05	वाहंग	3 घण्टे	श्री खीमी राम	इन दोनों ठेकेदारों से राशि की यदि वसूली की गई तो विवरण लॉग बुक में न दिया गया। विवरण न देने का औचित्य दिया जाएं
7.9.05		3 घण्टे	श्री साघु राम	
9.9.05	सासे	3 घण्टे	श्री खीमी राम	
		3 घण्टे		
21.9.05		4 घण्टे	श्री खीमी राम	
22.9.05		3 घण्टे	श्री खीमी राम	
23.9.05		3 घण्टे	श्री साघु राम	
24.9.05		2 घण्टे	श्री साघु राम	
	dqy	24 ?k.Vs		

25.9.05	कोर्ट के पास	2 घण्टे	शेर बहादुर ठेकेदार	लॉग बुक में दर्षाया गया कि 25.9.05 से 30.9.05 तक ठेकेदार शेर बहादुर के पास कार्य किया कोर्ट के साथरोड़ में 5 दिन में 10 घण्टेकुल कार्य किया। परन्तु वसूल की गई राशि बारे लॉग बुक में विवरण न दिया गया।
26.9.05		2 घण्टे	शेर बहादुर ठेकेदार	
28.9.05		1 घण्टा	शेर बहादुर ठेकेदार	
29.9.05		2 घण्टे	शेर बहादुर ठेकेदार	
30.9.05		1 घण्टा	शेर बहादुर ठेकेदार	
1.10.05		2 घण्टे	शेर बहादुर ठेकेदार	
	d|y	10 ?k.V		
13.4.06	रायसन	1 घण्टा	अमित ठेकेदार	
14.4.06		4 घण्टा		
16.4.06		1 घण्टा		
19.4.06		2 घण्टे		
20.4.06		5 घण्टे		
21.4.06		4½ घण्टे		
22.4.06		2 घण्टे		वसूल की गई राशि बारे विवरण लॉग बुक में न दिया गया।
24.4.06		3 घण्टे		
25.4.06		4 घण्टे		
26.4.06		2 घण्टे		
27.4.06		3 घण्टे		
28.4.06		3 घण्टे		
29.4.06		2 घण्टे		
1.5.06		3 घण्टे		
	d|y	39½ ?k.V		
23.7.06	रायसन	1 घण्टा	लॉग बुक में नहीं दर्षाया	
24.7.06		3 घण्टे		राशि का विवरण तथा किस ठेकेदार ने रोड रोलर को इस्तेमान अपने कार्य के लिए रायसन मे किया का विवरण न था कितनी राशि की वसूली ठेकेदार से हुई न बताया गया।
25.7.06		3 घण्टे		
26.7.06		2½ घण्टे		
27.7.06		1 घण्टा		
29.7.06		3 घण्टे		
30.7.06		3 घण्टे		

31.7.06	4 घण्टे
1.8.06	2 घण्टे
2.8.06	2 घण्टे
3.8.06	2 घण्टे
4.8.06	2 घण्टे
6.08.06	2½ घण्टे
7.8.06	3 घण्टे
8.8.06	4 घण्टे
dqy	38 ?k.Vs

जिन–जिन ठेकेदारों ने रोड़ रोलर का इस्तेमाल किया का विवरण उपरोक्त दर्षाया गया। इन ठेकेदारों से जो राशि वसूल की गई बतौर रोड़ रोलर का किराया प्रति घण्टा के हिसाब से करके विवरण दिया जाए अन्यथा रोड़ रोलर का प्रयोग जिस ठेकेदार ने किया उनसे प्रति घण्टा रोड़ रोलर का किराया के हिसाब से वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जाए अंकेक्षण के दौरान रोड़ रोलर का प्रति घण्टा के हिसाब से किराया न बताया गया। इस बारे स्थिति आगामी अंकेक्षण में बताई जानी सुनिष्चित की जाए।

8¼6½ xkMh dk n`:i;ksx ₹4]71]945-00 dh olwyh ¼&

नगर पंचायत मनाली के अभिलेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत के सचिव के द्वारा नगर पंचायत की गाड़ी नम्बर एच.पी034–3473 का प्रयोग नगर पंचायत की सीमा के बाहर यात्रा करने हेतु किया था जो वह केवल निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के मन्जूरी के उपरान्त कर सकते थे। शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी–एच(ए)(7)–1/87–9237–9284, दिनांक 20 जून 2001 में यह साफ निर्देश दिए हैं। सचिव के द्वारा जो यात्रा निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की मन्जूरी के बिना की है की वसूली सरकारी दर से की जानी अपेक्षित है अन्यथा व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए। विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''यू'' में दर्षाया गया है।

8¼7½ uxj iapk;r eukyh }kjk iz;ksx dh xbZ t0lh0ch0 e'khu dh vf/kd [kir ¼&

नगर पंचायत मनाली के लेखों के अंकेक्षण के दौरान जब जे0सी0बी की लॉग बुक की पड़ताल की गई तो पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ड्राईवर के द्वारा लॉग बुक में डीजल की खपत को वास्तविक से अधिक मात्रा में दर्षाया गया। इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''वी'' में दर्षाई गई 777.5 लीटर की अधिक खपत की वसूली प्रचलित बाजार भाव दर से दोषी से की जाए तथा राशि को नगर पंचायत कोष में जमा करवा दिया जाए।

इस प्रकार परिषिष्टि ''डब्लयू'' में दर्षाई गई लॉग बुक की प्रविष्टियों के अनुसार जे0सी0बी केवल 108 घण्टे प्रयोग की गई जिसके लिए डीजल की खपत 5 लीटर प्रति घण्टा की दर से बताई गई जिसके अनुसार 540 लीटर डीजल प्राप्त था परन्तु उसके लिए 633 लीटर डीजल की खपत दर्षाई गई। अतः 93 लीटर डीजल की अधिक खपत दिखाई गई जिसकी वसूली प्रचलित बाजार भाव की दर से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवा दिया जाए इसके अतिरिक्त लॉग बुक को पूर्ण रूप से न भरने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए। गाड़ी इन्चार्ज के पास सत्यापन के लिए लॉग बुक नित्यप्रति प्रस्तुत की जाए तथा लॉग बुक को नियमानुसार भरना सुनिष्चित किया जाए।

8¼8½ uxj iapk;r eukyh }kjk t0lh0ch dk iz;ksx u djuk rFkk ykWx cqd vuqlkj mlesa MhTky lfnX/k :i ls Myok;k tkuk ¼&

अंकेक्षण अवधि के दौरान जब नगर पंचायत मनाली की जे0सी0बी की लॉग बुक की जांच की गई तब यह पाया गया कि विभिन्न तिथियों में केवल जे0सी0बी मे केवल डीजल ही डलवाया गया था का विवरण निम्न प्रकार से है। उस दौरान जे0सी0बी का प्रयोग कितने घण्टे किया गया डीजल की खपत बारे लॉग बुक मे विवरण न दिया गया।

ykWx cqd i"B la0	fnukad	ykWx cqd vuqlkj ts- lh-ch dk iz;ksx ftrus ?k.Vs fd;k x;k	frfFk tc MhTky Myok;k x;k	MhTky dh ek=k
3 से 10	2.4.04 से 27.4.05	लॉग बुक में न दर्षाया गया।	12.5.04	60 लीटर
			15.5.04	80 लीटर
			31.5.04	40 लीटर
			15.06.04	80 लीटर
			5.07.04	80 लीटर
			17.7.04	20 लीटर
			6.10.04	60 लीटर
			20.1.05	60 लीटर
			23.01.05	80 लीटर
			25.1.05	90 लीटर

27.1.05	70 लीटर
28.1.05	60 लीटर
29.1.05	40 लीटर
31.1.05	60 लीटर
7.2.05	60 लीटर
8.2.05	60 लीटर
9.02.05	60 लीटर
10.2.05	60 लीटर
11.2.05	60 लीटर
11.2.05	60 लीटर
16.2.05	60 लीटर
17.2.05	60 लीटर
18.2.05	60 लीटर
19.2.05	60 लीटर
20.2.05	60 लीटर
21.2.05	60 लीटर
22.2.05	60 लीटर
23.2.05	60 लीटर
24.2.05	60 लीटर
25.2.05	60 लीटर
26.2.05	60 लीटर
28.2.05	60 लीटर
29.3.05	80 लीटर
27.4.05	60 लीटर
dqy	2100 yhVj

डीजल की खपत लॉग बुक में न दर्षाने तथा जितने घण्टे जे0सी0बी का प्रयोग किया न दर्षाने का औचित्य दिया जाए अन्यथा क्रय किए डीजल 2100 लीटर की At Prevailing Market Rate से रिकवरी सम्बन्धित ड्राईवर या सम्बन्धित अधिकारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जाए। लॉग बुक का रख रखाव सही न पाया गया।

8¼9½ fM;Vh dh ykijokgh cVjh dh pkjh l ₹11]078-00 dh {kfr ¼&

(i) मास 5/2000 में नगर पंचायत मनाली के अहाते में खड़ी नगर पंचायत की माजदा गाड़ी की बैटरी चौकीदार की डियूटी होते हुए गुम हो गई जब इस बारे सचिव नगर पंचायत से पूछताछ की गई तो सचिव के द्वारा ठीक प्रकार से बैटरी चोरी होने या गुम होने का पूरा विवरण अंकेक्षण में नहीं बता सके। ऐसा प्रतीत होता है कि चौकीदार के द्वारा बैटरी स्वयं गुम करके झूठी रिपोर्ट कार्यालय को दी कि माजदा गाड़ी की बैटरी गुम/चोरी हो गई है। जबकि चौकीदार की डियूटी है कि वह रात को जाग कर कार्यालय व अहाते में रखे सामान इत्यादि की देखभाल करें फिर गाड़ी की बैटरी चोरी होने

का क्या कारण था सचिव नगर पंचायत ने बैटरी की चोरी बारे कोई छानबीन नहीं की अपितु वाऊचर संख्या 27, अवधि 5/2000 अनुसार ₹5,620.00 की बैटरी खरीद कर गाड़ी में लगवा दी। इस खरीद को अंकेक्षण में उचित नही माना जा सकता। राशि की वसूली ततकालीन चौकीदार से करके तुरन्त नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं की गई कार्यावाही से इस निदेषालय को सूचित करें। भविष्य में इस प्रकार की गलती न दोहराई जाए जिससे नगर पंचायत को वित्तीय हानि का सामाना करना पड़े।

(ii) इसी प्रकार गाड़ी नम्बर एच.आई.ई. 1027 की बैटरी दिनांक 13.3.01 को चोरी हो गई जबकि कार्यालय में चौकीदार मौजूद था सचिव नगर पंचायत ने बैटरी की कीमत की वसूली चोकीदार से न की जो इस का जिम्मेवार था क्योंकि चौकिदार का कार्य रात को जाग कर कार्यालय/गाड़ी जो कार्यालय के समीप खड़ी थी की देखभाल करना था बल्कि बाजार से वाऊचर संख्या 34, अवधि5/01 द्वारा ₹5,458.00 की बैटरी मनाली सर्विस स्टेषन मनाली से खरीद कर गाड़ी में लगा दी इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं। की गई कार्यावाही से इस कार्यालय को सूचित करें।

8¼10½¼a½ नगर पंचायत की गाड़ियों की लॉग बुक की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत की गाड़ी नम्बर एच0पी0 34–2675 माजदा का स्पीडोमीटर 24.4.98 से बन्द पड़ा था और वह लॉग बुक अनुसार चला ही न था। इस बारे जब सचिव से पूछा गया तो सचिव ने बताया कि स्पीडोमीटर बाजार में नहीं मिल रहा है जबकि वास्तव में बाजार में माज़दा गाड़ी के स्पीडोमीटर उपलब्ध थे। सचिव द्वारा स्पीडोमीटर इसलिए नहीं खरीदा गया कि गाड़ी दिनांक 24.4.98 के बाद चलाई ही नहीं गई थी व गाड़ी नगर पंचायत के स्टोर के पास खड़ी करके रखी गई थी व 4/99 से 31.3.03 तक गाड़ी की लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई थी इसके बाद की लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत न की गई थी जबकि इस बारे बार–बार सचिव को कहा गया परन्तु लॉग बुक प्रस्तुत न की गई। गाड़ी की एवरेज 4 कि0मी0 प्रति लीटर डीजल के हिसाब से लॉग बुक में दर्षाई गई थी। गाड़ी की लॉग बुक में लोकल मनाली तथा मनाली से रांगड़ी गाड़ी गई दर्षाया गया तथा गाड़ी प्रत्येक दिन मनाली से रंगड़ी कितने चक्कर गाड़ी ने लगाए न दर्षाया गया था। खडी गाड़ी को ही चलाया दर्षाया था। इस गाड़ी में स्पीडोमीटर न लगाए जाने से गाड़ी में डीजल डालना व रोजाना गाड़ी चलती दिखाना केवल मात्र धोखा देना था। डीजल गाड़ी में डाला जाना ही दर्षाया था वह भी ठीक नहीं था क्योंकि जब गाड़ी चली ही नहीं तो डीजल डालने की क्या आवष्यकता थी। बिना स्पीडोमीटर के गाड़ी की रीडिंग अंकेक्षण में उचित नहीं मानी जा सकती। इसकी छानबीन उच्चाधिकारी से की जानी आवष्यक है ताकि

वस्तुस्थिति का पता चल सके और उक्त अवधि में इस गाड़ी पर जो रख–रखाव का खर्चा भी दर्षाया गया था वह भी उचित नहीं जान पड़ता। खड़ी गाडी में डीजल डलवाते रहे और लॉग बुक भरते रहे।

8¼10½¼**b**½ नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत की माजदा गाड़ी नम्बर एच.पी.34–2675, 4/98 से पहले ही स्पीडोमीटर खराब होने की बजह से खड़ी थी। नगर पंचायत द्वारा बिना स्पीडोमीटर के गाड़ी चलाना दिखाया गया है जबकि स्पीडोमीटर की मुरम्मत एक डेड़ महीने के भीतर करवा करके उसे ठीक करवाया जा सकता था परन्तु गाड़ी का स्पीडोमीटर ठीक करवाना सचिव नगर पंचायत ने उचित न समझा ओर गाड़ी चलाते रहे। बिना स्पीडोमीटर के गाड़ी चलाने की गणना करना मुषिकल था कि वास्तव मे गाड़ी चली भी या नहीं। इस बारे जब सचिव से पूछा गया कि स्पीडोमीटर के बिना गाड़ी क्यों चलाई गई और गाड़ी की गणना कैसे की गई और डीजल की खपत कैसे की गई तो सचिव जबाव देने में असमर्थ रहे।

सचिव द्वारा वाऊचर संख्या 43, अवधि 2/02 द्वारा ₹62,494.00 का भुगतान एन.जे.सर्विस सैन्टर नेर चौक मण्डी को किया गया दर्षाया थां इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) गाड़ी कब खराब हुई की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश लो0नि0वि0 या हिमाचल पथ परिवहन निगम से कोई रिपोर्ट न ली गई थी जिससे गाड़ी की मुरम्मत करवाने बारे पता चलता कि गाड़ी वास्तव में खराब थी और क्या–क्या सामान बदला जाना था।

(ख) मनाली/कुल्लू मे मकैनिक होते हुए गाड़ी मुरम्मत हेतु नेर चौक(मण्डी) कयेंा ले जाई गई जबकि इस प्रकार की गाड़ी की मुरम्मत कुल्लू/मनाली में भी करवाई जा सकती थी।

(ग) गाड़ी एन.जे.सर्विस सैन्टर नेर चौक मण्डी में किस तिथि को मुरम्मत हेतु वर्कषाप में लाई गई। इस बारे लॉग बुक में मकैनिक की रिपोर्ट अंकित नहीं थी और गाड़ी कब ठीक हुई की रिपोर्ट भी लॉग बुक में नहीं की गई थी।

(घ) जब गाड़ी की मुरम्मत करवाई गई जो स्पीडोमीटर क्यों नहीं बदला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी की मुरम्मत ही नहीं करवाई गई थी और सचिव व चालक ने मिलकर गाड़ी की मुरम्मत दर्षाई थी। इसकी छानबीन करवाई जानी चाहिए ताकि वास्तुस्थिति बारे पता चल सके।

9¼1½ ₹5]37]901-00 dh Hkkjh vfxze jkf'k lek;kftr u djuk ls lEHkkfor xcu %&

नगर पंचायत के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न राशियां विभिन्न कर्मचारियों की अग्रिम रूप में दी गई थी जिसका समायोजन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण में

प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रिम राशि को खर्च ही नहीं किया गया था तथा दुरूपयोग होने का सन्देह प्रतीत होता है। सम्बन्धित अग्रिम राशियों का अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें अन्यथा राशि दोषी कर्मचारी से ब्याज सहित वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाएं तथा भविष्य में अग्रिम राशि केवल सक्षम अधिकारी से मन्जूरी लेकर दिया जाना सुनिष्चित करें ताकि राशि का दुरूपयोग न किया जा सके। अग्रिम राशि का समायोजन उस मास के वेतन के वितरण से पूर्व किया जाना सुनिष्चित किया जाए अन्यथा उस अधिकारी/कर्मचारी को तब तक वेतन वितरीत न किया जाए जब तक अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया जाता।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	ftl nh xb
2	6/99	25,000.00	सचिव, श्री जगदीश गुप्ता।
36	11/99	50,000.00	सचिव, श्री जगदीश गुप्ता।
22	11/99	20,679.00	भीष्म देव लिपिक।
20	1/2000	10,000.00	सचिव, श्री जगदीश गुप्ता।
35	6/99	95,600.00	अदायगी अग्रिम डी.एफ.ओ वाइल्ड लाईफ मनाली को वैरियर नम्बर 1 के समीप शौचालय निर्माण हेतु दी।
40	11/99	10,000.00	अदायगी नाथूराम चालक को की गई।
30	2/2000	2,000.00	अदायगी कनिष्ट अभियन्ता को की गई।
36	1/01	1,500.00	अग्रिम नाथू राम चालक को दिया।
61	3/01	10,000.00	अदायगी मोहन लाल आचार्य लिपिक नगर पंचायत मनाली को की।
37	4/01	15,000.00	कार्याकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू को भुगतान किया।
45	9/01	10,000.00	भुगतान भगत राम लिपिक को किया गया।
30	5/01	5,000.00	अदायगी कनिष्ट अभियन्ता को की गई।
23	10/01	3,000.00	भुगतान नाथू राम चालक को किया गया।
34	10/01	10,000.00	भुगतान जीलाधीष कुल्लू को किया गया।
20	11/01	1,000.00	भुगतान नाथू राम चालक को किया गया।

28	6/02	1,000.00	भुगतान नाथू राम चालक को किया गया।
42	8/02	4,000.00	भुगतान भीष्म देव लिपिक को किया।
36	12/02	60,000.00	भुगतान गान्थू राम लिपिक नगर पंचायत मनाली को किया गया।
22	1/03	2,000.00	भुगतान नाथू राम चालक को किया गया।
26	7/03	3,000.00	1. ₹1,000.00 का भुगतान मोहन लाल आचार्य लिपिक को किया गया। 2. ₹2,000.00 का भुगतान नाथू राम चालक को किया गया।
46	9/03	1,500.00	बाला राम लिपिक को भुगतान किया गया।
20	10/03	1,000.00	लाल सिंह लिपिक को भुगतान किया गया।
32	11/03	1,000.00	लाल सिंह लिपिक को भुगतान किया गया।
	8/04	1,000.00	लाल सिंह लिपिक को भुगतान किया गया।
	10/04	6,672.00	₹2,500.00 मोहन लाल को अग्रिम दिया गया।
44	11/04	6,000.00	भुगतान मोहन लाल वर्क सुपरवाईजर को किया गया।
48	12/04	3,000.00	भुगतान थाम्बे राम मनाली को किया गया।

9¼2½ ₹60]000-00 vfxze d lek;ktu u dju ckj ¼&

वाऊचर संख्या 50, अवधि 4/05 को ₹60,000.00 की अग्रिम राशि श्री जगदीश गुप्ता सचिव को दिया गया था इसका समायोजन 3/07 तक उक्त सचिव द्वारा नहीं किया गया था। अंकेक्षण अवधि के दौरान समायोजन सम्बन्धी प्रलेख आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रिम का कहीं दुरूपयोग तो नहीं किया गया था इस बारे सचिव स्वयं जाचं करें तथा राशि के समायोजन न होने के फलस्वरूप राशि ब्याज सहित वसूल करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाए।

9¼3½ ukjkM fuf/k l fy, x, vfxze fcyk dh ₹2]25]000-00 dh Hkkjh jkf'k dk lek;ktu ugh fd;k x;k ¼&

नौराड निधि की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नौराड निधि से नगर पंचायत कर्मचारियो को अग्रिम दिया गया था जिसका समायोजन अंकेक्षण में नहीं बताया गया समायोजन प्रस्तुत न किए जाने से दिए गए अग्रिम राशि के बारे सन्देह उत्पन्न होता है कि कहीं धन का दुरूपयोग तो नहीं किया गया है। नौराड निधि में अग्रिम देने का कोई प्रावधान नहीं था फिर भी अग्रिम दिया गया इस बारे सचिव स्थिति स्पष्ट करें कि अग्रिम प्रावधान के बिना क्यों दिया गया और अंकेक्षण अवधि तक समायोजित क्यों नहीं किया गया मामले के अति आवष्यक माना जाए।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	fooj.k
19	4/01	5,000.00	अदायगी कनिष्ट अभियन्ता को की।
104	5/02	5,000.00	अदायगी भीष्म देव लिपिक को की।
173	10/02	15,000.00	अदायगी सचिव को की गई।
381	3/04	20,000.00	अदायगी सहायक अधिषाषी अभियन्ता विद्युत बोर्ड मनाली को की।

10 lok fuo`r deZpkfj;ksa dks xzsP;qVh dh :i esa ₹2]55]263-00 dh nh xbZ jkf'k dk vfHkys[k izLrqr ugha fd;k x;k %&

अंकेक्षण अवधि दौरान नगर पंचायत से सेवा निवृत हुए कर्मचारियों को दी गई ग्रेच्यूटी के अभिलेख अंकेक्षण में आवष्यक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव मे कर्मचारियों को दी गई राशियों बारे छानबीन न की जा सकी। सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

ok0 l0	vof/k	jkf'k	lok fuo`r deZpkjh dk uke
27	5/99	90,000.00	श्री खेरव राम सहायक
24	2/2000	1,65,263.00	श्री मोहन लाल सफाई सेवक

11 xr vads{k.k izfrosnuksa esa of.kZr iSjksa dk lEcU/k %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित पैरों पर की गई कार्यवाही का विवरण भाग–III पर दर्षाया गया है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : V(19)Fin(Local Audit Department), दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि प्रेषित :–

(i) निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–171002 को सूचनार्थ एवम् आवष्यक कार्यवाही हेतु।

(ii) सचिव, नगर पंचायत मनाली, जिला कुल्लू को इस आशय से प्रेषित है कि वे अंकेक्षण प्रतिवेदन मे वर्णित पैरों पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

(iii) वरिष्ठ उप महालेखाकार(ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश षिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

uxj ipk;r eukyh] ftyk dYy] fgekpy in'k d vof/k 4@99 l 3@07 rd d y[kk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronuA

Hkkx&III

1 xr vd{k.k ifronu %&

नगर पंचायत मनाली द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर जो कार्यवाही की गई थी की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :–

¼d½ अवधि 30.6.78 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव को इस बारे बार–बार आग्रह किया गया परन्तु ऑडिट की समाप्ति तक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

¼[k½ vd{k.k ifronu 30-6-78 l 31-3-81

1	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत
10	पैरा 12(एफ)	अनिर्णीत
11	पैरा 12(जी)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(1)	अनिर्णीत
13	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
14	पैरा 16	अनिर्णीत
15	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
16	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
17	पैरा 18(3)	अनिर्णीत
18	पैरा 18(4)	अनिर्णीत
19	पैरा 18(5)	अनिर्णीत

¼x½ vd{k.k ifronu 4@81 l 3@82

1	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(बी)(i)	अनिर्णीत

5	पैरा 7(बी)(ii)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(सी)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(डी)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(सी)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(डी)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(ई)	अनिर्णीत
13	पैरा 9(एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा 9(जी)	अनिर्णीत
15	पैरा 9(एच)	अनिर्णीत
16	पैरा 9(आई)	अनिर्णीत
17	पैरा 9(जे)	अनिर्णीत
18	पैरा 9(के)	अनिर्णीत
19	पैरा 9(एल)	अनिर्णीत
20	पैरा 9(एम)	अनिर्णीत
21	पैरा 9(एन)	अनिर्णीत
22	पैरा 9(ओ)	अनिर्णीत
23	पैरा 9(पी)	अनिर्णीत
24	पैरा 10	अनिर्णीत
25	पैरा 13	अनिर्णीत
26	पैरा 14(1)	अनिर्णीत
27	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
28	पैरा 14(3)	अनिर्णीत

29	पैरा 14(4)	अनिर्णीत
30	पैरा 14(5)	अनिर्णीत
31	पैरा 15	अनिर्णीत
32	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
33	पैरा 16(2)	अनिर्णीत
34	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
35	पैरा 18	अनिर्णीत
36	पैरा 20(i)	अनिर्णीत
37	पैरा 20(ii)	अनिर्णीत
38	पैरा 20(iii)	अनिर्णीत
39	पैरा 20(iv)	अनिर्णीत
40	पैरा 20(v)	अनिर्णीत
41	पैरा 20(vi)	अनिर्णीत

¼?k½ vkd{k.k ifronu 4@82 l 3@84

1	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(डी)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(एफ)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(जी)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(आई)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(2)	अनिर्णीत

9	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 8	अनिर्णीत
11	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(3)	निर्णीत
13	पैरा 9(4)	निर्णीत
14	पैरा 9(5)	निर्णीत
15	पैरा 9(6)	निर्णीत
16	पैरा 10	अनिर्णीत
17	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
21	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
22	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
23	पैरा 13(सी)	अनिर्णीत
24	पैरा 13(डी)	अनिर्णीत
25	पैरा 13(ई)	अनिर्णीत
26	पैरा 13(एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा 13(जी)	अनिर्णीत
28	पैरा 13(एच)	अनिर्णीत
29	पैरा 14(1)	अनिर्णीत
30	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
31	पैरा 14(3)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(2)	अनिर्णीत

33	पैरा 16	अनिर्णीत
34	पैरा 17	अनिर्णीत
35	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
36	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
37	पैरा 18(3)	अनिर्णीत

¼3½ vkd{k.k ifrosnu 4@84 ls 3@86

1	पैरा 3(व)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(5)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(6)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(7)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(9)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(10)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(11)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(12)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(13)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 7(ए)(2)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(सी)	अनिर्णीत
17	पैरा 8(सी)	अनिर्णीत
18	पैरा 8(ई)	अनिर्णीत

19	पैरा 8(एफ)	अनिर्णीत
20	पैरा 9(ए)	अनिर्णीत
21	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत
22	पैरा 9(सी)	अनिर्णीत
23	पैरा 9(डी)(1)	अनिर्णीत
24	पैरा 9(डी)(2)	अनिर्णीत
25	पैरा 14(1)	अनिर्णीत
26	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
27	पैरा 14(3)	अनिर्णीत
28	पैरा 14(4)	अनिर्णीत
29	पैरा 17	अनिर्णीत
30	पैरा 18(ए)	अनिर्णीत
31	पैरा 18(बी)	अनिर्णीत
32	पैरा 18(सी)	अनिर्णीत
33	पैरा 18(डी)	अनिर्णीत
34	पैरा 18(ई)	अनिर्णीत
35	पैरा 18(एफ)	अनिर्णीत
36	पैरा 18(जी)	अनिर्णीत
37	पैरा 18(एच)	अनिर्णीत
38	पैरा 18(आई)	अनिर्णीत
39	पैरा 18(जे)	अनिर्णीत
40	पैरा 18(के)	अनिर्णीत
41	पैरा 18(एल)	अनिर्णीत
42	पैरा 18(एम)	अनिर्णीत

43	पैरा 19(ए)	अनिर्णीत
44	पैरा 20	अनिर्णीत
45	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 21(iii)	अनिर्णीत
48	पैरा 22(ए)	अनिर्णीत
49	पैरा 22(बी)	अनिर्णीत
50	पैरा 22(एफ)	अनिर्णीत
51	पैरा 22(एच)	अनिर्णीत
52	पैरा 23(ए)	अनिर्णीत
53	पैरा 23(बी)	अनिर्णीत
54	पैरा 24(2)	अनिर्णीत
55	पैरा 24(3)	अनिर्णीत
56	पैरा 24(6)	अनिर्णीत
57	पैरा 24(7)	अनिर्णीत
58	पैरा 24(8)	अनिर्णीत
59	पैरा 24(9)	अनिर्णीत
60	पैरा 24(10)	अनिर्णीत
61	पैरा 24(11)	अनिर्णीत
62	पैरा 24(13)	अनिर्णीत
63	पैरा 24(14)	अनिर्णीत
64	पैरा 24(15)	अनिर्णीत

¼p½ vd{k.k ifronu 4@86 l 3@87

1	पैरा 5(1)	अनिर्णीत

2	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(5)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(6)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
11	पैरा 7	अनिर्णीत
12	पैरा 8	अनिर्णीत
13	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 9(3)	अनिर्णीत
16	पैरा 9(4)	अनिर्णीत
17	पैरा 9(5)(ए)	अनिर्णीत
18	पैरा 9(5)(बी)	अनिर्णीत
19	पैरा 10	अनिर्णीत
20	पैरा 11	निर्णीत
21	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
22	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
23	पैरा 12(3)	अनिर्णीत
24	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
25	पैरा 13(4)	अनिर्णीत

26	पैरा 13(5)	अनिर्णीत
27	पैरा 13(6)	अनिर्णीत
28	पैरा 13(7)	अनिर्णीत

¼N½ vads{k.k izfrosnu 4@87 ls 3@92

1	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 14(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 14(3)	अनिर्णीत
8	पैरा 14(4)	अनिर्णीत
9	पैरा 14(6)(क)	आंषिक निर्णीत
10	पैरा 14(6)(ख)	आंषिक निर्णीत
11	पैरा 14(9)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(12)	अनिर्णीत
13	पैरा 14(17)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(19)	अनिर्णीत
15	पैरा 14(27)	अनिर्णीत
16	पैरा 14(28)	अनिर्णीत
17	पैरा 14(29)(क)	अनिर्णीत
18	पैरा 14(29)(ख)	अनिर्णीत
19	पैरा 14(29)(ग)	अनिर्णीत
20	पैरा 14(29)(घ)	अनिर्णीत

21	पैरा 14(29)(च)	अनिर्णीत
22	पैरा 14(37)(क)	अनिर्णीत
23	पैरा 14(37)(ख)	अनिर्णीत
24	पैरा 14(38)	अनिर्णीत
25	पैरा 14(39)(1)	अनिर्णीत
26	पैरा 14(39)(2)(ग)	अनिर्णीत
27	पैरा 14(40)	अनिर्णीत
28	पैरा 14(45)	अनिर्णीत
29	पैरा 14(48)	अनिर्णीत
30	पैरा 14(49)	अनिर्णीत
31	पैरा 14(51)	अनिर्णीत
32	पैरा 14(52)	अनिर्णीत
33	पैरा 14(54)	अनिर्णीत
34	पैरा 14(55)(क)	अनिर्णीत
35	पैरा 14(55)(ख)	अनिर्णीत
36	पैरा 14(55)(ग)	अनिर्णीत
37	पैरा 14(55)(घ)	अनिर्णीत
38	पैरा 14(55)(ङ)	अनिर्णीत
39	पैरा 14(56)(क)	अनिर्णीत
40	पैरा 14(56)(ख)	अनिर्णीत
41	पैरा 14(56)(ग)	अनिर्णीत
42	पैरा 14(56)(घ)	अनिर्णीत
43	पैरा 14(56)(ङ)	अनिर्णीत
44	पैरा 14(59)	अनिर्णीत

45	पैरा 14(60)	अनिर्णीत
46	पैरा 14(61)(क)	अनिर्णीत
47	पैरा 14(61)(ख)	अनिर्णीत
48	पैरा 14(61)(ग)	अनिर्णीत
49	पैरा 14(61)(घ)	अनिर्णीत
50	पैरा 14(61)(ङ)	अनिर्णीत
51	पैरा 14(62)(क)	अनिर्णीत
52	पैरा 14(62)(ख)	अनिर्णीत
53	पैरा 14(62)(ग)	अनिर्णीत
54	पैरा 14(63)	अनिर्णीत
55	पैरा 14(64)	अनिर्णीत
56	पैरा 14(65)	अनिर्णीत
57	पैरा 14(66)	आंषिक निर्णीत
58	पैरा 14(68)	अनिर्णीत
59	पैरा 14(69)	अनिर्णीत
60	पैरा 14(71)(क)	अनिर्णीत
61	पैरा 14(72)(ख)	अनिर्णीत
62	पैरा 14(72)(ग)	अनिर्णीत
63	पैरा 14(73)	अनिर्णीत
64	पैरा 14(74)	अनिर्णीत
65	पैरा 15(1)	आंषिक निर्णीत
66	पैरा 15(2)	अनिर्णीत
67	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
68	पैरा 16(ग)	अनिर्णीत

69	पैरा 16(छ)	अनिर्णीत
70	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत
71	पैरा 17(झ)	अनिर्णीत
72	पैरा 17(ञ)	अनिर्णीत
73	पैरा 17(त)	अनिर्णीत
74	पैरा 17(थ)	निर्णीत
75	पैरा 17(द)	अनिर्णीत
76	पैरा 17(ध)	अनिर्णीत
77	पैरा 17(न)	अनिर्णीत
78	पैरा 17(प)	अनिर्णीत
79	पैरा 17(फ)	अनिर्णीत
80	पैरा 17(व)	अनिर्णीत
81	पैरा 17(म)	अनिर्णीत
82	पैरा 17(ट)	अनिर्णीत
83	पैरा 17(य)	अनिर्णीत
84	पैरा 17(ल)	अनिर्णीत
85	पैरा 17(ब)	अनिर्णीत
86	पैरा 17(ह)	अनिर्णीत
87	पैरा 17(त्र)	अनिर्णीत

¼t½ vkd{k.k ifronu 4@92 l 3@96

1	पैरा 6(क)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(क)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(क)(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(क)(4)	अनिर्णीत

5	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
9	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 7(5)	अनिर्णीत
11	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
12	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
14	पैरा 11	अनिर्णीत
15	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
16	पैरा 12(3)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(5)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(6)	आंषिक निर्णीत
19	पैरा 12(7)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(8)	अनिर्णीत
21	पैरा 12(10)	अनिर्णीत
22	पैरा 12(11)	अनिर्णीत
23	पैरा 12(14)	अनिर्णीत
24	पैरा 12(15)	अनिर्णीत
25	पैरा 12(16)	अनिर्णीत
26	पैरा 12(17)	अनिर्णीत
27	पैरा 12(19)	अनिर्णीत
28	पैरा 12(20)	अनिर्णीत
29	पैरा 13(क)	आंषिक निर्णीत
30	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत

31	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
32	पैरा 13(घ)	आंषिक निर्णीत
33	पैरा 13(ङ)	अनिर्णीत
34	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
35	पैरा 14(3)	अनिर्णीत
36	पैरा 14(4)	अनिर्णीत
37	पैरा 14(5)	आंषिक निर्णीत
38	पैरा 15(3)	अनिर्णीत
39	पैरा 15(8)	अनिर्णीत
40	पैरा 15(10)	अनिर्णीत
41	पैरा 16	अनिर्णीत
42	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
43	पैरा 17(7)	अनिर्णीत

¼>½ vkd{k.k ifronu 4@96 l 3@99

1	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1)	निर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(5)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(6)	अनिर्णीत

9	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
12	पैरा 9	अनिर्णीत
13	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(1)	आंषिक निर्णीत
16	पैरा 13(2)(1)	अनिर्णीत
17	पैरा 13(2)(2)	अनिर्णीत
18	पैरा 13(3)(1)	अनिर्णीत
19	पैरा 13(3)(2)	अनिर्णीत
20	पैरा 13(3)(3)	अनिर्णीत
21	पैरा 13(4)	अनिर्णीत
22	पैरा 13(6)	अनिर्णीत
23	पैरा 13(9)	अनिर्णीत
24	पैरा 13(11)	अनिर्णीत
25	पैरा 13(13)(i)	अनिर्णीत
26	पैरा 13(13)(ii)	अनिर्णीत
27	पैरा 13(13)(iii)	अनिर्णीत
28	पैरा 13(13)(iv)	अनिर्णीत
29	पैरा 13(14)(1)(i)	अनिर्णीत
30	पैरा 13(14)(1)(ii)	अनिर्णीत
31	पैरा 13(14)(1)(iii)	अनिर्णीत
32	पैरा 13(14)(2)	अनिर्णीत

33	पैरा 13(16)(1)	अनिर्णीत
34	पैरा 13(16)(2)	अनिर्णीत
35	पैरा 13(16)(3)	अनिर्णीत
36	पैरा 13(16)(4)	अनिर्णीत
37	पैरा 13(17)(1)	अनिर्णीत
38	पैरा 13(17)(2)	अनिर्णीत
39	पैरा 13(17)(3)	अनिर्णीत
40	पैरा 13(17)(4)	अनिर्णीत
41	पैरा 13(22)(1)	अनिर्णीत
42	पैरा 13(22)(2)	अनिर्णीत
43	पैरा 13(22)(3)	अनिर्णीत
44	पैरा 13(22)(4)	अनिर्णीत
45	पैरा 13(22)(5)	अनिर्णीत
46	पैरा 14(1)	अनिर्णीत
47	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
48	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
49	पैरा 16(2)	आंषिक निर्णीत
50	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
51	पैरा 17(2)(i)	अनिर्णीत
52	पैरा 17(2)(ii)	अनिर्णीत
53	पैरा 17(3)(i)	अनिर्णीत
54	पैरा 17(3)(ii)	अनिर्णीत
55	पैरा 17(4)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 17(4)(ii)	अनिर्णीत
57	पैरा 17(6)(1)	अनिर्णीत
58	पैरा 17(6)(2)	अनिर्णीत
59	पैरा 17(6)(3)	अनिर्णीत

60	पैरा 17(7)	अनिर्णीत
61	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
62	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
63	पैरा 18(3)	अनिर्णीत
64	पैरा 18(4)	अनिर्णीत
65	पैरा 18(5)	अनिर्णीत
66	पैरा 18(6)	अनिर्णीत
67	पैरा 18(7)	अनिर्णीत
68	पैरा 19	आंषिक निर्णीत
69	पैरा 20(1)	अनिर्णीत
70	पैरा 20(5)	अनिर्णीत
71	पैरा 21(1)	अनिर्णीत
72	पैरा 21(3)	अनिर्णीत
73	पैरा 21(4)	अनिर्णीत

¼vuqi dqekj½